June 2022

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

हिंदी

Abortion Debate

Black Swan Event

AI Ethics
A New Global Standard

The Role of Caste
in Economic Transformation

New Corals recorded
from Indian Ocean

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

Gurukul Foundation

(For Freshers)

Above & Beyond Regular Classroom Coaching

Batch 2	Batch 3
10th August (Wednesday)	4th August (Monday)
Bengaluru | Online	Delhi

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

- राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election)
- आईपीसी की धारा 295A (Section 295A of IPC)
- अंतरराज्यीय परिषद (Inter State Council)
- फ्लोर टेस्ट संबंधी राज्यपाल का अधिकार (Governor's Power to call for a floor test)
- दलबदल विरोधी कानून (Anti-defection law)
- अटॉर्नी-जनरल की नियुक्ति (Appointment of Attorney-General) (A-G)
- भारत में बंदूक नियंत्रण कानून (Gun Control Legislation in India)
- आईटी नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा(Draft amendments to IT Rules, 2021)
- राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (NMMS)

अर्थशास्त्र

- रेपो दर (Repo Rate)
- ब्लैक स्वान घटना (Black swan event)
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS)
- 2019-20 के लिए ज़िलों के लिये परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-D)
- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई) 2021-22
- लिक्विड नैनो यूरिया (Liquid Nano Urea)
- GM कॉटन बीज (GM cotton seed)
- कृषि भूमि मूल्य सूचकांक (ALPI)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- इजरायल और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौता
- यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF)
- इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)
- भारत-आसियान सम्मेलन
- जिनेवा पैकेज (WTO)
- 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट (2022 Resilient Democracies Statement)
- ब्लू पैसिफिक में भागीदार (Partners in the Blue Pacific)

इतिहास, कला तथा संस्कृति

- तेलंगाना विद्रोह और आंदोलन
- संत तुकाराम मंदिर (The Sant Tukaram Temple)
- अहोबिलम (Ahobilam)
- गुलाबी मीनाकारी और वाराणसी लकड़ी के लाह के बर्तन और खिलौने

Personalities in News

- प्रशांत चंद्र महालनोबिस

भूगोल

- कैलिनिनग्राद (Kaliningrad)
- मोर्टारा (इटली)
- क्रेमेनचुक और मायकोलाइव (यूक्रेन)
- चुलियार बांध (Chulliyar Dam)
- एजियन सागर और द्वीप समूह (Aegean sea & Islands)
- सावा झील (इराक)
- स्नेक आइलैंड
- सुपरमून
- आकाशीय बिजली (Lightning)

पर्यावरण

- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (Valmiki Tiger Reserve)
- दीपोर बील (Deepor Beel)
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (National Chambal sanctuary)
- फिशिंग कैट सर्वेक्षण (Fishing Cat Survey)
- चीतों का पुनरुत्पादन (Reintroduction of Cheetahs)
- विश्व का सबसे बड़ा पौधा
- पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक
- कार्बन बम (Carbon bombs)
- पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)
- भारतीय जलक्षेत्र से चार नए मूंगे दर्ज किए गए (Four new corals recorded from Indian waters)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- कैपस्टोन (CAPSTONE)
- अस्त्र एमके1(Astra Mk-1)
- अग्नि-4 (Agni-4)
- ब्रह्मोस
- पृथ्वी-II
- VL-SRSAM
- इस्कंदर-एम मिसाइल प्रणाली (Iskander-M missile system)
- रेडियो आवृत्ति पहचान टैग और बारकोड
- डायरेक्ट-2-मोबाइल तकनीक (Direct-2-Mobile technology)
- इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) एयरक्राफ्ट

- मिसमैच रिपेयर डेफिसिट कैंसर का उपचार (Treatment of Mismatch repair deficient cancer)
- वेब 5.O (Web 5.O)
- वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN)

सरकारी योजनाएं

- डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC)

MAINS

राजव्यवस्था और शासन

- समावेशी संसद
- मृत्यु दंड (Death penalty)
- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) (Uniform Civil Code (UCC)
- समानता आयोग (Equality Commission)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- भारत और वियतनाम संबंध
- भारत-ईरान संबंध
- भारत-बांग्लादेश संबंध
- चीन और प्रशांत द्वीप समूह राष्ट्र (China and Pacific Islands Nations)
- रूस के तेल पर यूरोपीय संघ का प्रतिबंध (EU ban on Russia's Oil)
- तालिबान के साथ भारत की भागीदारी (India's Engagement with Taliban)
- युद्ध अपराध (War Crimes)
- पाकिस्तान और FATF (FATF and Pakistan)
- विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (12th WTO Ministerial Conference)

अर्थशास्त्र

- एमएसएमई और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (MSMEs and global value chains)
- बढ़ती फ्रीबी संस्कृति (Growing freebie culture)
- रूस - यूक्रेन युद्ध और वैश्विक खाद्य संकट
- (Russia - Ukraine war and the global food crisis)
- अग्निपथ भर्ती योजना (Agnipath Recruitment Scheme)
- हब एयरपोर्ट (Hub airport)
- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था (India's digital economy)

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

- सरोगेसी विनियमन अधिनियम, 2021 (Surrogacy Regulation Act, 2021)
- बाल कुपोषण (Child Malnutrition)
- खाद्य सुरक्षा (Food Security)
- आर्थिक परिवर्तन में जाति की भूमिका (The role of caste in economic transformation)
- परमाणु निरस्त्रीकरण की भंगुर स्थिति (Fragile State of Nuclear Disarmament)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- 5G प्रौद्योगिकी

नीति शास्त्र (ETHICS)

- एआई नैतिकता के लिए नया वैश्विक मानक (A new global standard for AI ethics)

प्रैक्टिस MCQ'S
MCQS (उत्तर कुंजी)

PRELIMS

राज्य व्यवस्था और शासन

राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election)	**ख़बरों में क्यों :** 4 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 16 सांसदों को राज्यसभा के लिए चुनाव किया जाएगा। • राज्यसभा या राज्य परिषद ((Council of States)) में अधिकतम 245 सीटें होती हैं। • राज्य सभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। • निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 83(1) के तहत, इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इन रिक्तियों को भरने के लिए "प्रति दो वर्ष में एक बार चुनाव" होते हैं। • राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। • 245 सदस्यों में से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 233 सदस्य राज्यों तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। • अनुच्छेद 80(4) में प्रावधान है कि सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुने जाएंगे। • 'संविधान की चौथी अनुसूची' में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। **राज्यसभा चुनाव: किसे वोट और कैसे?** • चुनाव की प्रक्रिया: राज्यसभा सांसदों को राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। • राज्य की विधान सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत (एसटीवी) प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व में राज्य सभा चुनाव में मतदान करते हैं। • राज्यसभा की सीट जीतने के लिए, एक उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में वोट मिलना चाहिए। • वह संख्या नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करके ज्ञात की जाती है। आवश्यक वोट = वोटों की कुल संख्या / (राज्य सभा सीटों की संख्या + 1) + 1.
आईपीसी की धारा 295A (Section 295A of IPC)	**ख़बरों में क्यों :** राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं की टिप्पणियों को लेकर चल रही बहस ने उस कानून पर प्रकाश डाला है जो धर्म की आलोचना या अपमान से संबंधित है। • भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधान, मुख्य रूप से धारा 295ए, मुक्त भाषण की रूपरेखा और धर्म से संबंधित अपराधों के संबंध में इसकी सीमाओं को परिभाषित करते हैं। • अभद्र भाषा से निपटने के लिए भारत के पास औपचारिक कानूनी ढांचा नहीं है। • हालाँकि, प्रावधानों का एक समूह, जिसे शिथिल रूप से अभद्र भाषा कानून कहा जाता है, लागू किया जाता है। **धारा 295A और अन्य:** • धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए सजा को परिभाषित और निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है।

	• इसमें धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल की क्षति या अपवित्रता को दंडित करने के (धारा 295); कब्रगाह (sepulture) के स्थान पर अतिचार (धारा 297); किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के जानबूझकर इरादे से बोलना, शब्द आदि (धारा 298); और एक धार्मिक सभा को परेशान करना (धारा 296) अपराध शामिल हैं। • राज्य अक्सर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के साथ धारा 295A को लागू करता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करने को दंडित करता है। और आईपीसी की धारा 505 जो सार्वजनिक शरारत के लिए योगदान देने वाले बयानों को दंडित करती है।
अंतरराज्यीय परिषद (Inter State Council)	**ख़बरों में क्यों :** हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें सुझाव दिया गया है कि "सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने" के लिए हर साल अंतर-राज्य परिषद की कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। **अंतरराज्यीय परिषद:** **संवैधानिक प्रावधान:** • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसी संस्था का गठन कर सकते हैं यदि इसकी आवश्यकता महसूस हो। • गृह मंत्रालय के तहत सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार इसे पहली बार राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 1990 में स्थापित किया गया था। **अंतर-राज्य परिषद संरचना:** • प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। • संघ में कैबिनेट रैंक के केंद्रीय मंत्री। • प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रिपरिषद। • सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। • विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। • केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिनके पास विधान सभा नहीं है। • राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल **अंतर-राज्य परिषद के कार्य:** • अंतर-राज्य परिषद एक सिफारिशी निकाय है जिसका कर्तव्य संघ और राज्य (राज्यों) या राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना, विशेष रूप से इन विषयों पर नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश और विचार करना है। राज्यों के सामान्य हित के अन्य मामले जो उसके अध्यक्ष द्वारा उसे भेजे जा सकते हैं। • ऐसे किसी विषय पर सुझाव देना, उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए।

फ्लोर टेस्ट संबंधी राज्यपाल का अधिकार (Governor's Power to call for a floor test)	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट में राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट कराने का निर्णय एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। **फ्लोर टेस्ट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:** **अनुच्छेद 174(2)(b)** • संविधान का अनुच्छेद 174(2) (b) राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर विधानसभा भंग करने की शक्ति देता है। • हालाँकि राज्यपाल अपने विवेक का तब प्रयोग कर सकता है जब ऐसा मुख्यमंत्री सलाह प्रदान करता है, जिसका बहुमत संदेह में हो सकता है। **अनुच्छेद 175(2)** • अनुच्छेद 175(2) के तहत, राज्यपाल सदन को बुला सकता है और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है या नहीं। **अध्यक्ष की शक्ति:** • वर्ष 2020 में शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम स्पीकर तथा अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की शक्तियों को बरकरार रखा कि यदि प्रथम दृष्टया कोई विचार है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। • जब सदन का सत्र चल रहा हो, तो वह स्पीकर है जो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है। • लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने की अनुमति दे सकता हैं।
दलबदल विरोधी कानून (Anti-defection law)	**संदर्भ:** महाराष्ट्र में संकट ने दलबदल विरोधी कानून पर ध्यान केंद्रित किया है। • दसवीं अनुसूची जिसे दल-बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है - को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था और किसी अन्य राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित करता है। • यह 1967 के आम चुनावों के बाद पार्टी से अलग विधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों को गिराने की प्रतिक्रिया थी। • 1985 के अधिनियम के अनुसार, एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई द्वारा 'दलबदल' को 'विलय' माना जाता था। • 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे बदल दिया। इसलिए अब एक पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को कानून की नजर में वैध होने के लिए "विलय" के पक्ष में होना चाहिए। • दलबदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिये मामले को सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो कि 'न्यायिक समीक्षा' के अधीन होता है। • हालांकि, कानून एक समय-सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दलबदल के मामले का फैसला करना होता है। **अयोग्यता के आधार:** • यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। • यदि वह पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है। • उसकी अयोग्यता के लिये पूर्व शर्त के रूप में ऐसी घटना के 15 दिनों के भीतर उसकी पार्टी या अधिकृत व्यक्ति

द्वारा मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिये।

- यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
- यदि कोई मनोनीत सदस्य छह महीने की अवधि के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

अटॉर्नी-जनरल की नियुक्ति (Appointment of Attorney-General) (A-G)

चर्चा में क्यों : अटॉर्नी-जनरल (A-G) के.के. वेणुगोपाल को तीन महीने की अवधि के लिए फिर से देश का शीर्ष विधि अधिकारी नियुक्त किया गया है।

भारत के महान्यायवादी:

- संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है।
- A-G देश का शीर्ष कानूनी अधिकारी है और संघ कार्यकारिणी का हिस्सा है।
- A-G को 2 सॉलिसिटर जनरलों और 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- A-G को सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं माना जाता है।

पात्रता:

- वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
  - उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
  - वह राष्ट्रपति की राय में किसी उच्च न्यायालय का पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय का दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या एक प्रख्यात न्यायविद रहा हो।

कार्यकाल : संविधान द्वारा तय नहीं

- A-G का पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। वह उतना पारिश्रमिक प्राप्त करता है जितना राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है।

निष्कासन:

- संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
- वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर भी अपना पद छोड़ सकता है।

कार्य:

- कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं।
- सरकार की ओर से सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना।
- अनुच्छेद 143 के तहत सरकार का प्रतिनिधित्व करना
- संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना।

अधिकार:

- संसद के दोनों सदनों/संयुक्त बैठक/संसद की किसी भी समिति, जिसका सदस्य नामित किया जा सकता है, की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार।
- वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं।
- उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है।

सीमाएं:

- सदन की कार्यवाही/समितियों में मतदान का कोई अधिकार नहीं।
- सरकार के खिलाफ सलाह नहीं देनी चाहिए या उसके खिलाफ कोई संक्षिप्त राय नहीं देनी चाहिए।
- भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्त व्यक्तियों का बचाव नहीं करना चाहिए।

	• भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी या निगम में निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
भारत में बंदूक नियंत्रण कानून (Gun Control Legislation in India)	**संदर्भ:** टेक्सास स्कूल नरसंहार के मद्देनजर, आइए भारत में गन कंट्रोल लेजिस्लेशन पर एक नजर डालते हैं। **शस्त्र अधिनियम, 1959** • शस्त्र अधिनियम, 1959 हथियारों और गोला-बारूद के अधिग्रहण, कब्जे, निर्माण, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। • यह 'निषिद्ध' हथियारों और गोला-बारूद के एक विशिष्ट वर्ग को परिभाषित करता है, जो उनके उपयोग को प्रतिबंधित करता है और इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करता है। **प्रमुख प्रावधान:** • भारत में बंदूक लाइसेंस के आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें हिंसा, 'विकृत दिमाग' या सार्वजनिक सुरक्षा और शांति के लिए खतरा वाले किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो। • एक आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण (अर्थात, गृह मंत्रालय), निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से जांँच के बाद आवेदक के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहता है। • यह सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हथियारों के उपयोग को कम करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों को भी सूचीबद्ध करता है। • किसी भी संस्था को ऐसी बंदूक को बेचने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है, जिस पर निर्माता का नाम, निर्माता का नंबर या कोई अन्य दृश्यमान मुहर या पहचान चिह्न नहीं लगी हो। • रूपांतरण का कोई भी कार्य (जैसे बन्दूक के बैरल को छोटा करना या नकली बन्दूक को बन्दूक में बदलना) या गैरकानूनी निर्माण, बिक्री और हस्तांतरण के लिये कम-से-कम सात साल की कैद की सज़ा दी जा सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी। **शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019** • वर्ष 2019 में संशोधित शस्त्र अधिनियम एक व्यक्ति द्वारा खरीद की जा सकने वाली बंदूकों की संख्या को 3 से घटाकर 2 कर सकता है। • संशोधित अधिनियम लाइसेंस की वैधता की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर देता है।
आईटी नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा(Draft amendments to IT Rules, 2021)	**चर्चा में क्यों :** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन का एक नया मसौदा प्रकाशित किया है। **आईटी नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधन क्या हैं?** • मसौदे में सरकार द्वारा नियुक्त अपील समितियां बनाने का प्रस्ताव है जो सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा लिए गए सामग्री मॉडरेशन निर्णयों की समीक्षा करने और संभावित रूप से उलटने के लिए सशक्त होंगी। • इसका मतलब है कि यदि कोई उपयोगकर्ता किसी कंपनी के शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गए सामग्री मॉडरेशन निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे उस निर्णय को सरकार द्वारा नियुक्त अपील समिति के समक्ष अपील कर सकते हैं। • शिकायत अपील समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

	• वर्तमान में, किसी उपयोगकर्ता के लिए कंपनी के सामग्री निर्णयों को चुनौती देने का एकमात्र तरीका अदालत जाना है। • नया प्रस्ताव यह भी सुझाव देता है कि सोशल मीडिया निगमों द्वारा चुने गए शिकायत अधिकारियों को अधिक जिम्मेदारी दी जाए। इसमें कहा गया है कि एक शिकायत अधिकारी के पास ऐसी जानकारी के बारे में उपयोगकर्ता की शिकायत को संभालने के लिए 72 घंटे का समय होगा जो "बिल्कुल झूठी" है, कॉपीराइट का उल्लंघन करती है, और अन्य बातों के अलावा, भारत की अखंडता को कमजोर करती है। • मौजूदा नियमों के तहत, शिकायत अधिकारियों के पास उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने और उनका निपटान करने के लिए 15 दिन का समय होता है। **आईटी नियम, 2021** • ये नए नियम सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म से संबंधित हैं।
राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (NMMS)	**संदर्भ:** नए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में ऐसी समस्याएं हैं जो काम करने के अधिकार को खत्म कर रही हैं। • मई 2021 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (NMMS) ऐप लॉन्च किया, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के कार्यों में "नागरिकों की निगरानी में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने" के लिए एक नया एप्लिकेशन है। • इसे पंचायत स्तर पर नरेगा साथियों, स्थानीय महिलाओं द्वारा तैनात किया जाना है, जिन्हें नरेगा कार्य स्थलों की निगरानी के लिए चुना और प्रशिक्षित किया जाता है। • ऐप की मुख्य विशेषता प्रत्येक कार्यकर्ता की रीयल-टाइम, फोटोग्राफ, जियो-टैग उपस्थिति दिन के प्रत्येक आधे में एक बार ली जानी है। • यह संभावित रूप से प्रसंस्करण भुगतानों को तेजी से सक्षम करने के अलावा कार्यक्रम की नागरिक निगरानी में वृद्धि करेगा।

अर्थव्यवस्था

रेपो दर (Repo Rate)

चर्चा में क्यों : मौद्रिक नीति की अपनी द्विमासिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में और 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की।

RBI ने रेपो रेट क्यों बढ़ा दी है?

- 50-आधार-बिंदु वृद्धि, जो मई में 40-आधार-अंक (बीपीएस) की वृद्धि के बाद की गई है, मुद्रास्फीति पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई है।
- आरबीआई का लक्ष्य मुद्रास्फीति को अपने लक्षित 4% (±2%) तक लाना है।

मौद्रिक नीति उपाय:

- मौद्रिक नीति का तात्पर्य मुद्रा आपूर्ति के प्रबंधन के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति से है।
- 2016 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 को लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था।
- संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत, केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन करने का अधिकार है।
    - संरचना: एमपीसी में 6 सदस्य होंगे:
    - आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में,
    - मौद्रिक नीति के प्रभारी उप राज्यपाल,
    - केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी,
    - केंद्र सरकार द्वारा तीन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी।

टूल्स	विशेषताएँ
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)	औसत दैनिक शेष जो एक बैंक को रिज़र्व बैंक के पास अपनी नेट डिमांड और सावधि देनदारियों (एनडीटीएल) के ऐसे प्रतिशत के हिस्से के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है जिसे रिज़र्व बैंक समय-समय पर सूचित कर सकता है।
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)	एसएलआर के मामले में, बैंकों के पास तरल संपत्ति का कुछ भंडार होना चाहिए। इनमें नकदी और सोना दोनों शामिल हैं।
रेपो दर	यह वह (निश्चित) ब्याज दर है जिस पर बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक से रातोंरात तरलता उधार ले सकते हैं।
रिवर्स रेपो रेट	यह (निश्चित) ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत

		पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ रातोंरात आधार पर बैंकों से तरलता को अवशोषित कर सकता है।
	सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)	यह वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अल्पकालिक निधि उधार ले सकते हैं। एमएसएफ के तहत, बैंक एसएलआर की सीमा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर आरबीआई से धन उधार ले सकते हैं।
	ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs)	इनमें टिकाऊ तरलता के इंजेक्शन और अवशोषण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं।
	बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS)	यह आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता (या धन आपूर्ति) को वापस लेने के लिए एक मौद्रिक नीति हस्तक्षेप है, इसमें जुटाई गई नकदी को रिजर्व बैंक के साथ एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है।

ब्लैक स्वान घटना (Black swan event)

चर्चा में क्यों : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक अध्ययन में एक प्रमुख वैश्विक जोखिम परिदृश्य या "ब्लैक स्वान घटना (Black swan event)" के मामले में भारत से 100 बिलियन डॉलर की पूंजी के ऑउटफ्लो की संभावना के बारे में उल्लेख किया गया है।

'ब्लैक स्वान' घटना क्या है?

- एक काला हंस परिघटना एक दुर्लभ, अप्रत्याशित घटना है जो आश्चर्य के रूप में आती है और समाज या दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
- कहा जाता है कि इन घटनाओं में तीन विशिष्ट विशेषताएं हैं - ये अत्यंत दुर्लभ हैं और नियमित अपेक्षाओं के दायरे से बाहर हैं; घटना होने के बाद उनका गंभीर प्रभाव पड़ता है; और जब उस घटना के स्पष्टीकरण सामने आते हैं तो लगने लगता है की उसके संकेत पहले से मौजूद थे।

शब्द की उत्पत्ति कब हुई?

- ब्लैक स्वान सिद्धांत को 2001 में लेखक और निवेशक नसीम निकोलस तालेब द्वारा सामने रखा गया था, और बाद में उनकी 2007 की पुस्तक - द ब्लैक स्वान: द इम्पैक्ट ऑफ द हाइली इम्प्रोबेबल में लोकप्रिय हुआ।
- यह शब्द स्वयं काले हंसों की खोज से जुड़ा है।
- यूरोपीय लोगों का मानना था कि 1697 तक सभी हंस सफेद होते थे, जब एक डच खोजकर्ता ने ऑस्ट्रेलिया में पहला काला हंस देखा।
- रूपक 'ब्लैक स्वान इवेंट' 17वीं शताब्दी के इस अभूतपूर्व स्थान से लिया गया है, और इसने हंसों के बारे में पश्चिम की समझ को कैसे बढ़ाया।

अतीत में ऐसी घटनाएं कब हुई हैं?

- तालेब की किताब वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से पहले की थी - अमेरिका में तेजी से बढ़ते आवास बाजार में अचानक दुर्घटना से शुरू हुई एक ब्लैक स्वान घटना।
- सोवियत संघ का पतन, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ आतंकवादी हमला भी इसी श्रेणी में आता है।

	क्या कोविड-19 महामारी एक काले हंस की घटना है? • लेखक ने इसे "सफेद हंस" कहा, यह तर्क देते हुए कि यह पूर्वानुमेय था, और कंपनियों तथा सरकारों के लिए इस तरह के कुछ के लिए तैयार न होने का कोई बहाना नहीं था।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS)	**चर्चा में क्यों :** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य PACS की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। • इस परियोजना में कुल 2,516 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें केंद्र सरकार 1,528 करोड़ रुपये का वहन करेगी। इसके तहत पांच वर्ष की अवधि में लगभग 63,000 कार्यरत पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। **प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ (PACS) के बारे में** • पैक्स देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) की त्रि-स्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अपनी भूमिका निभाती हैं। इससे लगभग 13 करोड़ किसानों को लाभ होगा। • वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने तथा किसानों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों (एसएमएफ) को दी जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने के अलावा, पैक्स का कंप्यूटरीकरण विभिन्न सेवाओं एवं उर्वरक, बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिंदु बन जाएगा। • यह कदम ऋणों के त्वरित निपटान, अपेक्षाकृत कम हस्तांतरण लागत, त्वरित लेखा परीक्षा और राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ भुगतान व लेखांकन संबंधी असंतुलन में कमी सुनिश्चित करेगा। • अन्य दो स्तरों अर्थात, SCB और DCCB को पहले ही नाबार्ड द्वारा स्वचालित कर दिया गया है और कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर (CBS) पर लाया गया है।
2019-20 के लिए ज़िलों के लिये परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-D)	**चर्चा में क्यों :** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (Performance Grading Index for Districts-PGI-D) जारी किया। • PGI-D व्यापक विश्लेषण के लिए एक इंडेक्स बनाकर जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। • यह छह श्रेणियों में समूहित 83 संकेतकों पर आधारित है। • ये श्रेणियां हैं परिणाम, प्रभावी कक्षा, बुनियादी ढांँचा सुविधाएं और छात्र के अधिकार, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल शिक्षा और शासन प्रक्रिया। • PGI-D ज़िलों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत करता है। उच्चतम ग्रेड 'दक्ष (Daksh)' है, जो उस श्रेणी या कुल मिलाकर कुल अंकों के 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ज़िलों के लिये है। • PGI-D में निम्नतम ग्रेड 'आकांक्षी-3' है जो कुल अंकों के 10% तक के स्कोर के लिये है। • झुंझुनू और जयपुर के बाद राजस्थान का सीकर शीर्ष पर है। • अन्य राज्य जिनके जिलों ने नवीनतम सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वे पंजाब हैं, जिनमें अति-उत्तम ग्रेड में 14 जिले हैं, इसके बाद गुजरात और केरल हैं, जिनमें से प्रत्येक में इस श्रेणी में 13 जिले हैं। **डिजिटल लर्निंग:** • वर्ष 2019-20 के लिए पीजीआई-डी दर्शाता है कि देशभर के स्कूलों ने डिजिटल लर्निंग की श्रेणी में खराब प्रदर्शन किया है।

	• सूचकांक में, 180 जिलों ने डिजिटल लर्निंग पर 10 प्रतिशत से कम स्कोर किया।
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई) 2021-22	**चर्चा में क्यों :** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) 2021-22 जारी किया। **एसएफएसआई क्या है?** • इस सूचकांक का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के चयनित "मापदंडों" पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापना है। • सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को "अपने प्रदर्शन में सुधार लाने और अपने अधिकार क्षेत्र में एक उचित खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। • एसएफएसआई एक वित्तीय वर्ष के लिए सालाना जारी किया जाता है। • वर्ष 2018-19 में एसएफएसआई की स्थापना के बाद से यह चौथा संस्करण है। • एसएफएसआई पांच प्रमुख मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को ध्यान में रखता है, जिनमें से प्रत्येक को मूल्यांकन में एक अलग वेटेज सौंपा गया है: • मानव संसाधन और संस्थागत डेटा • अनुपालन • खाद्य परीक्षण - बुनियादी ढांचा और निगरानी • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण • उपभोक्ता अधिकारिता **प्रदर्शन:** • 20 बड़े राज्यों की श्रेणी में, तमिलनाडु ने 100 में से 82 के समग्र स्कोर के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और एसएफएसआई 2021-22 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि आंध्र प्रदेश को 26 के समग्र स्कोर के साथ 17वें स्थान पर रखा गया है। • आठ छोटे राज्यों में, गोवा 56 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश (रैंक 8 वां और स्कोर 21) सबसे नीचे है। • आठ केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू और कश्मीर को 68.5 के स्कोर के साथ पहला और लक्षद्वीप (स्कोर 16) को सबसे नीचे रखा गया है।

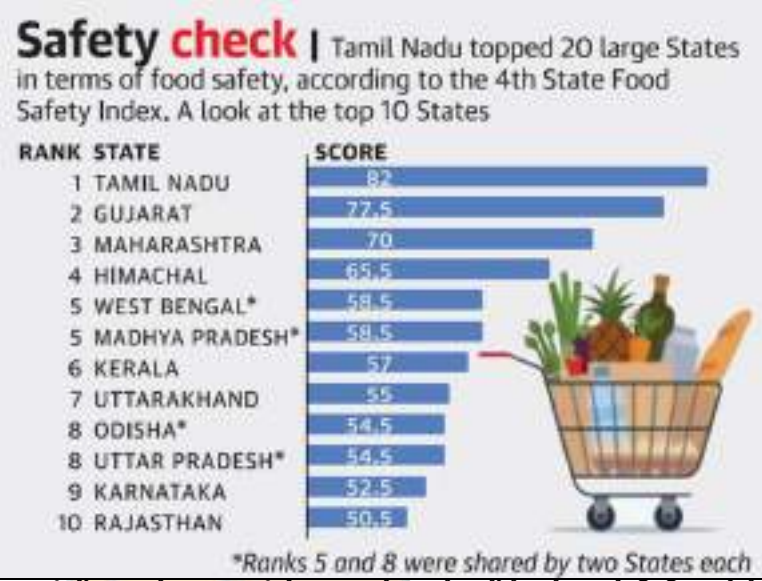

लिक्विड नैनो यूरिया (Liquid Nano Urea)

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में देश के पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का आधिकारिक उद्घाटन किया।

- इस पेटेंट उत्पाद से न केवल आयातित यूरिया की जगह लेने की उम्मीद है, बल्कि खेतों में बेहतर परिणाम देने की भी उम्मीद है।
- इफको ने अगस्त 2021 में कलोल लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र चालू किया जो देश का पहला होगा।

लिक्विड नैनो यूरिया:

- यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है।
- यूरिया सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधों के लिये एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्त्व है।
- उत्पाद को कलोल में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी) द्वारा विकसित किया गया है।
- पारंपरिक यूरिया की दक्षता लगभग 25% है, जबकि तरल नैनो यूरिया की दक्षता 85-90% तक हो सकती है।
- परंपरागत यूरिया के गलत तरीके से उपयोग के कारण नाइट्रोजन वाष्पीकृत हो जाती है या सिंचाई के दौरान अधिकाँश मात्रा में बह जाती है, जिससे फसलों पर इसका वांछित प्रभाव नहीं पड़ पाता है।
- लिक्विड नैनो यूरिया को सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है और पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
- यह उर्वरक नैनो रूप में फसलों को पोषक तत्त्वों की लक्षित आपूर्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वे पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा अवशोषित होते हैं।
- नैनो नाइट्रोजन कण का आकार 20-50 एनएम से भिन्न होता है।
- लिक्विड नैनो यूरिया की शेल्फ लाइफ एक साल होती है, और नमी के संपर्क में आने पर किसानों को "केकिंग (caking)" के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

GM कॉटन बीज (GM cotton seed)

चर्चा में क्यों : अवैध किस्म जीएम कपास बीज बाजार का लगभग पांचवां हिस्सा है।

- भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) कॉटन के बीज बाजार के लगभग पांचवें हिस्से पर एक नई गैर-अनुमोदित शाकनाशी-सहिष्णु किस्म का फलता-फूलता अवैध व्यापार आ गया है।
- किसान संगठनों का कहना है कि चूंकि अस्वीकृत बीज उन्हें खरपतवार प्रबंधन और लागत में कटौती करने में मदद करते हैं, इसलिए वे इसका उपयोग करना जारी रखेंगे।
- अवैध बीज विनिर्माताओं का दावा है कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले बीजों में हर्बिसाइड ट्रेट (एचटीबीटी) की मौजूदगी पिंक बोलवर्म को नियंत्रित करने में सक्षम है।
- बायर-महीको (Bayer-Mahyco) ने पिछले साल एचटीबीटी कपास के लिए अनुमोदन के लिए आवेदन जमा किया है, नियामक (जीईएसी) को अभी फैसला करना बाकी है।

एचटीबीटी क्यों?

- दो दशक पहले इसकी शुरूआत के बाद से, बीटी कपास ने भारत की कपास की उपज में नाटकीय वृद्धि की है और इस प्रकार, उत्पादन, लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों में इसके उपज में मामूली कमी आई है।
- बोलगार्ड-I की शुरुआत के बाद से, जो देश की पहली जीएम फसल थी, जिसे वर्ष 2002 में व्यावसायीकरण के लिए मंजूरी दी गई थी, उसके बाद बोलगार्ड II, एक कीट-प्रतिरोधी किस्म, जो फसल को बोलवर्म से बचाती है, वर्ष 2006 में, GEAC ने किसी भी नई किस्मों को मंजूरी नहीं दी है।
- HTBt के साथ बिना निराई के केवल एक राउंड ग्लाइफोसेट छिड़काव की आवश्यकता होती है। यह किसानों के लिये 7,000 से 8,000 रुपए प्रति एकड़ की बचत करता है।
- 2021-22 के फसल वर्षों (जुलाई-जून) में कपास का उत्पादन 2013-14 में 35.9 एमबी के अपने चरम से 5% घटकर 34 मिलियन गांठ (bales) (एमबी) रह गया।

Benefits of GMOs	Risks of GMOs
Nutritional value of foods could be improved (e.g. by introducing proteins, vitamins or vaccines)	New traits could cause adverse health reactions (e.g. new proteins may cause allergic responses)
Crops can be produced that lack known allergens	Removal of traits could have unknown effects
Crops can grow in arid conditions for better yield (e.g. by introducing drought resistant genes)	Crops may limit biodiversity of local environment (increased competition with native species)
GM crops can produce herbicides to kill pests	Cross pollination could lead to 'super weeds'
Improve food supply / agriculture in poor countries (GM crops can be engineered for improved yields)	Patents restrict farmers from accessing GM seeds (biotech companies hold monopolies over crop use)
GM crops may have longer shelf lives (less spoil)	Foods with GM components may not be labeled
Reduces economic costs and carbon footprint – less need for land clearing and pesticide usage	Different governments may have conflicting regulatory standards concerning safe usage

क्या किया जाए?

- चूंकि अवैध बीजों में अज्ञात और अस्वीकृत लक्षण होते हैं, ये नियमित बीजों को दूषित कर सकते हैं, जिससे वैध बीज उत्पादकों को खतरा हो सकता है।

	• सरकार को नव विकसित बीजों के लिए तेजी से अनुमोदन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुंच प्राप्त हो सके और इससे श्रम लागत और इनपुट लागत कम हो सके। **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति:** • GEAC भारत की शीर्ष बायोटेक नियामक एजेंसी और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक संगठन है। • जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। • यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों तथा पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिये ज़िम्मेदार है। • समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित जेनेटिक इंजीनियरिंग (जीई) जीवों और उत्पादों को पर्यावरण में छोड़ने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार है। • GEAC की अध्यक्षता MoEF&CC का विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव करता है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा सह-अध्यक्षता की जाती है।

कृषि भूमि मूल्य सूचकांक (ALPI)	**चर्चा में क्यों :** भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद ने देश के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक (ISALPI) को लांच किया। • सूचकांक का उद्देश्य कृषि भूमि के मूल्यांकन में अनिश्चितता को दूर करना है। • सूचकांक, कृषि भूमि की कीमतों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रव्यापी गेज की प्रस्तावना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 107 जिलों के लिए विकसित किया गया था, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि की कीमतों को बेंचमार्क करता है। • सूचकांक भूमि की कीमतों को बेंचमार्क करने के मामले में एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करेगा और कृषि भूमि को अचल संपत्ति में या औद्योगिक उपयोग के लिए संभावित रूपांतरण में मदद करेगा। • यह सूचकांक सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए और अधिक वैज्ञानिक उपाय अपनाने में मदद करेगा, साथ ही वित्तीय संस्थानों को ऋण और बीमा अनुबंधों की अंडरराइटिंग में मदद करेगा। • यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों की आवाजाही में दृश्यता भी सुनिश्चित करेगा। • कृषि भूमि की कीमत निर्धारित करने के लिए पहचाने गए कारकों में सिंचाई सुविधाएं, निकटतम शहर या हवाई अड्डे से दूरी और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकटता शामिल हैं। **सूचकांक के निष्कर्ष:** • कर्नाटक में कृषि भूमि सबसे महंगी है, उसके बाद तेलंगाना का स्थान है। • कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में औसत कृषि भूमि की कीमत क्रमशः 0.93 करोड़ रुपये, 0.81 करोड़ रुपये और 0.77 करोड़ रुपये प्रति एकड़ बताई गई है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कीमतें 0.58 करोड़ रुपये, 0.49 करोड़ रुपये और क्रमशः 0.47 करोड़ रुपये हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

इजरायल और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौता	**चर्चा में क्यों :** इज़राइल ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (United Arab Emirates – UAE) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, यह एक अरब देश के साथ इजराइल का पहला समझौता है, जो 2020 में यूएस-ब्रोकर संबंधों के सामान्यीकरण (US-Brokered Normalisation Of Relations) पर आधारित है। • संयुक्त अरब अमीरात इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला पहला खाड़ी देश है, और मिस्र तथा जॉर्डन के बाद ऐसा करने वाला तीसरा अरब देश है। **अब्राहम समझौते (Abraham Accord):** • अब्राहम समझौते का सौदा, अमेरिका द्वारा प्रायोजित, ईरान का मुकाबला करने के लिए देश के क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंडे का हिस्सा था। • अब्राहम समझौते के हिस्से के रूप में, इज़राइल फ़िलिस्तीनी क्षेत्र के आगे के विलय को रोकने के लिए सहमत हो गया। • समझौते पर सितंबर 2020 में बहरीन, इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। • वर्ष 1979 में मिस्र और वर्ष 1994 में जॉर्डन के बाद, संयुक्त अरब अमीरात इजरायल के साथ औपचारिक रूप से संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने वाला तीसरा अरब देश बन गया, साथ ही ऐसा करने वाला पहला फारस की खाड़ी देश बन गया।
यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF)	**चर्चा में क्यों :** अमेरिकी बाजार में भारतीय आमों के फिर से आने के साथ, नवंबर 2021 के बाद यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF) ने आम के व्यापार में एक महामारी से प्रेरित अंतराल को दूर करने में मदद की। • यू.एस. के लिए, भारत को इथेनॉल और संबद्ध पशु चारा सामग्री, जिसे DDGS (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स) कहा जाता है, का निर्यात कृषि वस्तुओं की श्रेणी में महत्वपूर्ण है। • भारत के लिए अमेरिका को कैरबीफ (पानी भैंस के मांस) का निर्यात, साथ ही टेबल अंगूर, भारतीय जंगली पकड़े गए झींगा निर्यात को फिर से शुरू करना कृषि व्यापार प्राथमिकताओं में से एक है जो वर्तमान में चर्चा में

	है। **भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम:** ● व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ), भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है। ● TPF की स्थापना जुलाई 2005 में व्यापार और निवेश के बारे में चर्चा करने के लिए की गई थी। ● संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि व्यापार नीति फोरम के सह-अध्यक्ष हैं। ● भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम के पांच फोकस समूह हैं: o कृषि o निवेश o नवाचार और रचनात्मकता (बौद्धिक संपदा अधिकार) o सेवाएं o टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं **घुलनशील के साथ डिस्टिलर्स के सूखे अनाज:** ● घुलनशील (डीडीजीएस) के साथ डिस्टिलर्स का सूखा अनाज बायोएथेनॉल किण्वन का एक उपोत्पाद है, जो स्टार्च युक्त अनाज जैसे मकई, गेहूं और जौ के लिए सूखी मिलिंग तकनीक का उपयोग करता है। ● चूंकि डीडीजीएस कच्चे प्रोटीन, वसा, फाइबर, विटामिन और खनिजों में समृद्ध है, इसलिए वर्तमान में इसका उपयोग जलीय कृषि, पशुधन और पोल्ट्री फीड के रूप में किया जाता है।
इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)	**चर्चा में क्यों :** ● पैगंबर मुहम्मद पर एक भारतीय राजनीतिक दल के दो पूर्व प्रवक्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों की इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के महासचिव ने निंदा की हैं। **इस्लामिक सहयोग संगठन क्या है?** ● इस्लामिक सहयोग संगठन (57-राष्ट्र समूह) की स्थापना 1969 को रबात (मोरक्को) में एक शिखर सम्मेलन में हुई थी। ● इस्लामिक सहयोग संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन (Inter-governmental Organization-IGO) संगठन है। ● इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। ● इसमें अधिकतर देश मुस्लिम हैं। ● यह सदस्य देशों के बीच एकजुटता स्थापित करने और कब्जे वाले किसी भी सदस्य राज्य की पूर्ण संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बहाली में मदद करता है; इस्लाम की मानहानि की रक्षा, बचाव और उसके विरोधियो का मुकाबला करना,मुस्लिम समाज में बढ़ते असंतोष को रोकना और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना कि सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र महासभा और मानवाधिकार परिषद जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एकजुट रुख अपनाएं। ● दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है।
भारत-आसियान सम्मेलन	**चर्चा में क्यों :** भारत ने 10 देशों के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के साथ अपने संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए आसियान विदेश मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। **आसियान:**

	• दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। • आसियान का आदर्श वाक्य "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय" है। • इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच संबंधों में न्याय और कानून के शासन के प्रति सम्मान और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करके क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। • संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। • ब्रुनेई दारुस्सलाम 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओ पीडीआर और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में शामिल हुए, जिससे आसियान के दस सदस्य देश बने। • आसियान सचिवालय - इंडोनेशिया, जकार्ता। **आसियान के नेतृत्व वाले मंच:** • आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ): वर्ष 1993 में शुरू किया गया, क्षेत्रीय विश्वास-निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग की सुविधा के लिए सत्ताईस सदस्यीय बहुपक्षीय समूह विकसित किया गया था। • आसियान प्लस थ्री: वर्ष 1997 में शुरू किया गया सलाहकार समूह आसियान के दस सदस्यों, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। • पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस): शिखर सम्मेलन क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना चाहता है और इसमें आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भाग लिया जाता है।
जिनेवा पैकेज (WTO)	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के आयोजित 12 वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कोविड -19 टीकों पर अस्थायी छूट, ई-कॉमर्स व्यापार पर स्थगन, खाद्य सुरक्षा और हानिकारक मछली पकड़ने की सब्सिडी पर सीमा निर्धारित करने से संबंधित सौदों की एक श्रृंखला पर सहमति हुई। • इन समझौतों को एक साथ "जिनेवा पैकेज" के रूप में संदर्भित किया जाता है। **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC):** • मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है और आमतौर पर इसकी बैठक हर दो साल में होती है। • मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते

	हैं। • विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जिनेवा, स्विटजरलैंड में आयोजित किया गया था। **अन्य संबंधित तथ्य** **मछली पकड़ने की हानिकारक सब्सिडी को कम करना:** • वैश्विक मछली स्टॉक को बेहतर ढंग से संरक्षित करने हेतु अगले चार वर्षों के लिए अवैध, गैर-सूचित और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने पर 'हानिकारक' सब्सिडी को रोकने के लिए एक बहुपक्षीय समझौता पारित किया गया था। **वैश्विक खाद्य सुरक्षा:** • इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिए खरीदे गए भोजन को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने के बाध्यकारी निर्णय पर सहमत हुए। • फिर भी, देशों को खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित घरेलू खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं तक सीमित रखने की अनुमति होगी। **कोविड -19 वैक्सीन उत्पादन:** • सदस्यों ने 5 साल के लिए पेटेंट धारक की सहमति के बिना कोविड -19 टीकों के उत्पादन के लिए पेटेंट की विषय वस्तु के उपयोग को अधिकृत करने पर सहमत व्यक्त की, ताकि वे घरेलू स्तर पर अधिक आसानी से उनका निर्माण कर सकें। • छूट में निदान और उपचार जैसे सभी चिकित्सा उपकरण शामिल नहीं थे। **ई-कॉमर्स लेनदेन:** • सभी सदस्य बाद के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक ई-कॉमर्स प्रसारण पर सीमा शुल्क पर लंबे समय से रोक जारी रखने पर सहमत हुए। **<u>भारत का हित सुरक्षित:</u>** • भारत और अन्य विकासशील देश मछली पकड़ने की सब्सिडी पर कुछ रियायतें प्राप्त करने में सफल रहे। • उन्होंने प्रस्ताव के एक हिस्से को हटाने के लिए सफलतापूर्वक पैरवी की जिससे कुछ सब्सिडी को खतरा होगा जो छोटे पैमाने पर पारंपरिक मछुआरें मछली पकड़ने में सहायता करेगा। • समझौते में यह माना गया है कि विकासशील या अल्प-विकसित देशों द्वारा उनके अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए दी गई या अनुरक्षित सब्सिडी पर कोई सीमा नहीं होगी। **इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर वर्तमान स्थगन बढ़ा दिया गया है:** • सदस्य देश MC13 तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन (electronic transmission -ET) पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर मौजूदा स्थगन का विस्तार करने पर सहमत हुए। • इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में संगीत, ई-किताबें, फिल्म, सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम जैसी ऑनलाइन डिलीवरी शामिल हैं। वे अन्य सीमा-पार ई-कॉमर्स से भिन्न हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है लेकिन फिजिकली (physically) वितरित नहीं किया जाता है।
2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट (2022 Resilient Democracies Statement)	**चर्चा में क्यों :** भारत, G7 देशों और चार अन्य देशों के साथ, एक बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें "नागरिक समाज के अभिनेताओं की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा" और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता की रक्षा करने का आह्वान किया गया। • प्रधानमंत्री द्वारा G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद "2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट" पर

	हस्ताक्षर किए गए थे। • भारत के अलावा, बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में जर्मनी, अर्जेंटीना, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ थे। • हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र "खुली सार्वजनिक बहस, स्वतंत्र और बहुलवादी मीडिया" और "ऑनलाइन और ऑफलाइन सूचना के मुक्त प्रवाह" को सक्षम बनाता है, नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए वैधता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही को समान रूप से बढ़ावा देता है। और वे इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए तैयार हैं। **प्रमुख संकल्प (Key Resolutions):** • ऑनलाइन और ऑफलाइन अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता की रक्षा करना। • एक खुला, मुफ़्त, वैश्विक, इंटरऑपरेबल, विश्वसनीय और सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करना। • डिजिटल अवसंरचना के साइबर लचीलेपन को बढ़ाना। • दुष्प्रचार सहित, विशेष रूप से सूचना हेरफेर और हस्तक्षेप में हाइब्रिड खतरों का मुकाबला करना। • सूचना हेरफेर का सामना करने के लिए सहयोग करना, सटीक जानकारी को बढ़ावा देना, और दुनिया भर में हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करना। • एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से, और डिजिटल कौशल और डिजिटल साक्षरता को मजबूत करके, विश्वसनीय और भरोसेमंद जानकारी और डेटा के विविध स्रोतों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन पहुंच को बढ़ावा देना। • हिंसक, चरमपंथी और ऑनलाइन उकसाने वाली सामग्री का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की कार्रवाइयों के बारे में पारदर्शिता बढ़ाना। • नागरिक समाज के अभिनेताओं की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करना, नागरिक स्थान के लिए खतरों के विरुद्ध बोलना, और संघ तथा शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का सम्मान करना। • सरकार, समाज और मीडिया में विश्वास को कम करने की कोशिश करने वाले घातक विदेशी हस्तक्षेप और अंतरराष्ट्रीय दमन के कृत्यों के खिलाफ लचीलापन बनाना, नागरिक स्थान को कम करना और महत्वपूर्ण आवाजों को शांत कराना। • मानवाधिकार रक्षकों और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।
ब्लू पैसिफिक में भागीदार (Partners in the Blue Pacific)	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में अमेरिका और उसके सहयोगियों - ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने क्षेत्र के छोटे द्वीप राष्ट्रों के साथ "प्रभावी एवं कुशल सहयोग" के लिए 'पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक' (Partners in the Blue Pacific-PBP) नामक एक नई पहल शुरू की है। **पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक (PBP) पहल क्या है?** • पीबीपी प्रशांत द्वीपों का समर्थन करने और क्षेत्र में राजनयिक, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पांच देशों का "अनौपचारिक तंत्र" है। • यह निकट सहयोग के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र में "समृद्धि, लचीलापन और सुरक्षा" बढ़ाने पर केंद्रित है। • पीबीपी के माध्यम से ये देश एक साथ और व्यक्तिगत रूप से चीन के आक्रामक आउटरीच का मुकाबला करने के लिए यहां अधिक संसाधनों को निर्देशित करेंगे।

	• पहल के सदस्यों ने यह भी घोषणा की है कि वे "प्रशांत क्षेत्रवाद को बढ़ावा देंगे", और प्रशांत द्वीप समूह फोरम के साथ मजबूत संबंध कायम करेंगे। • जिन क्षेत्रों में पीबीपी का उद्देश्य सहयोग बढ़ाना है, उनमें "जलवायु संकट, संपर्क और परिवहन, समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और शिक्षा" शामिल हैं। **प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF):** o पैसिफिक आइलैंड फोरम वर्ष 1971 में स्थापित एक 'अंतर-सरकारी संगठन' है। o इस संगठन का उद्देश्य फोरम सदस्य सरकारों के समर्थन में काम करना है, सरकारों के बीच और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर दक्षिण प्रशांत के लोगों की आर्थिक और सामाजिक भलाई को बढ़ाना है। o संगठन का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता मेजबान देश करता है। o इस शिखर सम्मेलन क्षेत्र में नीतियों के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित निर्णयों के बारे में चर्चा होती है। फोरम में 18 सदस्य हैं, जो इस प्रकार हैं- इसमें ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूज़ीलैंड, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड्स गणराज्य, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु और वानुअतु।

इतिहास, कला और संस्कृति

तेलंगाना विद्रोह और आंदोलन	**तेलंगाना विद्रोह** • तेलंगाना विद्रोह किसानों के एक समूह द्वारा वर्ष 1945 के अंत में प्रचलित जागीरदारी प्रणाली के खिलाफ शुरू किया गया था, जहां कुछ अधिकारियों में राजस्व एकत्र करने और कुछ भूमि जोतों को नियंत्रित करने की शक्ति स्थापित की गई थी। • यह कॉमरेड्स एसोसिएशन (Comrades Association) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध था, विद्रोह हिंसक हो गया और कासिम रिज़वी के नेतृत्व वाले मिलिशिया रजाकारों से भिड़ गया (clashed)। **राज्यों का भाषाई पुनर्गठन:** • वर्ष 1955 में, राज्य पुनर्गठन समिति ने सिफारिश की कि हैदराबाद को भाषाई रूप से पुनर्गठित किया जाए। • आंध्र ने आंध्र राज्य को एकीकृत करने की इच्छा व्यक्त की थी और तेलंगाना के आदेश को विशालंध्र (Vishalandhra) बनाने के लिए, हालांकि SRC इसके खिलाफ था। • उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करने पर, आंध्र राज्य और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य में विलय कर दिया गया, जिसमें हैदराबाद शहर को राजधानी बनाया गया। **'मुल्की नियम' आंदोलन:** • तेलंगाना क्षेत्र में भी मुल्की नियम थे, जो यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय थे कि मुल्की या मूल निवासियों को सरकारी नौकरी हासिल करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। • मुल्की के रूप में वर्गीकृत होने के लिए नियमों में 4 शर्तें पूरी की जानी थीं। जब 1952 में, हैदराबाद सरकार ने बड़ी संख्या में गैर-मुल्किओं को सरकारी पदों पर स्वीकार किया, तो विरोध शुरू हो गया। • जनवरी 1969 एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि आंध्र प्रदेश के गठन की अनुमति देने के लिए फरवरी 1956 में तेलंगाना और आंध्र राज्य के बीच जेंटलमेन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन पर आंध्र प्रदेश ने व्यापक छात्र विरोध देखा। **तेलंगाना राज्य के लिए कॉल:** • वर्ष 1969 में पृथक तेलंगाना राज्य की मांग को आगे बढ़ाने के लिए तेलंगाना प्रजा समिति (Telangana Praja Samiti) का गठन किया गया था। • वर्ष 1972 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुल्की नियमों को बरकरार रखा, जय आंध्र आंदोलन (Jai Andhra movement) ने एक अलग आंध्र राज्य की मांग की, जिससे जनवरी 1973 में राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन कर दिया गया। **तेलंगाना आंदोलन और KCR** • के. चंद्रशेखर राव ने वर्ष 2001 में आंदोलन को पुनर्जीवित किया जब उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी - तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य एक अलग तेलंगाना की स्थापना करना था।

	• वर्षों की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंततः 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ।
संत तुकाराम मंदिर (The Sant Tukaram Temple)	**चर्चा में क्यों :** भारत के प्रधानमंत्री ने पुणे जिले के मंदिर शहर देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया। • यह शिला मंदिर एक चट्टान को संदर्भित करता है, जो वर्तमान में देहू संस्थान मंदिर परिसर में है, और सदियों से पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा 'वारी' का प्रारंभिक बिंदु रहा है। **शिला मंदिर:** • भक्ति संत तुकाराम लगातार 13 दिनों तक इस चट्टान के टुकड़े पर बैठे थे, जब उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए अभ्यंगों की प्रामाणिकता के बारे में चुनौती दी थी। • जिस चट्टान पर संत तुकाराम महाराज 13 दिन बैठे थे, वही पवित्र और वारकरी संप्रदाय का तीर्थ है। **वारकरी संप्रदाय:** • संत तुकाराम और उनके कार्य पूरे महाराष्ट्र में फैले वारकरी संप्रदाय के केंद्र में हैं। • उन्होंने जातिविहीन समाज के बारे में उनके संदेश और रीति-रिवाजों को इंकार ने एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। • संत तुकाराम को वारी तीर्थयात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। • वारी लाखों भक्तों को देहू और आलंदी के मंदिरों के शहरों में इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जो क्रमशः संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की पादुकाओं के साथ पंढरपुर के लिए शुरू होते हैं। **तुकाराम (1608-1650):** • तुकाराम का जन्म भारतीय राज्य महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम तुकाराम बोल्होबा अम्बिले था। • उनके गुरु भक्ति आंदोलन के संत चैतन्य महाप्रभु थे। • वह मराठा शासक शिवाजी महाराज और एकनाथ एवं रामदास जैसे संतों के समकालीन थे। • उनकी कविता विष्णु के अवतार विठोबा या विट्ठल को समर्पित थी। • वह अपने मराठी अबांगों (दोहों) के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जो गाथा - भक्ति कविता की समृद्ध विरासत हैं। • उन्होंने कीर्तन नामक आध्यात्मिक धुनों के माध्यम से समुदाय आधारित पूजा पर जोर दिया। उन्होंने

	पवित्रता, क्षमा और आंतरिक शांति के गुणों को बढ़ावा दिया। ● वे जाति और लैंगिक अन्याय के मुखर आलोचक थे। ● तुकाराम को भागवत परंपरा का शिखर माना जाता है, जिसकी शुरुआत नामदेव से हुई थी।
अहोबिलम (Ahobilam)	**संदर्भ:** 'नव नरसिम्हा' अहोबिलम के पीठासीन देवता पर एक विषयगत नृत्य उत्पादन है। ● अहोबिलम एक छोटा सा गांव है, जो भगवान नरसिंह स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अहोबिलम मंदिर भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को समर्पित है। ● आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित 108 दिव्य देसमों में से एक अहोबिलम, या सिंगवेझकुंड्रम में देवता के लिए नौ अलग-अलग मंदिर हैं, जो निचले और ऊपरी अहोबिलम में विभाजित हैं, जिनमें से कुछ पहाड़ी इलाके में और कुछ घने जंगल के बीच में स्थित हैं। ● स्थल पुराण के अनुसार, अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए यह भयंकर रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह दैत्य हिरण्यकश्यप को हराने के लिए अहोबिलम आए थे। ● इसके अलावा, अहोबिलम में प्रचुर मात्रा में स्थापत्य और अभिलेखीय साक्ष्य हैं, जो आठवीं शताब्दी ईस्वी में चालुक्यों के समय से ही पुराने हैं। ● नलयिरा दिव्यप्रभंडम, अबीथी स्तवम, नारायणीयम, अवंतिका परिनयम (अहोबिला मठ के सातवें जीर यतीन्द्र महादेसिकन द्वारा लिखित संस्कृत नाटक, महालक्ष्मी (चेंचू लक्ष्मी) के साथ नरसिंह (अहोबलेश्वर) के विवाह के बारे में), अष्टपदी, करावलम्बा स्तोत्रम, और अन्नामाचार्य कृति, कुछ ऐसे भजन हैं जो देवताओं के विभिन्न गुणों को उजागर करते हैं। ● तेलुगु लोक गीत, (अपर्णा श्रीकांत के परामर्श से चुने गए), जो उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं, अहोबिलम में चेंचू जनजाति (Chenchu tribe) के महत्व को दर्शाते हैं। ● पवित्र अहोबिलम मंदिर का निर्माण भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के पदचिह्न पर किया गया था, जिसकी माप 5 फीट 3 इंच थी।
गुलाबी मीनाकारी और वाराणसी लकड़ी के लाह के बर्तन और खिलौने	**चर्चा में क्यों :** प्रधानमंत्री G7 नेताओं में से प्रत्येक के लिए कलात्मक उपहारों का ढेर साथ ले गए थे। **गुलाबी मीनाकारी:** ● गुलाबी मीनाकारी भारत में दुर्लभ शिल्पों में से एक है जो वाराणसी में प्रचलित है। ● इस कला को मुगल काल के दौरान फारसी एनामेलिस्टों द्वारा वाराणसी शहर में लाया गया था। ● मीनाकारी फारस की एक कला है और इसमें विभिन्न रंगों को मिलाकर धातुओं की सतह को रंगना शामिल है। ● वाराणसी में, यह गहनों और घर की साज-सज्जा की वस्तुओं पर प्रचलित है। ● इसे वर्ष 2015 में जीआई टैग दिया गया था।

	वाराणसी लकड़ी के लाह के बर्तन और खिलौने • वाराणसी लकड़ी के लाह के बर्तन और खिलौने एक प्राचीन शिल्प है, जहां खिलौने लकड़ी में पक्षियों, जानवरों, आर्केस्ट्रा और बक्से में पैक किए गए नृत्य कलाकारों के सेट के साथ बनाए जाते हैं। • पूर्व में साल या शीशम का इस्तेमाल खिलौने बनाने में किया जाता था, लेकिन कीमत बढ़ने के कारण अब हल्की लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेंट चमकीले होते हैं और आमतौर पर प्राथमिक रंगों में लगाए जाते हैं।

चर्चित व्यक्ति

प्रशांत चंद्र महालनोबिस	**चर्चा में क्यों:** 29 जून, भारत के 'प्लान मैन', प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए योगदान की स्मृति में, राष्ट्रीय 'सांख्यिकी दिवस' है। • राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (National Statistical System) की स्थापना में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिये इनकी जयंती (29 जून) को हर साल सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। • ये दिन भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रो प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। • सांख्यिकी दिवस, 2022 का विषय 'सतत विकास के लिए डेटा' है। • इस अवसर पर, MoSPI ने प्रो. पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रो. पी.वी. सुखात्मे पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की। **प्रशांत चंद्र महालनोबिस (1893-1972):** • उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute- ISI) की स्थापना की, योजना आयोग को आकार दिया (जिसे 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया)। • उन्होंने 'फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस' नामक एक सांख्यिकीय पद्धति भी तैयार की, जिसका उपयोग विभिन्न समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बीच तुलना करने के लिये किया जाता है। **योगदान:** • महालनोबिस दूरी: 1930 में उन्होंने पहली बार महालनोबिस दूरी का प्रस्ताव रखा, जो दो डेटा सेट के बीच तुलना हेतु एक माप है। • भारतीय सांख्यिकी संस्थान: 1932 में उन्होंने कोलकाता में ISI की स्थापना की। • जर्नल: 1933 में उन्होंने 'सांख्य: द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स' शुरू किया। • उन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) की स्थापना की और 1950 में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। • 1955 में वे योजना आयोग के सदस्य बने। • उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत में औद्योगीकरण और विकास का खाका तैयार किया।

भूगोल

कैलिनिनग्राद (Kaliningrad)	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में रूस ने कैलिनिनग्राद के रूसी क्षेत्र में कुछ सामानों के रेल हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने के बाद लिथुआनिया को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। **कैलिनिनग्राद:** ● कैलिनिनग्राद पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित एक रूसी उत्खनन है। ● इसे अप्रैल 1945 में नाजी जर्मनी से सोवियत सैनिकों ने कब्जा कर लिया और फिर पॉट्सडैम समझौते के परिणामस्वरूप सोवियत क्षेत्र का हिस्सा बन गया। ● वर्ष 1946 में इसका नाम बदलकर जर्मन कोनिग्सबर्ग कर दिया गया। **कैलिनिनग्राद का महत्व:** ● कैलिनिनग्राद बाल्टिक सागर पर एकमात्र रूसी बंदरगाह है जो साल भर बर्फ मुक्त रहता है और राष्ट्रीय नौसैनिक बेड़े के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्षेपण बिंदु है। ● इसकी सामरिक स्थिति जहाजों को आर्कटिक महासागर के माध्यम से यात्रा करने वाले उत्तरी मार्ग के माध्यम से स्कैंडिनेविया को परिचालित करने से रोकती है।
मोर्टारा (इटली)	● इटली ने 70 वर्षों में सबसे खराब सूखे का सामना किया है, पो घाटी में धान के खेतों की प्यास और रिसोट्टो के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रीमियम चावल की फसल को खतरे में डाल रहा है। ● इटली की सबसे बड़ी नदी बारिश की कमी के कारण रेत के लंबे खंड में बदल रही है, जिससे लोमेलिना चावल के फ्लैट - पो और आल्प्स नदी के बीच बसे - बिना आवश्यक पानी के पेडों में बाढ़ आ गई। ● वर्षा की कमी ने विभिन्न इतालवी क्षेत्रों के राज्यपालों को पानी के संरक्षण और न्यूनतम संसाधनों के प्रबंधन के समन्वय के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित करने के लिए प्रेरित किया है **पो नदी बेसिन:** ● पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी (661 किमी) है। ● यह मोंटे विसो के पियान डेल रे से निकलती है, और वेनिस के पास एड्रियाटिक सागर तक पूर्व की ओर

	बहती है। • इस बेसिन में आबादी 17 मिलियन के करीब है, जो इटली की आबादी का लगभग 1/3 है। • पो मैदान का मुख्य भूमि उपयोग गहन कृषि है।
क्रेमेनचुक और मायकोलाइव (यूक्रेन)	• दो रूसी मिसाइलें यूक्रेन के क्रेमेनचुक शहर के भीड़-भाड़ वाले शॉपिंग सेंटर में टकराई। • रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के मायकोलाइव क्षेत्र में ठिकानों को निशाना बनाया। 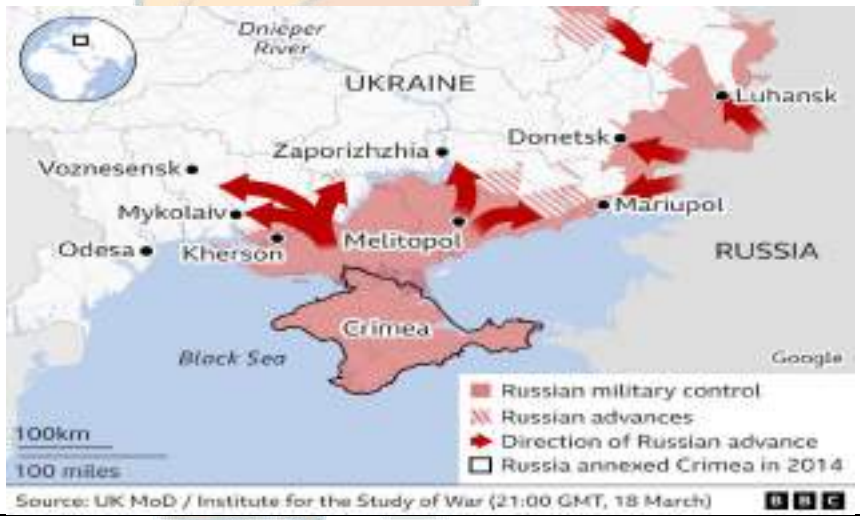
चुलियार बांध (Chulliyar Dam)	• चुलियार बांध पलक्कड़ (केरल) में प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। • वर्ष 1960 में निर्मित, यह चुलियार नदी पर बना है, जो गायत्रीपुझा नदी की सहायक नदियों में से एक है। • गायत्रीपुझा, भरतपुझा नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है, जो दक्षिण भारत के केरल में दूसरी सबसे लंबी नदी है। • निकटवर्ती नेल्लियंपथी पर्वत इस इलाके के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देते हैं।
एजियन सागर और द्वीप समूह (Aegean sea & Islands)	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस को एजियन सागर में द्वीपों से अपनी सेना हटाने की चेतावनी दी है। • तुर्की का कहना है कि ग्रीस उन संधियों का उल्लंघन कर सैन्य उपस्थिति का निर्माण कर रहा है जो एजियन द्वीपों की निहत्थे स्थिति की गारंटी देती हैं। • तुर्की ने तर्क दिया कि द्वीपों पर किसी प्रकार की सैन्य गतिविधि न करने की शर्त पर इसे ग्रीस को सौंपा गया था।

	• ग्रीस और तुर्की नाटो के सहयोगी हैं, लेकिन पड़ोसी देशों में कई मुद्दों पर विवादों का इतिहास रहा है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर में खनिज अन्वेषण और एजियन सागर में प्रतिद्वंद्वी दावे शामिल हैं। **एजियन सागर** • यह यूरोप और एशिया के बीच भूमध्य सागर का एक लम्बा तटबंध है। • यह बाल्कन और अनातोलिया के बीच स्थित है, और लगभग 215,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। • उत्तर में, एजियन मर्मारा सागर और काला सागर से डार्डानेल्स तथा बोस्फोरस के जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है। • एजियन द्वीप समुद्र के भीतर हैं और कुछ इसे क्रेते और रोड्स समेत दक्षिणी परिधि पर बंधे हैं। **एजियन द्वीप समूह:** • एजियन द्वीप समूह, एजियन सागर में द्वीपों का समूह है, जिसकी मुख्य भूमि पश्चिम और उत्तर में ग्रीस और पूर्व में तुर्की है; क्रेते द्वीप दक्षिण में समुद्र को, रोड्स, कारपाथोस और कासो को दक्षिण-पूर्व में परिसीमित करता है। • एजियन द्वीप समूह का अधिकांश भाग यूनान का है, जो नौ प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित है। • एजियन सागर में तुर्की की एकमात्र बड़ी संपत्ति समुद्र के उत्तरपूर्वी भाग में इम्ब्रोस और टेनेडोस हैं। तुर्की के पश्चिमी तट से दूर कई छोटे टापू भी तुर्की की संप्रभुता के अधीन हैं।
सावा झील (इराक)	**चर्चा में क्यों :** इस साल सदियों पुराने इतिहास में पहली बार सावा झील सूख गई है। • स्थानीय निवेशकों द्वारा कुप्रबंधन, सरकार की उपेक्षा और जलवायु परिवर्तन के संयोजन ने इसके नीला तटों को नमक के टुकड़ों में बदल दिया है।

	सावा झील के बारे में • सावा झील यूफ्रेट्स नदी के पास मुथन्ना के इराकी शासन में स्थित एक एंडोरेइक बेसिन है। • इस झील का कोई प्रवेश या निकास नहीं है, लेकिन यह संयुक्त दरारों और दरारों की एक प्रणाली के माध्यम से यूफ्रेट्स से पानी खींचती है जो इसके नीचे जलभृतों तक पानी पहुंचाती है। • इसके खारे पानी के कारण झील में या इसके किनारों पर कोई पौधे नहीं उगते। इसमें मछली और शैवाल सबसे महत्वपूर्ण जलीय जीव हैं।
स्नेक आइलैंड	**संदर्भ:** यूक्रेन ने काला सागर में ज़मीनी द्वीप, जिसे 'स्नेक आइलैंड' भी कहा जाता है, पर हवाई हमलों में रूसी सेना को गंभीर क्षति पहुँचाई है। **सामरिक द्वीप (Strategic island):** • ज़मीनी द्वीप, जिसे स्नेक या सर्पेंट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह 700 मीटर से कम आकार की चट्टान का एक छोटा टुकड़ा है, जिसे "एक्स-आकार" के रूप में वर्णित किया गया है। • यह काला सागर में तट से 35 किमी. दूर डेन्यूब के मुहाने के पूर्व में और ओडेसा के बंदरगाह शहर के लगभग दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। • द्वीप को मानचित्र पर 'विलेज ऑफ बाइल' द्वारा चिह्नित किया गया है, यह यूक्रेन के अंतर्गत आता है। **काला सागर:** • काला सागर (Black Sea), जिसे ईक्सिन सागर (Euxine Sea) के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के प्रमुख जल निकायों और प्रसिद्ध अंतर्देशीय सागरों में से एक है। • काला सागर केर्च जलडमरूमध्य द्वारा आज़ोव सागर से भी जुड़ा हुआ है। **प्रसिद्ध जल निकाय** • उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन • उत्तर में क्रीमिया • पूर्व में रूस और जॉर्जिया • दक्षिण में तुर्की, और • पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया, जो बोस्फोरस के माध्यम से मर्मारा सागर से और फिर डार्डानेल्स के माध्यम से एजियन से जुड़ते हैं। • यह एक मेरोमिक्टिक बेसिन वाला सबसे बड़ा जल निकाय है। • जिसका अर्थ है कि यहाँ समुद्र की निचली और ऊपरी परतों के बीच जल की आवाजाही एक दुर्लभ घटना है जो इसके जल के एनोक्सिक (यानी जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी) होने के लिए भी उत्तरदायी है।

सुपरमून

चर्चा में क्यों : सुपरमून को विश्व भर में अलग-अलग समय क्षेत्रों में देखा गया।

- सुपरमून तब होता है, जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे निकट होती है और साथ ही यह आकार में पूर्ण होता है।
- जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, जिसे उपभू (perigee) कहा जाता है।
- और जब दोनों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है उसे अपभू (apogee) कहा जाता है।
- पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की कम से कम दूरी के बिंदु पर दिखाई देता होता है, तो इस समय यह न केवल अधिक चमकीला दिखाई देता है, बल्कि यह सामान्य पूर्णिमा से भी बड़ा होता है।
- एक सामान्य वर्ष में, दो से चार पूर्ण सुपरमून और एक पंक्ति में दो से चार नए सुपरमून हो सकते हैं।
- नासा के अनुसार, सुपरमून शब्द 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल (Richard Nolle) द्वारा दिया गया था।

आकाशीय बिजली (Lightning)

संदर्भ: देशभर में बिजली गिरने से कई मौतों की सूचना मिल रही है।

- सभी वायुमंडलीय घटनाओं में, बिजली शायद सबसे खतरनाक और रहस्यमय है।
- भारत में हर साल बिजली गिरने से करीब 2,000-2,500 लोगों की मौत हो जाती है।

आकाशीय बिजली क्या है?

- वैज्ञानिक रूप से, यह वायुमंडल में विद्युत का त्वरित और व्यापक पैमाने पर होने वाला डिस्चार्ज है। आकाशीय बिजली की घटना के बाद कुछ विद्युत धारा की दिशा पृथ्वी की सतह की ओर हो जाती है।
- ये विद्युत डिस्चार्ज 10-12 कि.मी. लंबवत आकार के विशाल नमी वाले बादलों में उत्पन्न होते हैं।
- इन बादलों का आधार आमतौर पर पृथ्वी की सतह के 1-2 किमी के भीतर होता है, जबकि शीर्ष 12-13 किमी दूर होता है।
- इन बादलों के शीर्ष पर तापमान -35° से –45°C तक होता है।
- जैसे ही जलवाष्प ऊपर की ओर उठने की प्रवृत्ति रखता है, यह तापमान में कमी के कारण जल में परिवर्तित हो जाता है।
- जैसे-जैसे वे शून्य से कम तापमान की ओर बढ़ते हैं, जल की बूंदें छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती हैं।
- वे ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं, वे तब तक एक बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती जाती हैं, जब तक कि वे इतने भारी न हो जाए कि नीचे गिरना शुरू कर दें।
- यह एक ऐसी प्रणाली की ओर गति करती है जहाँ बर्फ के छोटे क्रिस्टल ऊपर की ओर, जबकि बड़े क्रिस्टल नीचे की ओर गति करते हैं।
- इसके चलते इनके मध्य टकराव होता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यह विद्युत स्पार्क के समान कार्य करता है।
- गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों में और अधिक टकराव होता जाता है एवं इलेक्ट्रॉन बनते जाते हैं; यह एक चेन रिएक्शन का निर्माण करता है।
- इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बादल की ऊपरी परत धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, जबकि मध्य परत ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है।
- दो परतों के बीच विद्युत संभावित अंतर एक अरब से 10 अरब वोल्ट के क्रम में बहुत बड़ा है।
- बहुत कम समय में, परतों के बीच 100,000 से एक मिलियन एम्पीयर के क्रम में एक विशाल विद्युतधारा बहने होने लगती है।
- जबकि पृथ्वी विद्युत की सुचालक है, यह विद्युत रूप से तटस्थ है।
- हालांकि, बादल की मध्य परत की तुलना में, यह धनात्मक रूप से आवेशित हो जाता है।
- परिणामस्वरूप, लगभग 15% -20% धारा पृथ्वी की ओर हो जाती है।
- यह धारा का प्रवाह है जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है।
- प्रत्यक्ष बिजली के झटके दुर्लभ होते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष हमले भी घातक होते हैं क्योंकि इसमें भारी मात्रा में चार्ज शामिल (charge involved) होता है।

पर्यावरण

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (Valmiki Tiger Reserve)

चर्चा में क्यों : हाल ही में बिहार के वन विभाग ने आवारा, परित्यक्त और घायल हाथियों के पुनर्वास के लिए बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में हाथी बचाव केंद्र की स्थापना की है।

- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम बिहार के चंपारण जिले में 899 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है।
- यह हाथियों के निवास के लिए अधिक वातावरण प्रदान करता है।
- नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से कई हाथी वीटीआर में भटक गए।

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में :

- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में एकमात्र बाघ अभयारण्य है और भारत के हिमालयी तराई जंगलों की पूर्वी सीमा बनाता है।
- जंगल में भाबर और तराई क्षेत्रों का मिश्रण है और यह गंगा के मैदानों के जैव-भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है।
- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन अभ्यारण्य शामिल है। यह टाइगर रिजर्व भारत का 18 वा टाइगर रिजर्व है और बाघों की आबादी के मामले में चौथे स्थान पर है।
- बाघ अभयारण्य नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा साझा करता है।
- यह पार्क दो नदियों द्वारा विभाजित है: गंडक और मसान नदी।
- यह वाल्मीकिनगर में भारत में प्रवेश करती है, जहां यह पवित्र त्रिवेणी संगम बनाने के लिए दो नालों, सोनहा और पचनाड से जुड़ती है।
- वाल्मीकि नेशनल पार्क में वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रेणी पाई जा सकती है। नमी वाले साल वन, शुष्क-असर वाले साल वन, साल, मिश्रित पर्णपाती वन और गिले घास के मैदान साथ-साथ उष्णकटिबंधीय मौसमी दलदली जंगल बनाते है।

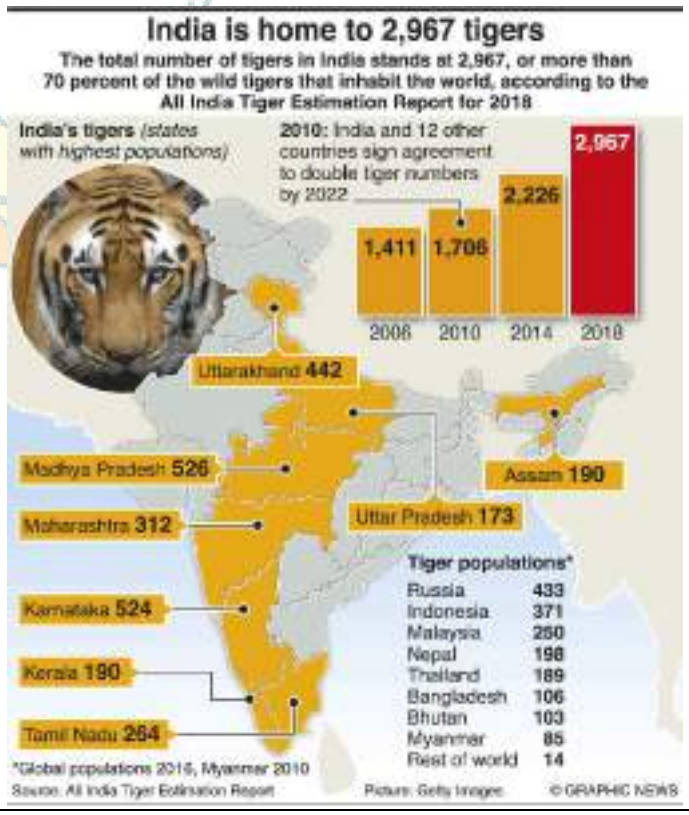

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवजंतु:

स्तनधारी: बाघ, गैंडा, काला भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली भैंस, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, तेंदुआ बिल्ली, जंगली बिल्ली, आदि।

दीपोर बील (Deepor Beel)

चर्चा में क्यों : असम की दीपोर बील कंक्रीटीकरण और कचरा डंपिंग से नष्ट हो रही है।

- वर्ष 1991 के बाद से दीपोर बील का आकार लगभग 35 प्रतिशत सिकुड़ गया है।

क्या हो रहा है?

- **संकटग्रस्त आवास, अटी पड़ी झील (Threatened habitats, littered lake):**
  - बोरागांव में झील के पूर्व में 24 हेक्टेयर का कचरा डंपिंग यार्ड है। पक्षी और जानवर इस साइट से सड़े हुए मांस और कचरे को खाते हैं, जल निकायों में कूड़ा करते है और अपने जीवन को खतरे में डालते हैं।
  - आर्द्रभूमि पर अवैध रूप से निर्मित कंक्रीट के कारखाने, घर और गोदाम है।
- **रेल ट्रैक वन्यजीवों को प्रभावित करता है-**
  - इस पक्षी अभयारण्य से गुजरने वाली एक रेलवे लाइन भी झील और उसके आसपास के वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
  - रानी रिजर्व फॉरेस्ट और दीपोर बील के बीच वर्ष 2014 तक रेलवे ट्रैक पार करते हुए कम से कम 14 जंबो (jumbos) मारे गए।
- **खोई हुई आजीविका**
  - झील के खराब होने से कई सौ मछुआरों की आजीविका को नुकसान हुआ है जो सदियों से इस पर निर्भर हैं। सरकार ने झील के मुख्य क्षेत्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  - स्थानीय तेल रिफाइनरी से निकलने वाला पानी झील के पानी को और अधिक प्रदूषित कर रहा है तथा मछली में मिट्टी के तेल जैसी गंध पैदा कर रहा है।

दीपोर बील के बारे में:

- यह असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के अलावा राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है।
- यह गुवाहाटी शहर, असम के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल है।

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

चर्चा में क्यों : प्रदेश में अवैध खनन को समाप्त करने के लिए चंबल अभयारण्य के कुछ हिस्सों में इसे वैध बनाने की

(National Chambal sanctuary)	योजना बनाई जा रही है। • राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध खनन से लड़ने में अपने वन विभाग को बहुत अधिक समय, संसाधन और प्रयासों से मुक्त करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल और उसकी सहायक पार्वती नदियों पर पांच खंडों में खनन के लिए 292 हेक्टेयर खोलने का प्रस्ताव रखा है। • अभयारण्य में रेत खनन पर 2006 से प्रतिबंध लगा हुआ है। **राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में :** • राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1979 में एक नदी अभयारण्य के रूप में चंबल नदी की लगभग 425 किमी लंबाई और नदी के किनारे 2-6 किमी चौड़ी घाटियों के साथ की गई थी। • राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल प्रजाति गेवियलिस गैंगेटिकस (घड़ियाल) की प्रजाति पुनरुत्पादन कार्यक्रम का मुख्य क्षेत्र है। • राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य तीन राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। • चंबल जंगलों में घड़ियाल की सबसे बड़ी आबादी है। • प्लैटानिस्टा गैंगेटिका को देखने के लिए कुछ स्थानों में से एक - गंगेटिक डॉल्फ़िन भी है। • राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है। • चंबल 320 से अधिक निवासी और प्रवासी पक्षियों का प्रवास है।
फिशिंग कैट सर्वेक्षण (Fishing Cat Survey)	**चर्चा में क्यों :** फिशिंग कैट प्रोजेक्ट (TFCP) के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी (CDA) द्वारा दुनिया की पहली फिशिंग कैट सेंसस आयोजित की गई। • दुनिया की पहली फिशिंग कैट की जनगणना का जनसंख्या अनुमान ओडिशा के चिल्का में आयोजित किया गया था। • एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून चिल्का झील में मछली पकड़ने वाली 176 फिशिंग कैट्स की मौजूदगी है। **फिशिंग कैट्स के बारे में :** • यह घरेलू बिल्ली के आकार से दोगुनी है। • **वैज्ञानिक नाम:** प्रियनैलुरस विवरिनस • मछली पकड़ने वाली फिशिंग कैट्स एक कुशल तैराक है और शिकार करने के लिए अक्सर पानी में जाती है। • आवास: आर्द्रभूमि फिशिंग कैट का पसंदीदा आवास है। भारत में, फिशिंग कैट मुख्य रूप से सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में, हिमालय की तलहटी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों और पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं। • फिशिंग कैट्स रात्रिचर (रात में सक्रिय) होती है और मछली के अलावा मेंढक, क्रस्टेशियंस, साँप, पक्षी तथा बड़े जानवरों के शवों पर उपस्थित अपमार्जकों का भी शिकार करती है। • यह प्रजाति वर्ष भर प्रजनन करती है। • यह पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है।

संरक्षण की स्थिति

- **IUCN की रेड लिस्ट:** लुप्तप्राय
- **साइट्स (CITES):** परिशिष्ट II
- **भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I

चिल्का झील:

- चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है।
- यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है।
- वर्ष 1981 में, चिल्का झील को रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था।
- चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉलफिन (Irrawaddy Dolphins) हैं जिन्हें अक्सर सातपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है।
- लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किमी. में फैला नलबाना द्वीप (फारेस्ट ऑफ रीडस) को वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था।
- चिल्का झील कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अराल सागर, रूस के सुदूर भागों, मंगोलिया के किर्गिज़ स्टेप्स आदि से हजारों मील दूर से प्रवास करने वाले पक्षियों की मेजबानी करती है।
- **कालिजई मंदिर:** यह मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है।

चीतों का पुनरुत्पादन (Reintroduction of Cheetahs)

संदर्भ: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि भारत इस साल अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाने के लिए तैयार है।

- चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो मुख्य रूप से शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण भारत में विलुप्त हो गया है।
- वर्ष 1952 में, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया।

विलुप्त होने के कारण:

चीतों का शिकार

- सदियों से, शिकार भारत में रॉयल्टी के लिए एक पसंदीदा गतिविधि थी।
- चीता को वश में करना अपेक्षाकृत आसान और बाघों से कम खतरनाक था, का उपयोग अक्सर भारतीय कुलीन वर्ग द्वारा स्पोर्ट हंटिंग (sport-hunting) के लिए किया जाता था।
- बादशाह अकबर, जिसने 1556-1605 तक शासन किया, विशेष रूप से इस गतिविधि के शौकीन थे और कुल मिलाकर 9,000 चीतों को इकट्ठा करने का रिकॉर्ड रहा है।

- शिकार के लिए जंगली चीतों को पकड़ने और उन्हें कैद में रखने में कठिनाई के कारण अंग्रेजों के आने से पहले ही चीतों की जनसंख्या में गिरावट आ रही थी।

ब्रिटिश राज के तहत विलुप्त होने के करीब

- बाघ ब्रिटिश शिकार के लिए पसंदीदा जानवर थे, भारतीय और ब्रिटिश "खेल" शिकारी भी चीतों को निशाना बनाते थे।
- इस बात के प्रमाण हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों ने जानवर को "कीड़े (vermin)" के रूप में माना और कम से कम 1871 के बाद से चीतों को मारने के लिए मौद्रिक पुरस्कार भी वितरित किए।

विशेषताएं	एशियाई चीता	अफ्रीकन चीता
भौतिक विशेषताएं	छोटे और हलके। सिर छोटा और गर्दन लंबी। आमतौर पर लाल आंखें होती हैं और उनकी उपस्थिति बिल्ली जैसी होती है।	एशियाई चीते की तुलना में इनका आकार बड़ा होता है।
चित्र		
वितरण	40-50 के लगभग केवल ईरान में पाए जाते हैं।	जंगलों में लगभग 6,500-7,000 अफ्रीकी चीते मौजूद हैं।
स्थिति	**IUCN स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त **CITES:** सूची का परिशिष्ट-I	**IUCN स्थिति:** कमजोर (Vulnerable) **CITES:** सूची का परिशिष्ट-I

विश्व का सबसे बड़ा पौधा

चर्चा में क्यों : दुनिया का सबसे बड़ा पौधा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर खोजा गया है, यह एक समुद्री घास है जिसकी लंबाई 180 किमी है।

- खोजे गए पौधे का नाम पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस या रिबन वीड है। यह शार्क बे में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा खोजा गया है।
- इन शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि पौधा 4,500 साल पुराना है, बाँझ है, इसमें अन्य समान पौधों की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी है, और उथले शार्क खाड़ी के अस्थिर वातावरण से बचने में कामयाब रहे हैं।

पौधे का आकार

- रिबन वीड 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा पौधा, यूटा में एक क्वकिंग एस्पेन ट्री की क्लोनल कॉलोनी है, जो 43.6 हेक्टेयर में फैला है। भारत का सबसे बड़ा पेड़, हावड़ा के बॉटनिकल गार्डन में ग्रेट बरगद है जो 1.41 हेक्टेयर में फैला है।

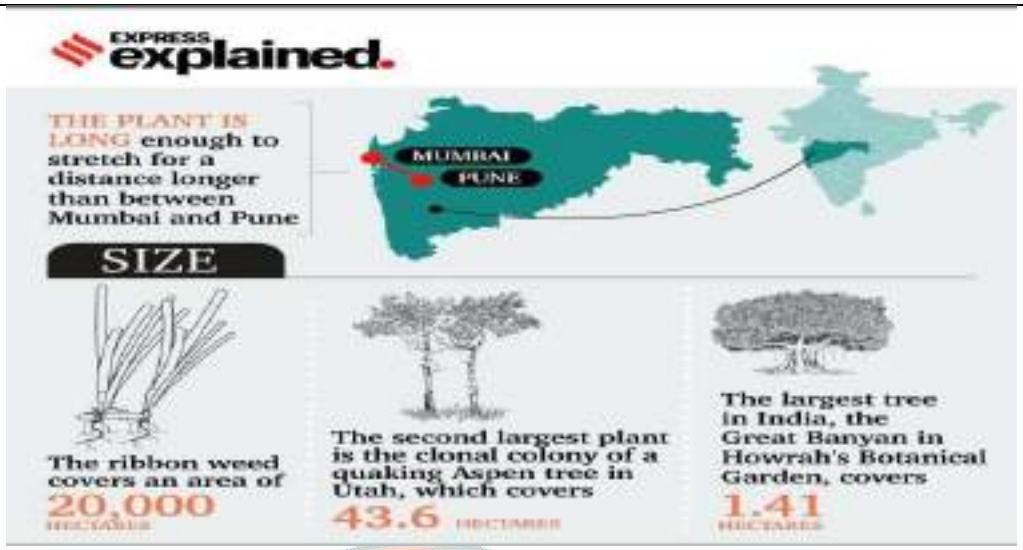

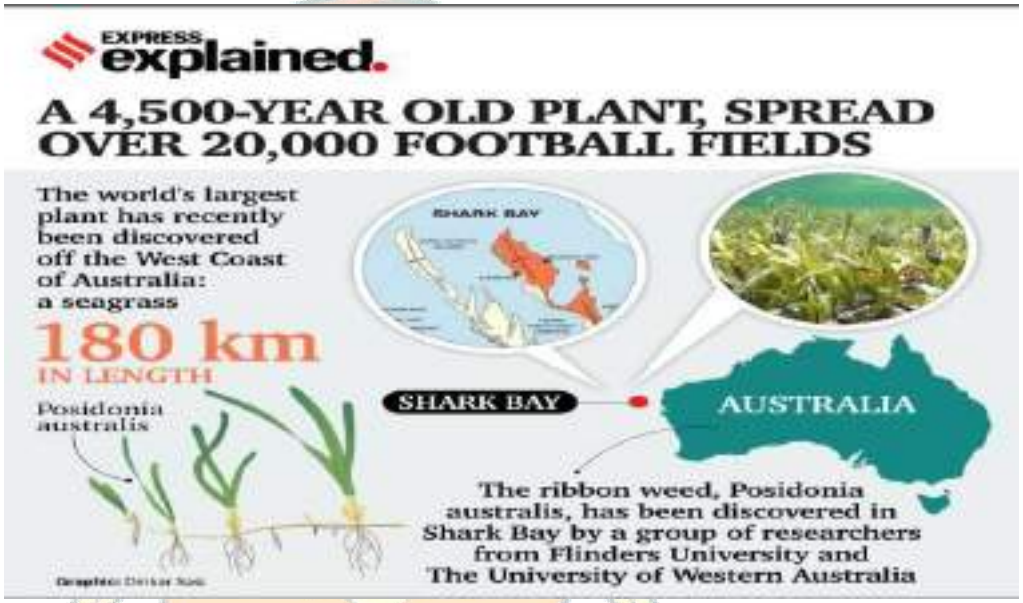

- शार्क खाड़ी में सिर्फ एक पौधा 180 किमी तक फैला है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञात पौधा बन गया है।

यह कैसे बढ़ा, और इतने लंबे समय तक जीवित रहा?

- शोधकर्ताओं ने पाया कि रिबन वीड अपने बीज नहीं फैला सकते, कुछ ऐसा जो पौधों को पर्यावरणीय खतरों से उबरने में मदद करता है।
- रिबन वीड पर्यावरणीय खतरों से बचने में कामयाब रहा है - और इसका एक कारण यह हो सकता है कि यह एक पॉलीप्लोइड है - पेरेंट्स से आधा-आधा जीनोम लेने के बजाय, इसने 100 प्रतिशत लिया।
- पॉलीप्लोइड पौधे अक्सर अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले स्थानों में रहते हैं, अक्सर बाँझ होते हैं, लेकिन अगर बिना रुके छोड़ दिया जाए तो वे बढ़ते रहते हैं, और इस विशाल समुद्री घास ने ऐसा ही किया है।

<u>समुद्री घास:</u>

	• समुद्री घास फूल वाले समुद्री पौधे होते हैं, जो मुख्यत: उथले सागरीय जल यथा- जलमग्न खाड़ी और लैगून में उगते हैं। • यह समुद्री घास लम्बी -पतली या अंडाकार पत्ते पौधे की तरह होती है। • समुद्री घास 70-100 मिलियन वर्ष पहले समुद्र में रहने वाले स्थलीय पौधों से विकसित हुई थी। • स्थलीय पौधों की तरह, समुद्री घासों को भी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है जिससे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। **प्रजनन (Reproduction):** • **लैंगिक प्रजनन विधि:** नर पौधे के फूल से पराग इस विधि के माध्यम से मादा फूल के अंडाशय में स्थानांतरित हो जाता है। • **अलैंगिक प्रजनन विधि:** समुद्री घास अपने प्रकंदों पर शाखा लगाकर अलैंगिक रूप से भी प्रजनन कर सकती है। **महत्व:** • समुद्री घास को 'इकोसिस्टम इंजीनियर' माना जाता है क्योंकि वे कई पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं और उन्हें 'समुद्र के फेफड़े' भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पानी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। • समुद्र में दबे कार्बनिक कार्बन का 11% तक सीक्वेंसर, भले ही वे समुद्र तल के केवल 0.1% हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं और सालाना 83 मिलियन टन कार्बन को वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। • समुद्री घास उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में वायुमंडल से 35 गुना तेजी से कार्बन ग्रहण कर सकती है। • समुद्री-घास जल की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती है। वह जल- स्तंभ में मौजूद तलछट और निलंबित कणों को फँसाकर, उनका नितल पर जमाव करते हैं जिससे जल की दृश्यता (Water Clarity) बढ़ती है। • समुद्री-घास भूमि आधारित उद्योगों से जारी पोषक तत्वों को फ़िल्टर करती है, जिससे प्रवाल भित्तियों को शुद्ध पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं। • समुद्री-घास की जड़ों का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण पाया जाता है। स्थलीय जड़ों के समान ये समुद्री नितल को स्थिर करके उसे मृदा क्षरण से बचाते हैं। • समुद्री-घास मछलियों, ऑक्टोपस, झींगा, ब्लू केकड़े , ऑयस्टर्स (oysters) आदि के लिए भोजन के साथ-साथ आवास प्रदान करती है। • कुछ लुप्तप्राय समुद्री जीव जैसे डुगोंग, ग्रीन टर्टल आदि प्रत्यक्षत: भोजन के लिये समुद्री-घास पर निर्भर रहते हैं।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक	**चर्चा में क्यों :** पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक-2022, एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली जो किसी देश के पर्यावरणीय स्वास्थ्य और निरंतरता को मापती है। **भारत का प्रदर्शन:** • जिन 180 देशों को स्थान दिया गया है, उनमें भारत अंतिम स्थान पर है। • 18.9 के स्कोर के साथ भारत की 180वीं रैंकिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्याँमार के बाद आती है। भारत सहित ये सभी पांच देश नीचे के पांच स्थानों के साथ सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाले देश

हैं।

- ईपीआई के अनुसार, भारत ने कानून के शासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सरकारी प्रभावशीलता पर भी कम स्कोर किया है।
- EPI-2020 में भारत 27.6 के स्कोर के साथ 168वें स्थान पर था।

ईपीआई के बारे में:

- ईपीआई, एक द्विवार्षिक सूचकांक, 2002 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा पर्यावरण कानून और नीति के लिए येल केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान सूचना नेटवर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय केंद्र के सहयोग से पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था।
- ईपीआइ 11 श्रेणियों में 40 प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करके 180 देशों को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति के आधार पर अंक देता है।
- शीर्ष पांच रैंक धारक: डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा और स्वीडन।

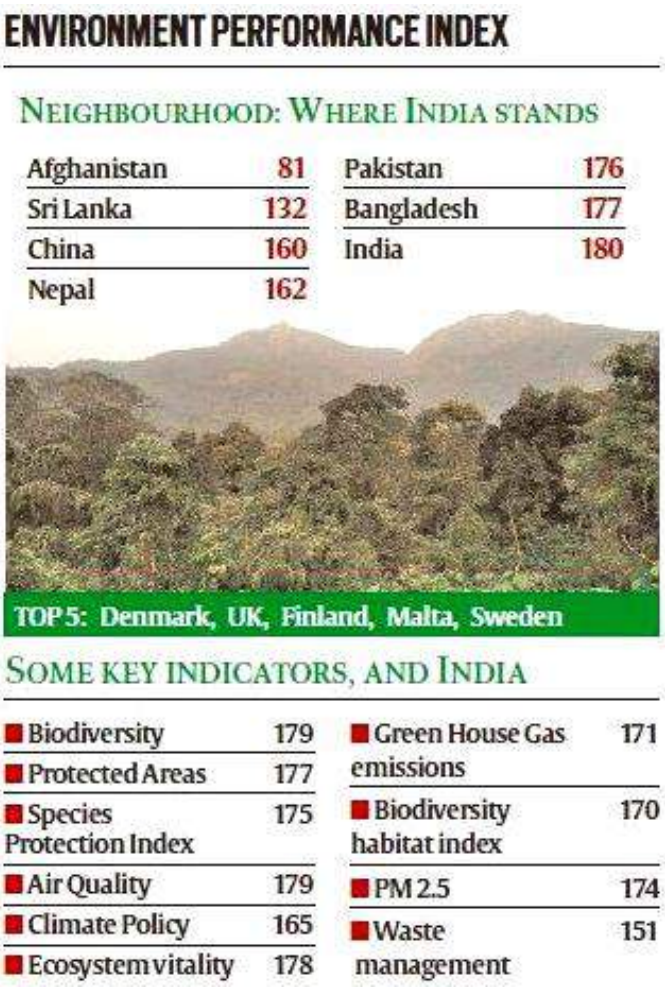

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- यह पाया गया है कि अच्छे नीतिगत परिणाम धन (प्रति व्यक्ति जीडीपी) से जुड़े होते हैं, जिसका अर्थ है कि आर्थिक समृद्धि राष्ट्रों के लिए उन नीतियों और कार्यक्रमों में निवेश करना संभव बनाती है जो वांछनीय परिणामों की ओर ले जाते हैं।
- यह प्रवृत्ति विशेष रूप से पर्यावरणीय स्वास्थ्य की छत्रछाया के तहत मुद्दों की श्रेणियों के लिए सच है, क्योंकि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण, परिवेशी वायु प्रदूषण को कम करना, खतरनाक कचरे को नियंत्रित करना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों का जवाब देने से मानव के लिए बड़े रिटर्न मिलते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों ने स्थिरता के सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया है, जबकि उनके पिछड़े साथियों का प्रदर्शन असमान है।

	• यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि अपने बिजली क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के लिए ठोस प्रयास करने वाले देशों ने पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य हेतु संबद्ध लाभों के साथ, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सबसे बड़ा लाभ अर्जित किया है।
कार्बन बम (Carbon bombs)	**चर्चा में क्यों :** पर्यावरणविदों, वकीलों और कार्यकर्ताओं का एक समूह कार्बन बमों की पहचान करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एक साथ आया है। कोयला, तेल और गैस परियोजनाएं जिनमें ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है को कार्बन बम की संज्ञा दी गयी है। • द गार्जियन की एक खोजी परियोजना के बाद 'कार्बन बम' शब्द का उपयोग किया गया। • इस परियोजना ने 195 'कार्बन बम' परियोजनाओं में शामिल होने के लिए दुनिया भर के देशों और निजी कंपनियों की योजनाओं की सूचना दी। • ऐसी प्रत्येक परियोजना, वातावरण में भारी मात्रा में CO_2 उत्सर्जन उत्पन्न करेंगी। **कार्बन बम क्या हैं?** • यह एक तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणामस्वरूप अपने जीवनकाल में कम से कम एक अरब टन CO_2 उत्सर्जन होगा। • जब भी कोयला, तेल, या गैस निकाला जाता है तो इसका परिणाम प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण होता है। • कुल मिलाकर, लगभग 195 ऐसी परियोजनाओं की पहचान दुनिया भर में की गई है, जिनमें अमेरिका, रूस, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। • रिपोर्ट के अनुसार, वे सामूहिक रूप से उत्सर्जन की उस सीमा को खत्म कर देंगे, जिस पर 2015 के पेरिस समझौते में सहमति हुई थी। **क्या कहती है जांच?** • इनमें से 60% से अधिक कार्बन बम परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं। • कोयला, तेल और गैस के संचालन के अलावा, रिपोर्ट में मीथेन के खतरे पर प्रकाश डाला गया है, जो नियमित रूप से गैस संचालन से लीक होता है और एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो 20 वर्षों में CO_2 की तुलना में 86 गुना अधिक गर्मी को फांस कर रखेगी। **कार्बन बमों को 'डिफ्यूज' करने की क्या योजना है?** • इस लक्ष्य की ओर काम करने वाले नेटवर्क को लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव (LINGO) कहा जाता है। • इसका मिशन जीवाश्म ईंधन को जमीन में छोड़ना और उनके बिना जीना सीखना है। • यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन की जड़ जीवाश्म ईंधन का जलना है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का 100% उपयोग इसका समाधान है। • LINGO का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं का विरोध करने के लिए जमीनी समर्थन को संगठित करना, मुकदमेबाजी के माध्यम से उन्हें चुनौती देना और विश्लेषण और अध्ययन करना है।

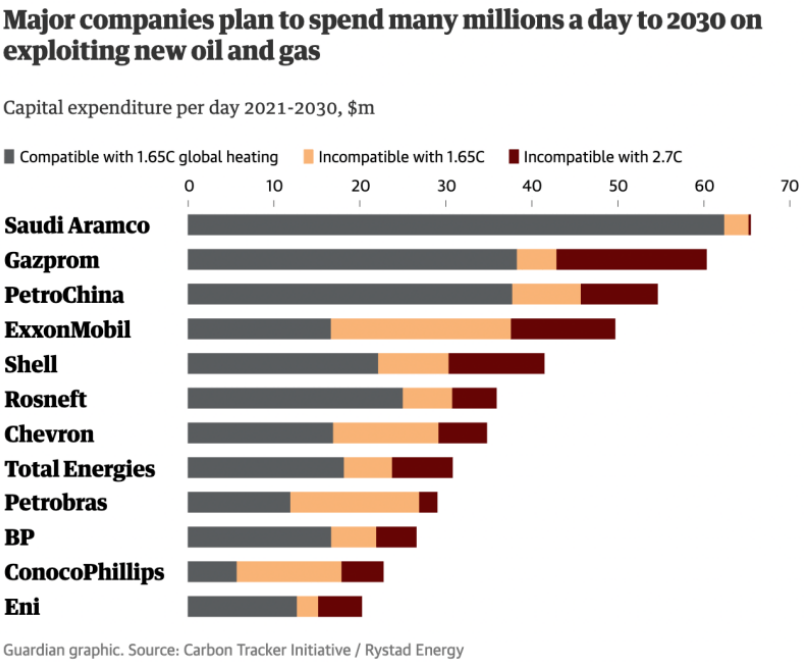

पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

चर्चा में क्यों : केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है कि हर संरक्षित वन पथ और वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से एक किलोमीटर की दूरी पर एक इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) होना चाहिए।

पृष्ठभूमि:

- शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सभी राज्यों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और अन्य संरक्षित वन भूमि की सीमाओं से एक किलोमीटर का एक अनिवार्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया।

चिंता:

- केरल में वन्यजीव अभ्यारण्यों की कुल सीमा आठ लाख एकड़ है।
- यदि एक किमी ESZ को उनकी सीमाओं से सीमांकित किया जाता है, तो कृषि भूमि सहित लगभग 4 लाख एकड़ मानव बस्तियाँ उस दायरे में आ जाएँगी।

इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) क्या हैं?

- 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के किसी भी क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ईएसजेड को MoEFCC, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- इको-सेंसिटिव ज़ोन का विस्तार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किमी. तक के दायरे में हो सकता है। लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किमी. से भी अधिक क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन में शामिल किया जा सकता है।
- मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक

	प्रभाव को कम किया जा सके। **ईएसजेड में गतिविधि विनियमन:** • **निषिद्ध गतिविधियाँ (Prohibited activities):** वाणिज्यिक खनन, आरा मिलें, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, पर्यटन गतिविधियाँ जैसे- राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, अपशिष्टों का निर्वहन या कोई ठोस अपशिष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन। • **विनियमित गतिविधियाँ:** पेड़ों की कटाई, होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, बिजली के तारों का निर्माण, कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन, जैसे- भारी प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों आदि को अपनाना, सड़कों को चौड़ा करना। • **अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ:** चल रही कृषि या बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सभी गतिविधियों के लिये हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।
भारतीय जलक्षेत्र से चार नए मूंगे दर्ज किए गए (Four new corals recorded from Indian waters)	**चर्चा में क्यों :** वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल में एज़ोक्सैन्थेलेट कोरल की चार प्रजातियों की खोज की है। • ये नए मूंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल में पाए गए। • एज़ोक्सैन्थेलेट कोरल मूंगों का एक समूह है जिसमें ज़ोक्सांथेला (zooxanthellae) नहीं होता है और यह सूर्य से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के प्लवकों से पोषण प्राप्त करते हैं। • कोरल के ये समूह गहरे समुद्र के प्रतिनिधि हैं, जिनमें से अधिकांश प्रजातियां 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच रिपोर्ट करती हैं।

- उन्हें ज़ोक्सांथेलेट कोरल के विपरीत उथले पानी से भी सूचित किया जाता है जो उथले पानी तक ही सीमित होते हैं।
- कोरल के सभी चार समूह एक ही परिवार, फ्लैबेलिडे (Flabellidae) से सम्बंधित हैं।
- ट्रंकैटोफ्लैबेलम क्रसुम (Truncatoflabellum crassum) टी.इनक्रस्टैटम (T. incrustatum), टी. एक्यूलेटम (T. aculeatum), और टी. इरेगुलर (T. irregulare) सभी फ्लैबेलिडे (Flabellidae) परिवार से सम्बंधित हैं
- परिवार के तहत Flabellidae पहले जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियाई जल में पाए गए थे, जबकि केवल टी. क्रसुम अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी सहित इंडो-वेस्ट पैसिफिक वितरण की सीमा के भीतर पाया गया था।
- एज़ोक्सैन्थेलेट कोरल कठोर मूंगों का एक समूह है और चार नए रिकॉर्ड न केवल अकेले हैं बल्कि अत्यधिक संकुचित कंकाल संरचना वाले हैं।

हार्ड कोरल (Hard Corals):

- हार्ड कोरल कालोनियों में उगते हैं और इन्हें अक्सर "रीफ-बिल्डिंग कोरल" कहा जाता है।
- ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्सियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं।
- हार्ड कोरल को आगे दो उप-समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

ज़ोक्सैन्थेलेट (Zooxanthellate)

- ज़ोक्सैन्थेलेट (रीफ-बिल्डिंग या हेर्माटाइपिक) मूंगे वे होते हैं जो पोषक तत्वों के लिए ज़ोक्सैन्थेला शैवाल पर निर्भर होते हैं।
- इन उथले पानी के कोरल में एक प्रमुख रीफ-बिल्डिंग कार्य होता है।
- वे आम तौर पर 50 मीटर से कम गहरे साफ पानी में पाए जाते हैं क्योंकि शैवाल को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है।

एज़ोक्सैन्थेलेट (Azooxanthellate):

- एज़ोक्सैन्थेलेट (गहरे पानी या एहर्मेटाइपिक) कोरल में ज़ोक्सांथेला नहीं होते हैं और इसलिए वे केवल समुद्री जल में प्लवकों से पोषण प्राप्त करते हैं।
- ये अलग-थलग, सोलिटरी या कोलोनियल रूप शायद ही कभी बड़े कंस्ट्रक्शन का निर्माण करते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कैपस्टोन (CAPSTONE)	**चर्चा में क्यों :** नासा का नया उपग्रह एक अद्वितीय चंद्र कक्षा का परीक्षण करेगा जिसका उपयोग भविष्य के मिशनों द्वारा किया जाएगा। • CAPSTONE क्राफ्ट, जो माइक्रोवेव ओवन के आकार का है और इसका वजन महज 55 पाउंड 25 किग्रा) है। • मिशन CAPSTONE का पूर्ण रूप है सिस्लुनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment)। • प्रक्षेपण रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर लॉन्च किया गया, गेटवे के लिए भविष्य में एक कक्षा की ओर बढ़ रहा है, जो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला दूरवर्ती स्थान है यह नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम (Artemis program) का हिस्सा है। • CAPSTONE का उद्देश्य नवीन नेविगेशन तकनीकों को मान्य करके और प्रभामंडल के आकार की कक्षा की गतिशीलता को सत्यापित करके भविष्य के अंतरिक्ष यान के लिए जोखिम को कम करने में मदद करना है। • कक्षा को नियर-रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट (NRHO) के रूप में जाना जाता है। • यह काफी लम्बा है, और पृथ्वी एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में एक सटीक संतुलन बिंदु पर स्थित है। यह गेटवे जैसे दीर्घकालिक मिशनों के लिए स्थिरता प्रदान करता है। **आर्टेमिस मिशन:** • नासा के आर्टेमिस मिशन को चंद्र अन्वेषण की अगली पीढ़ी के रूप में जाना जाता है तथा इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं से अपोलो की जुड़वां बहन के नाम पर रखा गया है। • आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और पहले पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। • NASA रोबोट और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अन्वेषण में सहायता के लिये सतह पर एक आर्टेमिस बेस कैंप और चंद्रमा की कक्षा में एक गेटवे (चंद्रमा के चारों ओर दूरवर्ती स्थान) स्थापित करेगा। • आर्टेमिस II चालक दल का पहला उड़ान परीक्षण होगा और इसे वर्ष 2023 के लिए लक्षित किया गया है। • आर्टेमिस III अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा।
अस्त्र एमके1(Astra Mk-1)	**चर्चा में क्यों:** रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों पर तैनाती के लिए 2,971 करोड़ रुपये की लागत से एस्ट्रा मार्क -1 की आपूर्ति के लिए हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। **अस्त्र एमके1** • अस्त्र एमके1 एक दृश्य सीमा से परे (बीवीआर), हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एएएम) है। • बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (बीवीआरएएम) तकनीक लड़ाकू-पायलटों को दुश्मन के उन ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाती है जो उनकी दृश्य सीमा से परे हैं। • मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा भारतीय वायुसेना के सुखोई -30 MKI

	और तेजस तथा नौसेना के मिग-29K जैसे लड़ाकू जेट पर तैनाती के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। • **रेंज:** जहां अस्त्र एमके1 की रेंज करीब 110 किमी है, वहीं 150 किमी से अधिक की रेंज वाली एमके-2 का विकास किया जा रहा है। • **गति:** यह मिसाइल ध्वनि की गति से चार गुना से अधिक गति से यात्रा कर सकती है और अधिकतम 20 किमी. की ऊँचाई तक पहुँच सकती है, अतः यह हवाई युद्ध के लिये अत्यधिक कुशल है। 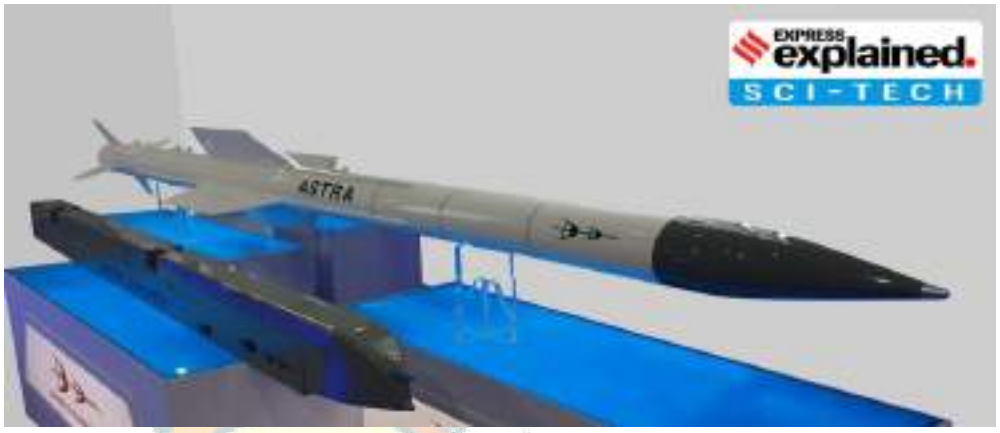 **सामरिक महत्व:** • मिसाइल को BVR के लिये भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ-साथ करीबी-प्रतिस्पर्द्धा, विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। • BVR क्षमता वाले AAM अपने लड़ाकू विमानों के लिये लार्ज स्टैंड-ऑफ रेंज प्रदान करते हैं। • अस्त्र एमके1 ऐसी कई आयातित मिसाइलों से तकनीकी और आर्थिक रूप से बेहतर है और सभी मानकों को पूरा कर चुकी है। • यह सफल परीक्षण 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' क्षमता रखने की भारत की नीति की पुष्टि करता है।
अग्नि-4 (Agni-4)	**इसके बारे में** • अग्नि- IV मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला में चौथी है। इस मिसाइल को पहले अग्नि II प्राइम (Agni-2 Prime) के रूप में जाना जाता था। अग्नि- IV, अग्नि II और अग्नि III के बीच के अंतर को भरता है। • **क्लास:** इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) • यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। • **वारहेड:** परमाणु या पारंपरिक। • **रेंज:** 3,000 - 4,000 किमी। • **प्रणोदन:** दो चरण ठोस प्रणोदक। • **पेलोड:** 1,000 किलो।
ब्रह्मोस	**संदर्भ:** 12 जून 2001 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहली बार चांदीपुर में जमीन आधारित लांचर से परीक्षण किया गया था। • 21 वर्षों के बाद से, ब्रह्मोस को कई बार उन्नत किया गया है, जिसके संस्करणों का परीक्षण भूमि, वायु और समुद्री प्लेटफार्मों पर किया गया है।

	• डीआरडीओ के प्रमुख डॉ कलाम और रूस के तत्कालीन उप रक्षा मंत्री एन वी मिखाइलोव द्वारा 1998 में मास्को में रूस के साथ एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। • इसके बाद ब्रह्मोस एयरोस्पेस का गठन किया गया, जो DRDO और NPO Mashinostroyenia (NPOM) के जॉइंट है, इसमें भारत का 50.5% और रूस का 49.5% हिस्सा है। *तब से मिसाइल प्रणाली कुछ प्रमुख मील के पत्थर तक पहुंच गई है, इस साल फिलीपींस नौसेना से $ 375 मिलियन का पहला बड़ा निर्यात आदेश प्राप्त हुआ है।* **ब्रह्मोस के बारे में:** • ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। • मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल: इसे जमीन, हवा और समुद्र में बहुक्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है जो मौसम की स्थिति के बावजूद दिन और रात दोनों में काम कर सकती है। • ब्रह्मोस ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन के साथ दो चरणों वाली मिसाइल है। • ब्रह्मोस को रडार द्वारा ट्रैक नहीं किया जा सकता,क्योंकि यह मिसाइल विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपवक्र को प्राप्त करती है, जिससे इसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल है । • यह "दागो और भूल जाओ" के सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती है। • ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलें, जिन्हें "स्टैंडऑफ रेंज हथियार" कहा जाता है, हमलावर को रक्षात्मक काउंटर-फायर से बचने की अनुमति देने के लिए काफी दूर तक दागी जाती हैं। • सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में ब्रह्मोस में तीन गुना गति, 2.5 गुना उड़ान रेंज और उच्च रेंज है। • निर्यात के लिए उपलब्ध मिसाइलों के साथ, मंच को रक्षा कूटनीति में एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है।
पृथ्वी-II	**चर्चा में क्यों :** भारत ने उपयोगकर्ता प्रशिक्षण परीक्षण के हिस्से के रूप में, ओडिशा से अपनी परमाणु सक्षम और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी-II मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। **पृथ्वी मिसाइल** • पृथ्वी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित एक सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है। • पृथ्वी मिसाइल परियोजना में भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग के लिए तीन प्रकार विकसित करना शामिल था। o पृथ्वी I - सेना संस्करण (1,000 किलो के पेलोड के साथ 150 किमी रेंज) o पृथ्वी II - वायु सेना संस्करण (500 किग्रा के पेलोड के साथ 350 किमी रेंज) o पृथ्वी III - नौसेना संस्करण (1000 किलो के पेलोड के साथ 350 किमी रेंज) • पृथ्वी-II वर्ग एक एकल-चरण तरल-ईंधन वाली मिसाइल है, जिसमें 500-1000 किग्रा. की वारहेड माउंटिंग क्षमता है। • अत्याधुनिक मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिये कुशल प्रक्षेपवक्र के साथ एक उन्नत जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती है।

VL-SRSAM

चर्चा में क्यों : हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (VL-SRSAM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

VL-SRSAM के बारे में

- यह मिसाइल जहाज से चलने वाली हथियार प्रणाली है जो समुद्री-स्किमिंग लक्ष्यों सहित नजदीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर कर देती है।
- यह मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए एक बल गुणक साबित होगा है।
- इस मिसाइल को 40 से 50 किमी की दूरी पर और लगभग 15 किमी की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है।

	• VL-SRSAM मिसाइल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं क्रूसिफॉर्म विंग्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग। • वीएल-एसआरएसएएम एक कनस्तर-आधारित प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए डिब्बों के रूप में संग्रहीत एवं संचालित होती है। • कनस्तर में अंदर के वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, इस प्रकार इसके परिवहन एवं भंडारण को आसान बनाने के साथ-साथ हथियारों की शेल्फ लाइफ (Shelf Life) में भी काफी सुधार होता है।
इस्कंदर-एम मिसाइल प्रणाली (Iskander-M missile system)	**चर्चा में क्यों :** रूस ने अपने सहयोगी बेलारूस से आने वाले महीनों में एक "आक्रामक" पश्चिम का मुकाबला करने के लिए परमाणु-सक्षम मिसाइलों की डिलीवरी का वादा किया है। **इस्कंदर-एम मिसाइल प्रणाली क्या है?** • इस्कंदर-एम मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा "SS -26 स्टोन" के रूप में कोडनेम दिया गया है। रूस इस्कंदर-एम शब्द का प्रयोग ट्रांसपोर्टर-इरेक्टर लॉन्च सिस्टम के साथ-साथ उसके द्वारा दागी गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) को परिभाषित करने के लिए करता है। • यह प्रणाली जमीन से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों (GLCMs) को भी दाग सकती है। • इस्कंदर-एम प्रणाली का विशेष रूप से रूसी सेना द्वारा उपयोग किया गया है, जबकि इस्कंदर-ई (Iskander-E) निर्यात के लिए है। **मिसाइल की क्षमता और रेंज क्या है?** • इस्कंदर-एम मिसाइल की मारक क्षमता 500 किमी है। यह 700 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। • यह पारंपरिक और साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। • पारंपरिक हथियार बंकर-बस्टर युद्ध सामग्री, क्लस्टर बम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (ईएमपी) वारहेड से लैस हो सकते हैं। • जबकि निर्यात संस्करण, इस्कंदर-ई, की सीमा 280 किमी और 480 किलोग्राम पेलोड कम है।
रेडियो आवृत्ति पहचान टैग और बारकोड	**चर्चा में क्यों :** रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) से लैस बैगेज टैग (Baggage tags equipped) जल्द ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपलब्ध होंगे, जो देश के लिए अपनी तरह का पहला है। **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक क्या है?** • यह एक वायरलेस ट्रैकिंग विधि है जो वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए टैग और रीडर का उपयोग करती है। • ट्रांसपोंडर, रिसीवर और ट्रांसमीटर आरएफआईडी प्रणाली के तीन घटक हैं। • RFID रीडर निरंतर संबद्ध प्रणाली को एक विशिष्ट आवृत्ति की रेडियो तरंगें भेजता है। • जिस वस्तु से RFID टैग जुड़ा हुआ है और यदि वह रेडियो तरंगों की सीमा के भीतर है, तो यह RFID रीडर को प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जिसके आधार पर वस्तु की पहचान की जाती है।

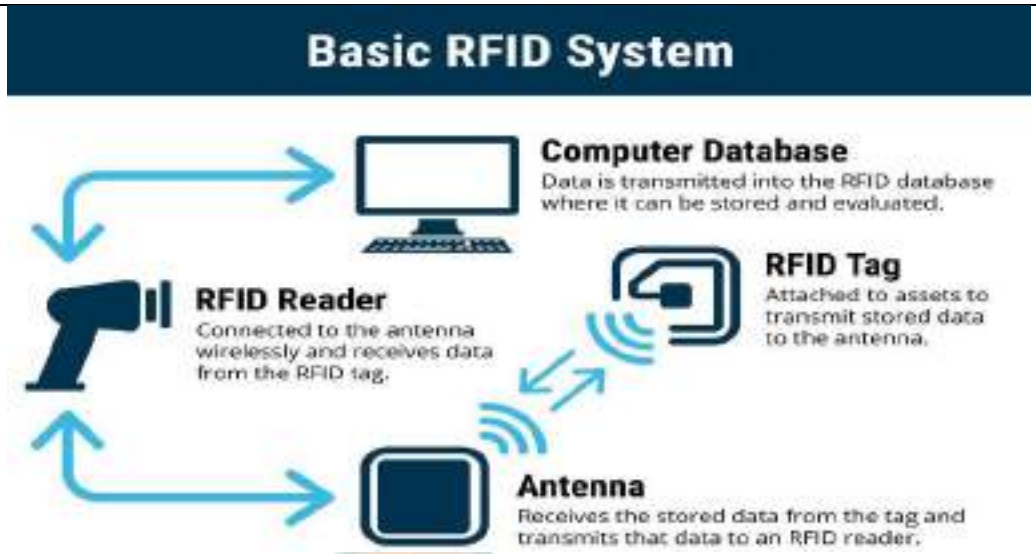

क्या है बारकोड?

- बारकोड कंप्यूटर सिस्टम में डाटा दर्ज करने के लिये उपयोग की जाने वाली समानांतर पंक्तियों या अलग-अलग चौड़ाई की पंक्तियों की एक मुद्रित शृंखला है।
- पंक्तिया सफेद पृष्ठभूमि पर काली होती हैं और अनुप्रयोग के आधार पर चौड़ाई और मात्रा में भिन्न होती हैं।
- बार बाइनरी अंक शून्य और एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो डिजिटल कंप्यूटर द्वारा संसाधित शून्य से नौ तक के अंकों का प्रतिनिधित्व करते है।
- इन बारकोड को विशेष ऑप्टिकल स्कैनर का उपयोग करके स्कैन किया जाता है जिन्हें बारकोड रीडर कहा जाता है।
- बारकोड के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक क्यू.आर. (QR) कोड है।

आरएफआईडी (RFID) प्रौद्योगिकी और बारकोड के बीच तुलना

- RFID रेडियो तरंगों का उपयोग उन रीडर्स तक RFID चिप्स से डेटा संप्रेषित करने के लिए करता है जिन्हें डेटा प्राप्त करने के लिए लाइन ऑफ विजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बारकोड स्टिकी टैग पर मुद्रित ब्लैक-एंड-व्हाइट पैटर्न को पढ़ने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं।
- RFID टैग एक संचालित रीडर के साथ संचार कर सकता है, भले ही टैग संचालित न हो।
- कागज या लेबल पर मुद्रित होने के कारण, बारकोड अति संवेदनशील होते हैं, जो उनकी पठनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर, RFID टैग को कभी-कभी प्लास्टिक के लेबल में या वस्तु में रखा जाता है, जिससे वे बारकोड की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं।
- बारकोड स्कैनर के विपरीत, RFID स्कैनर एक सेकंड में दर्जनों टैग को प्रोसेस कर सकता है। बारकोड सरल और नकल करने में आसान होते हैं, जबकि RFIDअधिक जटिल होते हैं, जिनका नकल करना कठिन होता है।
- बारकोड की तुलना में RFID टैग महंगे होते हैं।

क्या RFID बारकोड का उन्नत संस्करण है?

- जब गति की बात आती है, तो बारकोड और RFID के बीच एक उल्लेखनीय अंतर होता है। ऐसा इसलिए

	है क्योंकि बारकोड को मैन्युअल रूप से पढ़ा जाना चाहिए, जिससे वे मानवीय त्रुटि के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं जिससे इनकी सटीकता का मूल्यांकन करना अधिक कठिन हो जाता है। • हालांकि, अगर टैग धातु या तरल पर लागू होते हैं, तो RFID की सटीकता से समझौता किया जा सकता है। • चूंकि RFID आवृत्तियों को बारकोड आवृत्तियों की तुलना में अधिक दूरी पर प्रेषित किया जा सकता है, इसलिए यह भी चिंता का विषय है कि RFID तकनीक डेटा सुरक्षा मुद्दों को उठाती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत जानकारी बिना सहमति के सुलभ हो जाती है।
डायरेक्ट-2-मोबाइल तकनीक (Direct-2-Mobile technology)	**चर्चा में क्यों :** दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) और प्रसार भारती एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भारत में लागू करने की संभावनाएं खोज रहे हैं जिससे मोबाइल पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के मल्टीमीडिया सामग्री प्रसारित की जा सकती है। • इस तकनीक को डारेक्ट टू मोबाइल (D2M – Direct-to-Mobile) ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। यह तकनीक ब्रॉडबैंड की खपत और स्पेक्ट्रम के उपयोग में सुधार का दावा करती है। **डायरेक्ट-टू-मोबाइल प्रसारण क्या है?** • यह तकनीक ब्रॉडबैंड और प्रसारण के अभिसरण पर आधारित है, जिसके उपयोग से मोबाइल फोन स्थलीय डिजिटल टीवी प्राप्त कर सकते हैं। • यह उसी तरह होगा जैसे लोग अपने फोन पर एफएम रेडियो सुनते हैं, जहां फोन के भीतर एक रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी में टैप कर सकता है। • D2M का उपयोग करके, मल्टीमीडिया सामग्री को सीधे फोन पर भी प्रसारित किया जा सकता है। • प्रौद्योगिकी के पीछे का विचार यह है कि इसका उपयोग संभवतः नागरिक-केंद्रित जानकारी से संबंधित सामग्री को सीधे प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग नकली समाचारों का मुकाबला करने, आपातकालीन अलर्ट जारी करने और अन्य चीजों के अलावा आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। • इसका उपयोग मोबाइल फोन पर लाइव समाचार, खेल आदि प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। • इससे भी अधिक, किसी भी इंटरनेट डेटा का उपभोग न करते हुए सामग्री को बिना किसी बफरिंग के स्ट्रीम करना चाहिए। **इसका उपभोक्ता और व्यावसायिक प्रभाव क्या हो सकता है?** **उपभोक्ताओं के लिए:** • इस तरह की एक तकनीक का मतलब होगा कि वे वीडियो ऑन डिमांड (वीओडी) या ओवर द टॉप (ओटीटी) सामग्री प्लेटफॉर्म से अपने मोबाइल डेटा को समाप्त किए बिना मल्टीमीडिया सामग्री तक पहुंचने में सक्षम होंगे। • यह तकनीक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वीडियो सामग्री देखने की अनुमति देगा जिनके पास इंटरनेट नहीं है। **व्यवसायों के लिए:** • प्रौद्योगिकी के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने मोबाइल नेटवर्क से वीडियो ट्रैफ़िक को प्रसारण नेटवर्क पर लोड करने में सक्षम बनाता है, इस प्रकार उन्हें मूल्यवान मोबाइल स्पेक्ट्रम को कम करने में मदद करता है। • इससे मोबाइल स्पेक्ट्रम के उपयोग में भी सुधार होगा और बैंडविड्थ फ्री हो जाएगी जिससे कॉल ड्रॉप कम

	करने, डेटा स्पीड बढ़ाने आदि में मदद मिलेगी। **D2M तकनीक की सुविधा के लिए सरकार क्या कर रही है?** • दूरसंचार विभाग (DoT) ने उपयोगकर्ताओं के स्मार्टफोन पर सीधे प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम बैंड की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। • सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने पिछले साल प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए IIT कानपुर (IIT Kanpur) के साथ सहयोग की घोषणा की थी।
इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) एयरक्राफ्ट	**चर्चा में क्यों :** भारत सरकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ़ और लैंडिंग (eVTOL) एयरक्राफ्ट को भारत लाने और उनके लिये मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की संभावना तलाश रही है। **ईवीटीओएल क्या है?** • जैसा कि संक्षिप्त नाम से पता चलता है, एक eVTOL एयरक्राफ्ट वह है जो विद्युत शक्ति का उपयोग उड़ान भरने, टेक ऑफ और लंबवत रूप से लैंड करने के लिए करता है • अधिकांश eVTOL भी वितरित विद्युत प्रणोदन तकनीक का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है एयरफ्रेम के साथ एक जटिल प्रणोदन प्रणाली को एकीकृत करना। • यह मोटर, बैटरी, सेल ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक प्रौद्योगिकियों में प्रगति के आधार पर विद्युत प्रणोदन में सफलताओं के कारण विकसित हुआ है • इस प्रकार eVTOL एयरोस्पेस उद्योग में नई तकनीकों और विकास में से एक है। • eVTOL को विश्व की परिवहन आवश्यकताओं के लिए "एक रनवे स्वतंत्र तकनीकी समाधान" के रूप में वर्णित किया जा रहा है - यह नई संभावनाओं को खोलता है जो इंजन वाले विमान गतिशीलता और दक्षता जैसे क्षेत्रों में नहीं ले जा सकते हैं। • वर्ष 2021 में eVTOL का वैश्विक बाज़ार 8.5 मिलियन यूएस डॉलर था जिसके वर्ष 2030 तक 30.8 मिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ने की संभावना है। मांग में यह वृद्धि हरित ऊर्जा और शोर-मुक्त विमान, कार्गो ले जाने की अवधारणा तथा परिवहन के नए साधनों की आवश्यकता के कारण होगी। **उत्पत्ति (Origin)** • यह वर्ष 2009-10 में नासा के शोधकर्ता मार्क डी. मूर द्वारा शुरू किया गया था, जो व्यक्तिगत (वन मैन) हवाई वाहन "पफिन (Puffin)" की अवधारणा के साथ आए थे। **चुनौतियां क्या हैं?** • चूँकि अब तक की तकनीक 'पायलट रहित' और 'पायलट सहित' विमानों का मिश्रण है, इनके फोकस क्षेत्रों में "दुर्घटना निवारण प्रणाली" शामिल है।

	• पावर प्लांट या रोटर के खराब होने की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे भी हैं। • साइबर हमले से विमान की सुरक्षा, फोकस का एक अन्य क्षेत्र है। • कठिन इलाके में परिचालन, असुरक्षित परिचालन वातावरण और खराब मौसम भी चिंता का कारण हैं।
मिसमैच रिपेयर डेफिसिट कैंसर का उपचार (Treatment of Mismatch repair deficient cancer)	**चर्चा में क्यों :** एक चिकित्सा परीक्षण में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 रोगियों को बिना किसी सर्जरी या कीमोथेरेपी की आवश्यकता के मलाशय के कैंसर से पूरी तरह से ठीक किया गया था। • परीक्षण में एक विशेष प्रकार के चरण दो या तीन मलाशय के कैंसर के उपचार के लिए छह महीने के लिए हर तीन सप्ताह में एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग किया गया था। • परीक्षण से पता चला कि अकेले इम्यूनोथेरेपी - बिना किसी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, या सर्जरी के जो कि कैंसर के उपचार का मुख्य आधार रहा है - एक विशेष प्रकार के रेक्टल कैंसर के रोगियों को पूरी तरह से ठीक कर सकता है जिसे 'मिसमैच रिपेयर डेफिसिट' कैंसर कहा जाता है। • अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान प्रगति या पुनरावृत्ति का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। **यह कमी क्या है, और इसे कैसे ठीक किया गया?** • कोलोरेक्टल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और एंडोमेट्रियल कैंसर में 'मिसमैच रिपेयर डेफिसिट' कैंसर सबसे आम है। • इस स्थिति से पीड़ित मरीजों में डीएनए में टाइपो को ठीक करने के लिए जीन की कमी होती है जो स्वाभाविक रूप से तब होते हैं जब कोशिकाएं प्रतियां बनाती हैं। • इम्यूनोथेरेपी PD1 ब्लॉकेड नामक एक श्रेणी से संबंधित है जिसे अब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बजाय ऐसे कैंसर के इलाज के लिए अनुशंसित किया जाता है। • PD1 एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें T कोशिका गतिविधि को दबाना भी शामिल है, और PD1 ब्लॉकेड थेरेपी T कोशिकाओं को इस दबाव से मुक्त करती है। • PD1 ब्लॉकेड थेरेपी देकर, हम कैंसर के विकास को नष्ट करने के लिए और T कोशिकाओं को छोड़ते हैं। • इस अध्ययन से पता चलता है कि इन रोगियों में सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं थी। **लागत एक चिंता का विषय है:** • भारत में अधिकांश लोगों के लिए महँगा और वहनीय नहीं होगा। • एक इम्यूनोथेरेपी उपचार में प्रति माह लगभग 4 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं, जिसमें रोगियों को छह महीने से एक साल तक इलाज की आवश्यकता होती है।
वेब 5.O (Web 5.O)	**चर्चा में क्यों :** ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने हाल ही में एक नए विकेन्द्रीकृत वेब प्लेटफॉर्म के लिए अपने दृष्टिकोण की घोषणा की जिसे वेब 5.0 कहा जा रहा है। **वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 शब्दों का क्या अर्थ है?** • वेब 1.0 वैश्विक डिजिटल संचार नेटवर्क की पहली पीढ़ी थी। • इसे Read Only नेटवर्क का लेबल इसलिए दिया गया था क्योंकि यह एक स्थिर मंच (Static Plateform) था जिसमें कोई सामाजिक विशेषताएं नहीं थीं। • वेब के विकास में अगला चरण "read and write" इंटरनेट था। • उपयोगकर्ता अब सर्वर और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संचार करने में सक्षम थे, जिससे सोशल वेब का निर्माण हुआ। यह वर्ल्ड वाइड वेब है जिसका हम आज उपयोग करते हैं।

	• वेब 3.0 एक उभरता हुआ शब्द है जिसका उपयोग इंटरनेट की अगली पीढ़ी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है- "रीड-राइट-एक्ज़ीक्यूट" वेब – का आधार विकेंद्रीकरण है। • यह एक डिजिटल दुनिया के बारे में बात करता है, जिसे ब्लॉक चेन तकनीक का लाभ उठाते हुए बनाया गया है, जहां लोग एक मध्यस्थ की आवश्यकता के बिना एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम हैं। • वेब 3.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित होगा जहां मशीनें इंसानों की तरह सूचनाओं की व्याख्या करने में सक्षम होंगी। **वेब 5.0 क्या है?** • वेब 5.0 का उद्देश्य "एक अतिरिक्त विकेन्द्रीकृत वेब का निर्माण करना है जो आपको आपके डेटा और पहचान के नियंत्रण में रखता है"। • सीधे शब्दों में कहें तो वेब 5.0 वेब 2.0 प्लस वेब 3.0 है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर 'अपनी पहचान रखने' और 'अपने डेटा को नियंत्रित करने' की अनुमति देगा। • वेब 3.0 और वेब 5.0 दोनों ही सरकारों या बड़ी तकनीक से सेंसरशिप के खतरे के बिना और महत्वपूर्ण रुकावटों के डर के बिना इंटरनेट की कल्पना करते हैं।
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN)	**चर्चा में क्यों :** हाल ही में, भारत की साइबर सुरक्षा निगरानी संस्था इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) की पेशकश करने वाली कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए। **निर्देश:** • नए नियम में वीपीएन प्रदाताओं को 180 दिनों के लिए ग्राहकों के लॉग रिकॉर्ड करने और रखने के लिए अनिवार्य करता है। • इसके लिए फर्मों को पांच साल तक ग्राहक डेटा एकत्र और संग्रहीत करने की आवश्यकता होती है। • यह भी अनिवार्य है कि दर्ज किए गए किसी भी साइबर अपराध को अपराध के 6 घंटे के भीतर सीईआरटी को सूचित किया जाना चाहिए। • डेटा केंद्रों, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (VPS) प्रदाताओं, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं, वर्चुअल एसेट एक्सचेंज प्रदाताओं, कस्टोडियन वॉलेट प्रदाताओं और सरकारी संगठनों आदि पर भी लागू होते हैं। • वीपीएन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से इंटरनेट प्रॉक्सी जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली फर्में भी नए नियम के दायरे में आती हैं। CERT-In नियमों के जवाब में कई वीपीएन प्रदाता सिंगापुर और यूके में स्थित वर्चुअल सर्वर के माध्यम से सर्वर को देश से बाहर स्थानांतरित करने या भारत में उपयोगकर्ताओं को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। **वर्चुअल सर्वर क्या है, और इसके उपयोग क्या हैं?** • वर्चुअल सर्वर, वास्तविक भौतिक सर्वर पर निर्मित एक नकली सर्वर वातावरण है। • यह एक समर्पित भौतिक सर्वर की कार्यक्षमता को पुनर्निर्मित करता है। • वर्चुअल ट्विन एक भौतिक सर्वर की तरह काम करता है जो सॉफ्टवेयर चलाता है। • यह भौतिक सर्वर के संसाधनों का उपयोग करता है। • एक से अधिक वर्चुअल सर्वर एक भौतिक सर्वर पर चल सकते हैं। **वर्चुअल सर्वर के उपयोग:**

- चुंअलाइज़ेशन (Virtualization) सर्वर कार्यभार बदलने के लिए संसाधनों को पुनः आवंटित करने में मदद करता है।
- एक भौतिक सर्वर को कई वर्चुअल सर्वर में बदलने से संगठन प्रोसेसिंग पॉवर एवं संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं।
- एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन चलाने से लागत कम हो जाती है क्योंकि यह कम जगह, हार्डवेयर की खपत करती है।
- वर्चुअलाइज़ेशन (Virtualization) लागत को भी कम करता है क्योंकि वर्चुअल सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना भौतिक सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर की तुलना में कम खर्चीला है।
- कहा जाता है कि वर्चुअल सर्वर भी भौतिक सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर की तुलना में उच्च सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन में संलग्न होते हैं।
- यह वर्चुअल मशीन के अंदर सिक्योरिटी अटैक्स और दुर्भावनापूर्ण व्यवहारों को रोकने में मदद करता है।
- कई भौतिक मशीनों पर मैन्युअल रूप से स्थापित और चलाए बिना वर्चुअल सर्वर विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसिंग (Debugging) में अनुप्रयोगों के परीक्षण एवं डिबगिंग में भी उपयोगी होते हैं।

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN):

- वीपीएन (VPN) का पूरा नाम 'वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क' है।
- यह एक ऐसी इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली सेवा है जो आपके डाटा को लीक होने से बचाती है और आपको ऑनलाइन गोपनियता प्रदान करती है।
- वीपीएन आपके आईपी एड्रैस को छिपाता है जिसकी वजह से आप ऑनलाइन खुद को गोपनीय रख पाते है।
- जब वीपीएन हमारे किसी फोन, लैपटाप से कनैक्ट होता है तो इंटरनेट पर दूसरे कम्प्युटर से जोड़ता है , जो उस कम्प्युटर से हमे इंटरनेट का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है।
- इसका प्रयोग किसी खास क्षेत्र या देश मे ब्लॉक वैबसाइट को एक्सैस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्यूकी जब हमारा फोन या लैपटाप वीपीएन से कनैक्ट होता है तो लगता है ट्रेफिक किसी और जगह से आ रहा(जहा सर्वर होता है) और अगर वह वैबसाइट वहाँ ब्लॉक नहीं है तब आप उसे एक्सैस कर सकते है।

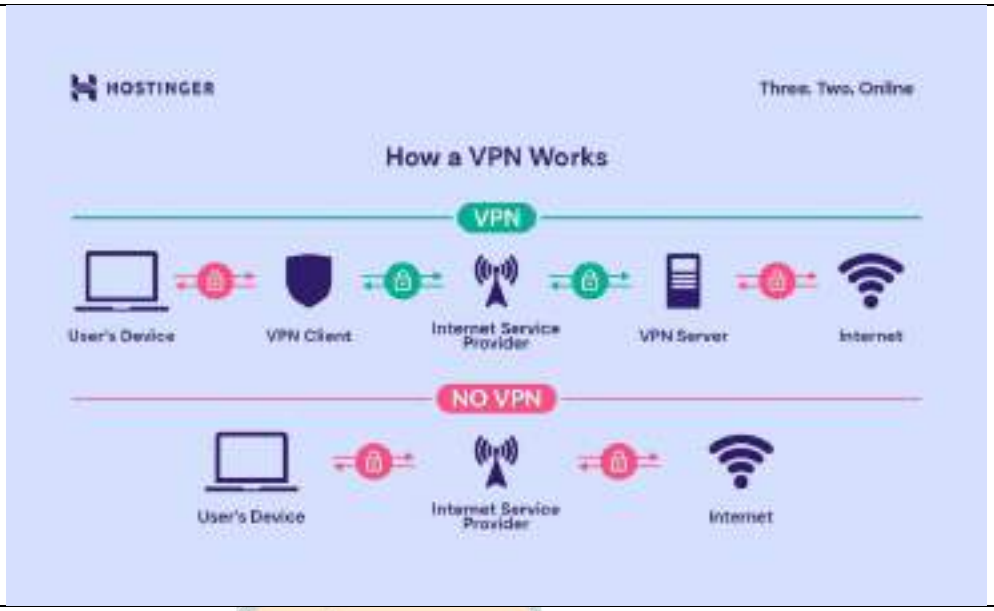
HOSTINGER
Three. Two. Online
How a VPN Works
VPN
User's Device
VPN Client
Internet Service Provider
VPN Server
Internet
NO VPN
User's Device
Internet Service Provider
Internet

खबरों में सरकारी योजनाएं

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC)	**संदर्भ:** हाल ही में भारत सरकार ने देश के तेज़ी से बढ़ते डिजिटल ई-कॉमर्स स्पेस को "लोकतांत्रिक" करने के उद्देश्य से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) का पायलट चरण शुरू किया है, जिसमें वर्तमान में दो यू.एस. मुख्यालय वाली फर्मों - अमेज़ॅन और वॉलमार्ट का वर्चस्व है। **ओएनडीसी क्या है?** • यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो उद्योगों में स्थानीय डिजिटल कॉमर्स स्टोर को किसी भी नेटवर्क-सक्षम एप्लीकेशन द्वारा खोजने और संलग्न करने में सक्षम बनाने के लिये एक नेटवर्क की पेशकश करेगा। • यह न तो एक एग्रीगेटर एप्लीकेशन है और न ही एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। • सभी मौजूदा डिजिटल कॉमर्स एप्लिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म स्वेच्छा से अपनाने और ONDC नेटवर्क का हिस्सा बनने का विकल्प चुन सकते हैं। उद्देश्य: उपभोक्ताओं द्वारा एक मंच के माध्यम से सभी भाग लेने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उत्पादों की खरीद को सक्षम बनाना। • ONDC के तहत, यह परिकल्पना की गई है कि एक भाग लेने वाली ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये-अमेज़ॅन) पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये, फ्लिपकार्ट) पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है। • ओएनडीसी मॉडल डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता को दोहराने की कोशिश कर रहा है। **ONDC के गठन के कारण क्या हुआ?** • वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किए गए एक आउटरीच में पाया गया कि ऑनलाइन मांग के पैमाने और और भाग लेने के लिए स्थानीय खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र (छोटे विक्रेताओं और अति स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला) की क्षमता के बीच बड़ा अंतर है। • ONDC को स्वतंत्र रूप से वित्त पोषण प्राप्त करने और आत्मनिर्भर वित्तीय मॉडल रखने की आवश्यकता होगी। **ONDC के लाभ:** • ONDC कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑर्डर प्रबंधन और ऑर्डर पूर्ति जैसे कार्यों का मानकीकरण करेगा, जिससे छोटे व्यवसायों के लिये नेटवर्क पर खोजे जाने योग्य और व्यवसाय का संचालन करना सरल और आसान हो जाएगा। **चुनौतियां:** • जैसे ग्राहक सेवा और भुगतान एकीकरण से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ साइन अप करने के लिए पर्याप्त संख्या में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्राप्त करना।

UPSC 2023

IAS BABA

TLP CONNECT

Integrated Prelims cum Mains Test Series

FEATURES

- Complete Prelims & Mains Syllabus through 68 Mains Tests & 69 Prelims Tests
- Prepare through Reverse Engineering
- 1:1 Mentorship
- Master Current Affairs with Babapedia & Current Affairs Tests
- Discussion classes after Every Mains Test
- Approach Paper, Enriched Synopsis & Ranking

ADMISSIONS OPEN

Admission Centre : #38, 3rd Cross Rd, 60 feet Main Road, Chandra Layout, Bengaluru-560040, Landmark: Opp BBMP Office / Cult Fit

www.iasbaba.com support@iasbaba.com

91691 91888

मैन्स (MAINS)

राजव्यवस्था और शासन

समावेशी संसद

संदर्भ: वर्ष 1952 में, पहले संसदीय सत्र में भारतीय गणराज्य की संसद में 39 मजबूत, बुद्धिमान और भावुक महिला नेता थीं।

- भारत 5.5% महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ अधिक समावेशी विश्व लोकतंत्रों की लड़ाई में अग्रणी था। लेकिन आजादी के 70 साल बाद, ऐसा लगता है कि हम उस रास्ते से भटक गए हैं।

वर्तमान आँकड़े: भारत के नवीनतम चुनाव आयोग (ECI) के आंकड़ों के अनुसार

- महिलाएं संसद के कुल सदस्यों का 10.5% प्रतिनिधित्व करती हैं।
- भारत में सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधान सभा सदस्यों (विधायकों) की स्थिति और भी खराब है, राष्ट्रीय औसत 9% है।
- आजादी के पिछले 75 वर्षों में, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% भी नहीं बढ़ा है।

कारण:

राजनीतिक शिक्षा का अभाव:

- शिक्षा महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। औपचारिक शिक्षा जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रदान की जाती है, नेतृत्व के अवसर पैदा करती है, और नेतृत्व को आवश्यक कौशल प्रदान करती है।
- राजनीति की समझ की कमी के कारण, वे अपने मूल राजनीतिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं।

स्टीरियोटाइप (Stereotypes):

- घरेलू गतिविधियों के प्रबंधन की भूमिका परंपरागत रूप से महिलाओं को सौंपी गई है।

काम और परिवार:

- पारिवारिक देखभाल जिम्मेदारियों के असमान वितरण का मतलब है कि महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समय बिताती हैं।

संसाधनों की कमी:

- भारत के आंतरिक राजनीतिक दल संरचना में उनके कम अनुपात के कारण, महिलाएं अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों के पोषण के लिए संसाधन और समर्थन इकट्ठा करने में विफल रहती हैं।

अस्वाभाविक वातावरण (Unfriendly Environment):

- अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, असुरक्षा में वृद्धि ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया है।
- लिंग-तटस्थ भाषा का अभाव:
- उदाहरण के लिए - राज्यसभा में, प्रक्रिया के नियम भारत के उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति के रूप में संदर्भित करते हैं, जो भारत के संविधान में लिंग-तटस्थ भाषा की कमी से उत्पन्न होता है।
- पुरुषवाचक सर्वनामों के उपयोग की डिग्री पुरुषों के प्रति पक्षपाती एक शक्ति संरचना मानती है।

लिंग-तटस्थ अधिनियमों का अभाव:

- अधिनियमों ने महिलाओं को नेताओं या पेशेवरों (जैसे पुलिसकर्मी) के रूप में नहीं, बल्कि आमतौर पर अपराधों की शिकार के रूप में

संदर्भित किया है।

सरकारी उपाय:

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण:

- संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य है।

महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति:

- महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संसद की 11वीं लोकसभा के दौरान वर्ष 1997 में पहली बार महिला अधिकारिता समिति का गठन किया गया था।

लोकसभा की प्रक्रिया के नियम:

- वर्ष 2014 में, लोकसभा की तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार के नेतृत्व में, लोकसभा के प्रक्रिया के नियमों को पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया था।
- तब से, प्रत्येक लोकसभा समिति के प्रमुख को सभी दस्तावेजों में अध्यक्ष के रूप में संदर्भित किया गया है।

महिला आरक्षण विधेयक 2008:

- यह भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटों को आरक्षित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

आगे की राह

- o राजनीतिक दलों में महिला कोटा लाना
- o आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा देना
- o महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना
- o रूढ़िवादिता से लड़ना
- o लैंगिक तटस्थ भाषाएं लाना

समावेशी समाज की पूर्व-आवश्यकता समावेशी संसद है; समय की मांग है कि मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधियों और निर्णय लेने में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी हो।

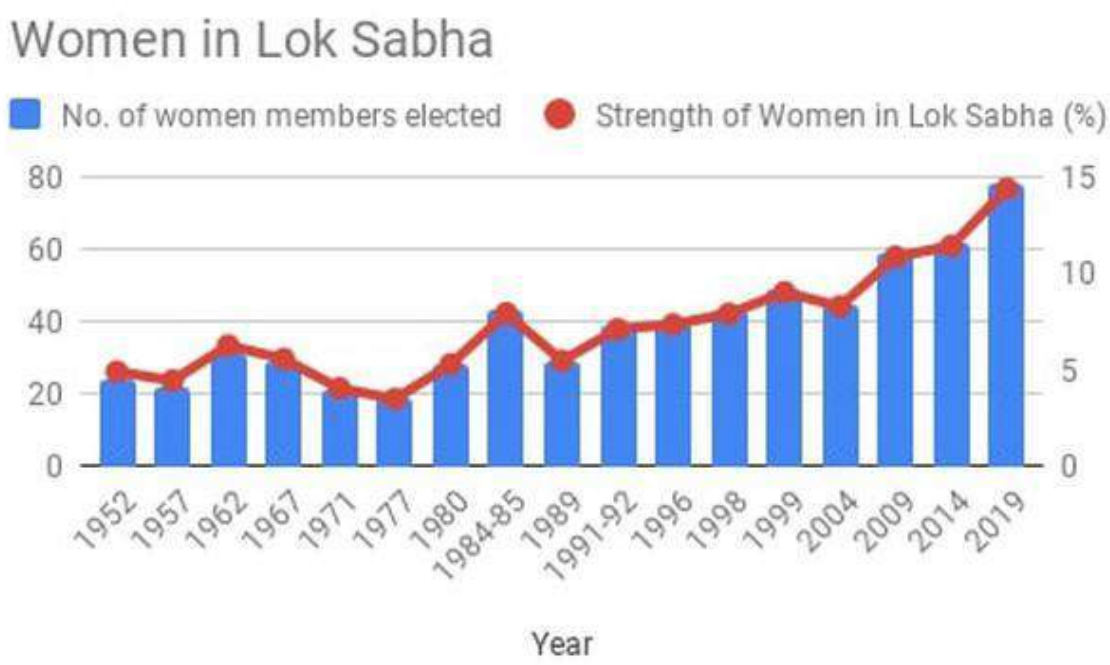

मृत्यु दंड (Death penalty)

संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, मृत्युदंड के प्रशासन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया।

पृष्ठभूमि:

- गैर-सैद्धांतिक सजा, मनमानी और व्यक्तिपरकता के चिंताजनक स्तरों के कारण मृत्युदंड की सजा में लंबे समय से न्यायिक संकट है।
- इस संकट को उच्चतम न्यायालय, भारत के विधि आयोग, शोधार्थियों और नागरिक समाज समूहों द्वारा स्वीकार किया गया है।
- इस चिंता के केंद्र में तथ्य यह है कि मृत्युदंड की सजा कुल मिलाकर अपराध-केंद्रित रही है।

बचन सिंह केस (1980)

- इस मामले में पांच-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने न्यायाधीशों द्वारा पालन की जाने वाली एक रूपरेखा निर्धारित की, जिन्हें आजीवन कारावास और मौत की सजा के बीच चयन करना है।
- इस ढांचे ने सजा सुनाने वाले न्यायाधीशों के लिए अपराध और अभियुक्त दोनों से संबंधित कारकों को ध्यान में रखना और उन्हें उचित वजन देना अनिवार्य बना दिया।
- अभियुक्त की पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत परिस्थितियाँ, मानसिक स्वास्थ्य और उम्र ऐसे विचार थे जिन्हें सजा सुनाने वाले न्यायाधीश को ध्यान में रखना था।
- न्यायाधीशों को यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई मामला मौत की सजा के लिए उपयुक्त है या नहीं और यह भी निर्धारित करने के लिए कि क्या आजीवन कारावास का विकल्प निर्विवाद रूप से बंद कर दिया गया था, कम करने वाले और बढ़ते कारकों को अंदाज़ा लगाना आवश्यक था।
- इस संरचना की आवश्यकताओं और इसके कार्यान्वयन पर न्यायपालिका के सभी स्तरों पर भ्रम है।
- इसका टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अपराध से संबंधित कारक - अपराध की प्रकृति और इसकी क्रूरता - अक्सर प्रमुख विचार होते हैं, और कम करने वाले कारकों पर शायद ही कोई विचार होता है।

- भारत में मौत की सजा पाने वाले कैदियों में से अधिकांश बहुत गरीब हैं और अक्सर उन्हें सक्षम कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है।
- इस प्रकार पिछले चार दशकों में बचन सिंह ढांचे को अक्षरश: लागू नहीं किया गया है।

मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य का महत्व

- निर्णय स्पष्ट है कि सजा के निष्पक्ष होने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक सीमाओं को पूरा किया जाना चाहिए और इस विचार को स्पष्ट रूप से खारिज करता है कि मौत की सजा पूरी तरह से अपराध-आधारित विचारों पर निर्धारित की जा सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- सुधार को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने की प्रतिबद्धता, विशेष रूप से मृत्युदंड की सजा।
- यह राज्य और सजा सुनाने वाले न्यायाधीशों को यह स्थापित करने के लिए कहता है कि आरोपी के सुधार की कोई संभावना नहीं है।
- यह मानता है कि आरोपी के जीवन के पहलू, अपराध से पहले और जेल में अपराध के बाद, दोनों प्रासंगिक हैं।
- इस प्रक्रिया में व्यावहारिक कदम के रूप में, निर्णय अदालतों को परिवीक्षा अधिकारी (Probation Officer) के साथ-साथ जेल और स्वतंत्र मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से रिपोर्ट मांगने के लिए कहता है।
- राज्य को भी ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो कई तरह के कारकों को बताती है। कम करने वाले कारकों को पेश करने और यदि आवश्यक हो तो राज्य को फटकार लगाने के आरोपी के अधिकार को भी मान्यता दी गई है।

चुनौतियां:

- प्रक्रियात्मक सुसंगति और सत्यनिष्ठा लाने के प्रयासों को निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यह निश्चित नहीं है कि इन सुधारों को उन मंचों में सार्थक रूप से लागू किया जाएगा।
- उच्चतम न्यायालय को उपर्युक्त कारकों पर विचार करने के लिए आधार प्रदान करना होगा, ऐसे आधारों के अभाव में मृत्युदंड की सजा सिद्धांतहीन बनी रहेगी और सजा सुनाने वाले न्यायाधीश इस विस्तृत जानकारी की आवश्यकता को समझने वाले नहीं हैं।

हमारे सभी कार्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के एक जटिल जाल का परिणाम हैं और यह समझ आपराधिकता और मौत की सजा की चर्चा पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) (Uniform Civil Code (UCC)

संदर्भ: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के लिए समान नागरिक संहिता **(Uniform Civil Code-UCC)** का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। वर्तमान में, गोवा समान नागरिक संहिता वाला भारत का एकमात्र राज्य है।

पर्सनल लॉ क्या हैं?

- व्यक्तिगत कानून भारतीय नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और उत्तराधिकार को नियंत्रित करते हैं। हम देख सकते हैं कि पर्सनल लॉ निजी क्षेत्र के विषयों या क्षेत्रों पर शासन और नियंत्रित करता है।
- ये कानून काफी हद तक विभिन्न समुदायों के धार्मिक रीति-रिवाजों से प्रभावित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि, हिंदुओं के अपने अलग व्यक्तिगत कानून हैं; जैसा कि मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी और अन्य के हैं।

समान नागरिक संहिता क्या है?

- समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक जैसी स्थिति प्रदान करती है।
- भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) देश के प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के धर्मग्रंथों और रीति-रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले एक सामान्य समूह के साथ बदलने का प्रस्ताव करती है।

UCC के बारे में संविधान क्या कहता है?

- संविधान का अनुच्छेद **44,** जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है, इसके अनुसार, राज्य को पूरे देश में नागरिकों के लिए

समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा।

- हालांकि, आजादी के बाद से सरकारों ने संबंधित धर्म-आधारित नागरिक संहिताओं को भारत की विविधता का सम्मान करने की अनुमति दी है।

- कानूनी विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद **44** में "यूनिफार्म" शब्द का उपयोग किया था, न कि "कॉमन"। "सामान्य" का अर्थ है "सभी परिस्थितियों में एक और समान", जबकि "यूनिफार्म" का अर्थ है "समान परिस्थितियों में समान"।

UCC के बारे में न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण रहा है?

- एकरूपता लाने के लिए, न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को यूसीसी की ओर बढ़ना चाहिए।

शाह बानो केस, 1985

- मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, तलाक के बाद भरण-पोषण का भुगतान केवल इद्दत की अवधि तक ही किया जाना था। (तीन चंद्र महीने-लगभग **90** दिन)।
- हालांकि, **CrPC** की धारा **125** (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) जो सभी नागरिकों पर लागू होती है, पत्नी को जीवन भर या उसकी पुनर्विवाह होने तक भरण-पोषण का प्रावधान है।
- सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रत्येक महीने भरण-पोषण का भुगतान करने का फैसला सुनाया।
- लेकिन उस समय की सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण अधिनियम), **1986** पारित करके फैसले को पलट दिया। इस कानून ने कहा कि भरण-पोषण की अवधि को केवल इद्दत अवधि के लिए ही उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

- **सरला मुद्गल केस (Sarla Mudgal Case)**
  - इस मामले में, सवाल यह था कि क्या हिंदू कानून के तहत विवाहित एक हिंदू पति, इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है।
  - न्यायालय ने माना कि हिंदू कानून के तहत हिंदू विवाह को केवल हिंदू विवाह अधिनियम **1955** के तहत निर्दिष्ट किसी भी आधार पर भंग किया जा सकता है।

- **जॉन वल्लमट्टम केस:**
  - इस मामले में, केरल के एक पुजारी, जॉन वल्लमट्टम ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा **118** की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जो भारत में गैर-हिंदुओं के लिए लागू है।

समान नागरिक संहिता होने के क्या गुण हैं?

- **वास्तविक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना** : धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना में निहित है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य कानून की आवश्यकता है।
- **कानूनों का सरलीकरण**: संहिता विवाह समारोहों, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने के आसपास के जटिल कानूनों को सरल बनाएगी, जिससे वे सभी के लिए एक हो जाएंगे।
- **समानता को बढ़ावा देना** : सिद्धांत रूप में, समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करेगी, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों। फिर वही नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो।
- **राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करना** : समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य में मदद करेगी।
- **लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना** : आमतौर पर यह देखा गया है कि लगभग सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानून महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। उत्तराधिकार और उत्तराधिकार के मामलों में पुरुषों को आमतौर पर शीर्ष वरीयता का दर्जा दिया जाता है। समान नागरिक संहिता पुरुषों और महिलाओं दोनों को बराबरी पर लाएगी।

- **सुधारात्मक और संवैधानिक आदर्शों के साथ गठबंधन**: इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों को उदार बनाना और व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक बनाना है। यह पुरुषों और महिलाओं की समानता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भी है। इसलिए, यूसीसी होने से जो पूरे समाज को कवर करेगा, किसी भी दमनकारी प्रथाओं को हटा देगा और समाज में सुधार लाएगा यह समानता और स्वतंत्रता के संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखता है।
- **न्यायपालिका पर बोझ कम करना** : धार्मिक रीति-रिवाजों और व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न कम मुकदमेबाजी के साथ न्यायपालिका भी बेहतर होगी। राष्ट्र अर्थव्यवस्था, अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और विकास की राजनीति जैसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- **आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का संकेत:** व्यक्तिगत कानूनों को विशिष्ट अनुपात-अस्थायी संदर्भ में तैयार किया गया था और एक बदले हुए समय एवं संदर्भ में स्थिर नहीं होना चाहिए। यूसीसी होने से समाज को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की आधुनिक संवैधानिक मूल्य प्रणाली के आधार पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

यूसीसी को अधिनियमित करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **विविधता चुनौती पेश करना:** भारत में सभी धर्मों, संप्रदायों, जातियों, राज्यों आदि में अद्भुत सांस्कृतिक विविधता के कारण विवाह जैसे व्यक्तिगत मुद्दों के लिए एक समान और समान नियमों के साथ आना व्यावहारिक रूप से कठिन है।
- **धर्म की स्वतंत्रता को कम करना :** संविधान अपने अनुसार धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। समान नियमों के संहिताकरण और उसकी बाध्यता से धर्म की स्वतंत्रता का दायरा कम हो जाएगा।
- **बहुसंख्यकवाद टूल *(Tool of Majoritarianism):*** कई समुदायों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को भय है कि एक सामान्य संहिता उनकी परंपराओं की उपेक्षा करेगी और ऐसे नियम लागू करेगी जो मुख्य रूप से बहुसंख्यक धार्मिक समुदायों द्वारा निर्धारित और प्रभावित होंगे।
- **संवेदनशील और कठिन कार्य:** इस तरह की संहिता, अपनी वास्तविक भावना में, विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों से स्वतंत्र रूप से उधार लेकर, प्रत्येक में क्रमिक परिवर्तन करके और व्यक्तिगत कानून के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत व्याख्याओं को अपनाकर लाया जाना चाहिए। इसलिए, सरकार को उदार और संवेदनशील होना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह सांप्रदायिक हिंसा का आधार बन जाए।

आगे की राह

- एट द एंड ऑफ़ डे, यूसीसी केवल एक विकासवादी प्रक्रिया के माध्यम से उभर सकता है, जो भारत की समृद्ध कानूनी विरासत को संरक्षित करता है, जिसमें सभी व्यक्तिगत कानून समान घटक हैं।
- वर्तमान व्यक्तिगत कानून सुधारों में सुधार के लिए प्रमुख संवेदीकरण प्रयासों की आवश्यकता है, जिसे पहले स्वयं समुदायों द्वारा शुरू किया जाना चाहिए।
- भारत के विधि आयोग को एक समान नागरिक संहिता तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी और उसका मत था कि धर्म और संस्कृति के मामले में ऐसे विविध आयामों वाले देश को कानूनों की एकरूपता की आवश्यकता नहीं है। सभी व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता है, जिससे उन्हें लैंगिक न्यायपूर्ण बनाया जा सके।
- यदि प्रत्येक समुदाय के मौजूदा कानूनों में से प्रत्येक को प्रगतिशील और लैंगिक न्यायसंगत बनाया जाता है, तो हमें सभी समुदायों के लिए एक समान कानून की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है।

समानता आयोग (Equality Commission)

संदर्भ: सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर समानता आयोग की मांग का प्रस्ताव रखा गया है।

पहली बार समानता आयोग की अवधारणा कब बनाई गई थी?

- मार्च 2005 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।
- सात सदस्यीय समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर ने की, और इसने नवंबर 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- मुसलमानों के बीच 'विकास की कमी' पर अपनी टिप्पणियों में, सच्चर समिति की रिपोर्ट ने "सभी वंचित समूहों की शिकायतों को देखने" के लिए समान अवसर आयोग ('ईओसी') की स्थापना की सिफारिश की।
- वर्ष 2008 में, एक विशेषज्ञ समूह, जिसका नेतृत्व सिविल सेवक, एडवोकेट और कानूनी शिक्षक प्रो. एन.आर. माधव मेनन की स्थापना केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा ईओसी मॉडल को लागू करने के लिए की गई थी, जिसमें एक विधायी ढांचा विकसित करना भी शामिल था।
- मेनन समिति की रिपोर्ट ने प्रस्तावित ईओसी की संरचना, कार्यक्षेत्र और कार्यों की सिफारिश की, और इसके कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त विधायी आधार पर सलाह दी।
    - इसने ईओसी के गठन के लिए समान अवसर आयोग विधेयक, 2008 का प्रस्ताव रखा।
    - इस विधेयक का उद्देश्य लिंग, जाति, भाषा, धर्म, वंश, जन्म स्थान, निवास, विकलांगता, वंश, निवास, या कोई अन्य अनुचित मानदंड या किसी के आधार पर किए गए भेदभाव या किसी भेद, बहिष्करण या प्रतिबंध को संबोधित करना है।
- सच्चर समिति द्वारा परिकल्पित और मेनन समिति द्वारा एक कार्यान्वयन मॉडल के रूप में विकसित ईओसी ने आरक्षण के पूरक के लिए एक आयोग का प्रतिनिधित्व किया।
- आरक्षण या 'विकलांगता का उन्मूलन', जैसा कि मेनन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, अवसरों की समानता की गारंटी नहीं देता है। इसलिए, EOC वंचित समूहों के लिए उनके अधिकारों और अधिकारों तक पहुँचने के लिए, और अंतर-समूह असमानताओं को दूर करने के लिए, आरक्षण पर मौजूदा नीतियों से परे एक कदम के रूप में थी।
- मेनन समिति द्वारा तैयार किए गए समान अवसर आयोग विधेयक, 2008 को फरवरी 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, यह सुनिश्चित करने के साथ कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय (व्यापक 'वंचित समूहों' से इसके दायरे को सीमित नहीं करता) धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है और इसके साथ शिकायतों का निवारण किया जाता है। हालांकि, तब से इस बिल की अनदेखी की जा रही है।

मेनन समिति की रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित EOC के कामकाज की व्याख्या कैसे की गई?

- मेनन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, EOC का शिकायत निवारण कार्य सीमित और सहायक क्षमता में ही होगा।
- रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव को नियंत्रित करने के लिए राज्य के सकारात्मक दायित्व पर बल दिया।
- तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, तत्कालीन प्रधान मंत्री, डॉ मनमोहन सिंह और तत्कालीन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को जून 2009 में एक पत्र में बताया गया था कि मेनन समिति की रिपोर्ट में समान अवसर और विविधता प्रदान की गई थी, लेकिन यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव को परिभाषित करने और रोकने में विफल रहा।
- इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मेनन समिति की रिपोर्ट के तहत EOC केवल रोजगार और शिक्षा क्षेत्रों में भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिबंधित था।
- मेनन समिति द्वारा प्रस्तावित EOC, स्वैच्छिक अनुपालन और मध्यस्थता निपटान पर निर्भर था, इस प्रकार एक प्रवर्तन तंत्र का अभाव था।

- इसके 'समूह-संचालित' मॉडल के अलावा, भेदभाव के व्यक्तिगत पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रस्तावित ईओसी की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था।

क्या समानता आयोग पर कानून लाने का प्रयास किया गया है?

- भेदभाव विरोधी और समानता विधेयक, 2016, कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा प्रस्तुत एक निजी सदस्य विधेयक, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से बचाना है।
- यह भेदभाव विरोधी कानून को फिर से पेश करने की दिशा में एक कदम था।
- विधेयक में केंद्रीय और राज्य समानता आयोगों के गठन का प्रस्ताव किया गया है
  o भेदभाव को समाप्त करना
  o जागरूकता को बढ़ावा देना
  o उपचार प्राप्त करने में व्यथित व्यक्तियों की सहायता करना
  o उत्पीड़न से भेदभाव से सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करना
  o वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- बिल 'सममित सुरक्षा' प्रदान करता है, यानी यह अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यकों की भी रक्षा करता है।
- यह सभी प्रकार के भेदभाव पर केंद्रित है, और जाति, लिंग या धर्म तक ही सीमित नहीं है।
- यह विधेयक नियोक्ताओं, जमींदारों, खुदरा विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- इस प्रकार, एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में समानता के अधिकार की रक्षा के अलावा, बिल अन्य बातों के अलावा आवास, शिक्षा, काम और चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्रों में भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है।
- सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च ('सीएलपीआर') ने एक समानता विधेयक, 2019 को कई पहचानों पर आधारित भेदभाव-विरोधी बिल के रूप में पेश किया।

संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद, हमें समानता आयोग की आवश्यकता क्यों है?

- भारतीय संविधान का भाग III समानता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है
  o अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता)
  o अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध)
  o अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता)
  o अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन)
- अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के सीमित आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इस प्रकार, यह भेदभाव के अन्य व्यापक रूपों को बाहर करता है; उदाहरण के लिए, विकलांगता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, व्यवसाय और भाषाई पहचान।
- हालांकि संविधान का अनुच्छेद 15(2) निजी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, लेकिन निजी भेदभाव के खिलाफ कुछ मामलों में मुकदमा चलाया जाता है। अदालतों में अधिकांश मुकदमे राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ शुरू किए जाते हैं।
- इसके अलावा, अधिकांश मामलों में, अदालतों ने उत्पीड़न, अलगाव और उत्पीड़न सहित अन्य अप्रत्यक्ष भेदभाव को छोड़कर, भेदभाव की व्याख्या को उसके प्रत्यक्ष रूप तक ही सीमित रखा है।
- चूंकि केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के पास ही संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने की शक्ति है, भेदभाव के हर उदाहरण के लिए इन अदालतों में जाना शायद ही एक व्यवहार्य विकल्प है। इसके अलावा, न्यायपालिका पर मामलों के काफी बैकलॉग का बोझ अभी भी बना हुआ है।

- इस प्रकार, स्थानीय प्रवर्तन तंत्र, समानता आयोगों के रूप में, बिल को फिट करते हैं।

भेदभाव को संबोधित करने वाले पहले से मौजूद आयोगों के अलावा, क्या हमें एक समानता आयोग की आवश्यकता है?

- राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जैसे आयोग हर साल भेदभाव के हजारों मामलों से निपटने और उन्हें संभालने के लिए मौजूद हैं।
- विशेष रूप से, ये व्यक्तिगत आयोग विशिष्ट भेदभाव के खिलाफ विशिष्ट समुदायों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- जबकि ये आयोग असमानताओं के खिलाफ शिकायतों को संभालते हैं, वे देश में देखे गए भेदभाव का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करते हैं।
- प्रत्येक आयोग 'भेदभाव' शब्द की एक अलग समझ के साथ काम करता है।
- समानता आयोग जैसी संस्था, जो कई पहचानों और भेदभाव पर आधारित है, अन्य आयोगों द्वारा नियंत्रित शिकायतों से लाभ उठा सकती है।
- एक समानता आयोग एक व्यापक तंत्र के रूप में पेश कर सकता है जो सभी प्रकार के भेदभाव को कवर करता है, आयोगों के विपरीत जो केवल जाति, धर्म या लिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- हालांकि, यह अनिवार्य है कि मेनन आयोग के तहत प्रस्तावित ईओसी की कमियों को दूर किया जाए, ताकि एक समानता आयोग के कार्य भेदभाव के विभिन्न रूपों से निपटने वाले पहले से मौजूद आयोगों के साथ ओवरलैप न हों।

क्या इसी तरह का आयोग दूसरे देश में स्थापित किया गया है?

- समानता और मानवाधिकार आयोग (ईएचआरसी) ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय समानता निकाय है। समानता अधिनियम 2006 द्वारा स्थापित एक वैधानिक गैर-विभागीय सार्वजनिक निकाय के रूप में, आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

आगे की राह

- एक सुसंगत भेदभाव-विरोधी या समानता आयोग, हालांकि, एकल, व्यापक भेदभाव-विरोधी या समानता कानून के समर्थन के बिना अप्रभावी है। जबकि इस तरह के कानून को बार-बार प्रस्तावित किया गया है, अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह एक विलक्षण समानता कानून को अपनाए।
- निजी सदस्य का वर्ष 2016 का विधेयक व्यपगत हो गया, सरकार ने इसे अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा में हालिया उछाल को देखते हुए, इस तरह के कानून का महत्व बढ़ जाता है

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत और वियतनाम संबंध

चर्चा में क्यों : भारत और वियतनाम ने आपसी लॉजिस्टिक समर्थन पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

- वर्ष 2030 की ओर भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन स्टेटमेंट' पर भी हस्ताक्षर किए, जो मौजूदा रक्षा सहयोग के दायरे और पैमाने को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।
- और वियतनाम को दी गई 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा ऋण सहायता को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सहमत हुए।

लॉजिस्टिक समझौते क्या हैं?

- लॉजिस्टिक समझौते प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जो ईंधन के आदान-प्रदान के लिए सैन्य सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं और भारत से दूर संचालन करते समय सैन्य समर्थन को सरल बनाने और सैन्य के संचालन को बढ़ाने के लिए आपसी समझौते पर प्रावधान हैं।

भारत-वियतनाम संबंध

- भारत और वियतनाम के बीच संबंध साझा राजनीतिक हितों के कई क्षेत्रों द्वारा शासित हैं।

सहयोग के क्षेत्र:

आर्थिक संबंध:

- भारत अब वियतनाम का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- आसियान देशों में वियतनाम भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- वियतनाम आसियान क्षेत्र में सिंगापुर के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है।
- भारत त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (quick impact projects-QIP), वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में प्रस्तावों, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), और डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से वियतनाम के लिए विकास और क्षमता सहायता में निवेश कर रहा है।

रक्षा सहयोग:

- दोनों देशों के बीच संबंधों, विशेष रूप से रक्षा संबंधों को, भारत कीलुक ईस्ट पॉलिसी (Look East policy) से व्यापक रूप से लाभ हुआ।
- वियतनाम भारत की आकाश से हवा में मार करने वाली प्रणालियों और ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों और ब्रह्मोस मिसाइलों में रुचि रखता है।
- इसके अलावा, रक्षा संबंधों में क्षमता निर्माण, सामान्य सुरक्षा चिंताओं से निपटना, कर्मियों का प्रशिक्षण और रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग शामिल हैं।
- दोनों देश मजबूत भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग की पुष्टि करते हैं जो व्यापक सामरिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है।

सामरिक भागीदारी:

- वर्ष **2017** में द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" में और वर्ष **2016** में "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" में अपग्रेड किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सहयोग उदाहरणात्मक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए साझा सम्मान, जिसमें **UNCLOS 1982** शामिल है, और एक नियम-आधारित आदेश एक मजबूत समानता है।

कई मंचों पर सहयोग:

- भारत और वियतनाम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग, एशिया यूरोप बैठक (एएसईएम), और यूएनएससी जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग करते हैं।

पर्यटन:

- वर्ष **2019** में लगभग **169,000** भारतीयों ने वियतनाम का दौरा किया और **31,000** से अधिक वियतनामी ने भारत का दौरा किया, जिसमें वर्ष **2018** की तुलना में क्रमशः **28%** और **32%** की वृद्धि दर्ज की गई।
- भारत कई वियतनामियों के लिए एक पसंदीदा आध्यात्मिक गंतव्य है क्योंकि यह कई प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों का घर है।

चीनी फैक्टर (China factor):

- दोनों देशों की चीन के साथ सीमा संबंधी समस्याएं हैं।
- चीन आक्रामक रूप से दोनों देशों के क्षेत्रों में अतिक्रमण करना जारी रखे हुए है।
- इसलिए, चीन को उसकी आक्रामक कार्रवाइयों से रोकने के लिए दोनों देशों का करीब आना स्वाभाविक है।

आगे की राह

- **परस्पर समन्वय और सहयोग:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अनूठी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों को कई मंचों पर घनिष्ठ समन्वय में काम करना चाहिए।
- **साझा क्षेत्रों को बढ़ावा देना:** भारत और वियतनाम दोनों ही ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक-दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं।
- वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, संपर्क में सुधार करना और क्षेत्र में अच्छे संबंध स्थापित करना, दोनों देशों को इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति से लड़ने में मदद करता है।

भारत-ईरान संबंध

संदर्भ: हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री की भारत की पहली यात्रा के द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई निहितार्थ हैं।

राजनीतिक संबंध:

- भारत और ईरान ने वर्ष 1947 तक एक सीमा साझा की और अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में कई समान विशेषताएं साझा कीं।
- स्वतंत्र भारत और ईरान ने 15 मार्च 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए।

आर्थिक संबंध:

ऊर्जा

- भारत-ईरान वाणिज्यिक संबंध परंपरागत रूप से ईरानी कच्चे तेल के भारतीय आयात पर हावी रहे हैं।
- ईरान भारत के लिए कच्चे तेल के शीर्ष स्रोतों में से एक रहा है।
- प्रस्तावित ईरान-ओमान-भारत समुद्र के भीतर गैस पाइपलाइन भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है।

भू-सामरिक/कनेक्टिविटी

- चाहबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत को पाकिस्तान के माध्यम से ओवरलैंड मार्ग को बायपास करने और पश्चिम तथा मध्य एशिया के साथ बेहतर व्यापार संबंधों में मदद करने में मदद करेंगी।

भू-राजनीतिक:

- ईरान मध्य एशिया और अफगानिस्तान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा।
- भारत और ईरान अफगानिस्तान में नियम आधारित व्यवस्था की मांग को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को शामिल कर सकते हैं।

सांस्कृतिक संबंध:

- वर्ष 2008 में दो देशों में "संस्कृति दिवस" आयोजित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत पिछले कुछ वर्षों में ईरानी पर्यटकों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरा है और हर साल लगभग 40,000 ईरानी

विभिन्न उद्देश्यों के लिए भारत आते हैं।

आतंकवाद:

- भारत और ईरान दोनों ही अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों द्वारा आतंकवाद के खतरे का सामना करते हैं। इसलिए दोनों देश आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने हितों का विलय कर सकते हैं।

चुनौतियां:

असहिष्णुता की धारणा:

- पैगंबर पर भारत में की गई टिप्पणियों की 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा आलोचना की गई थी।
- इस विवाद ने भारत की अन्य राजनयिक गतिविधियों पर भारी पड़ गया।

चीनी फैक्टर:

- ईरान चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का एक हिस्सा है। यह ईरान में भारत के हितों के विरोध में आ सकता है।

ईरान पर अमरीका के प्रतिबंध

- भारत ने प्रतिबंधों (तेल आयात) के कारण अपने ईरानी जुड़ाव में भारी कटौती की है, जबकि ईरान ने अधिक बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए चीन की ओर रुख किया।
- द्विपक्षीय व्यापार 17 बिलियन डॉलर (2017-18) से घटकर केवल 2 बिलियन डॉलर (2020-21) रह गया।

भारत-इजरायल संबंध

- ऐसा प्रतीत होता है कि नई दिल्ली के इजरायल-भारत-यूएई-यू.एस. समूह में शामिल होने के फैसले से संबंध प्रभावित हुए हैं। जिसे "ईरान विरोधी (anti-Iran)" गठबंधन के रूप में चित्रित किया गया है।

आगे की राह

- भारत को मध्य पूर्व और पश्चिम के बीच संतुलन बनाने की की जरूरत है। भारत को इसके बाहर निकलने से बनी जगह पर करीब से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि भारत का नुकसान अन्य देशों, खासकर चीन के लिए एक अवसर है।

भारत-बांग्लादेश संबंध

चर्चा में क्यों : भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग का 7वां दौर हाल ही में आयोजित किया गया।

- भारत ने बांग्लादेश में वार्षिक बाढ़ के प्रबंधन में सहायता प्रदान की।
- और बांग्लादेश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्ट-अप्स, फिनटेक और साइबर सुरक्षा पर काम करने की इच्छा भी जताई।

भारत-बांग्लादेश संबंध

- भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाले और दिसंबर 1971 में अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।

आर्थिक संबंध:

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- वित्त वर्ष 2019-20 में, बांग्लादेश को भारत का निर्यात 8.2 अरब डॉलर और आयात 1.26 अरब डॉलर था।

कनेक्टिविटी:

- दोनों देशों ने संयुक्त रूप से हल्दीबाड़ी (भारत) और चिल्हाटी (बांग्लादेश) के बीच नए बहाल रेलवे लिंक का उद्घाटन किया।
- भारत, बांग्लादेश तथा नेपाल ने बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते (एमवीए) को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप प्रदान किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (PIWTT) पर प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए।
- कोलकाता-ढाका-अगरतला बस सेवा भी वर्ष 2015 में शुरू हुई। इससे कोलकाता और अगरतला के बीच की दूरी 1,650 किमी से घटकर महज 500 किमी रह गई।

नदियों पर सहयोग:

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं।
- एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) जून 1972 से काम कर रहा है ताकि दोनों देशों के बीच साझा नदी प्रणालियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क बनाए रखा जा सके।

रक्षा सहयोग:

- **सीमा प्रबंधन:** भारत की बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा की साझेदारी है।
- भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (एलबीए) जून 2015 में अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान के बाद लागू हुआ।
- दोनों देशों के बीच सेना (अभ्यास संप्रीति) और नौसेना (अभ्यास मिलान) के विभिन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं।

चिकित्सा पर्यटन:

- बांग्लादेश में भारत के अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों का 35% से अधिक हिस्सा है।
- चिकित्सा पर्यटन से भारत के राजस्व में अकेले बांग्लादेश का योगदान 50% से अधिक है।

बहुपक्षीय मंचों में सहयोग:

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) और बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation-BIMSTEC) जैसे प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य है।
- यूएनएससी जैसे वैश्विक मंचों पर एकजुटता, एसडीजी हासिल करने के लिए मिलकर काम करना।

- COVID-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिए मार्च 2020 में सार्क नेताओं के वीडियो सम्मेलन में बांग्लादेश की भागीदारी और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वैश्विक महामारी के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सार्क आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष के निर्माण के लिए सहयोग।

हाल की प्रगति

- हाल ही में, भारत और बांग्लादेश ने सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए और अपनी साझेदारी को गहरा करने के लिए तीन परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।
- भारत से और विशेषकर पूर्वोत्तर भारत से माल की आवाजाही के लिए बांग्लादेश में चटोग्राम और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग।
- त्रिपुरा में पेयजल आपूर्ति के लिए बांग्लादेश की फेनी नदी का उपयोग।

चुनौतियां:

तीस्ता नदी जल विवाद:

- वर्ष 2011 के अंतरिम सौदे का लक्ष्य भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी को क्रमश: 42.5 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत साझा करना है।
- लेकिन, पश्चिम बंगाल राज्य ने इस मांग का विरोध किया और कभी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया, और इस मुद्दे पर तनाव बना रहता है।

अवैध प्रवासियों की समस्या :

- बांग्लादेश पहले ही असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू करने पर चिंता जता चुका है, जो असम में रहने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करने और अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए किया गया एक अभ्यास है।

चीनी फैक्टर

- बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का एक सक्रिय भागीदार है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- बांग्लादेश भी पनडुब्बियों सहित चीनी सैन्य सूची का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता है।

अन्य मामले:

- सीमावर्ती जिलों में सशस्त्र डकैती, नकली धन हस्तांतरण, पशु तस्करी भी भारत के लिए चिंता का विषय है।
- अवैध प्रवासियों की तस्करी और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना, भारत में वेश्यावृत्ति भी भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक चुनौती है।
- इसके अलावा, बांग्लादेश मणिपुर में बराक नदी पर भारत के प्रस्तावित तापाईमुख बांध और भारत द्वारा नदियों को जोड़ने की परियोजना का भी विरोध कर रहा है।

आगे की राह

- तीस्ता जैसे नदी जल विवादों का शीघ्र समाधान भारत-बांग्लादेश संबंधों को बढ़ावा देने का बेहतर तरीका है।
- अवैध व्यापार, तस्करी, पशु तस्करी आदि जैसे सीमा मुद्दों को कम करने के लिए संयुक्त बलों की भागीदारी।
- सार्क, बिम्सटेक आदि जैसे क्षेत्रीय समूहों को मजबूत करना और नेबरहुड फर्स्ट नीति पर ध्यान केंद्रित करना।

भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की खोज और दक्षिण एशियाई देशों के साथ बेहतर संपर्क के लिए आवश्यक हैं।

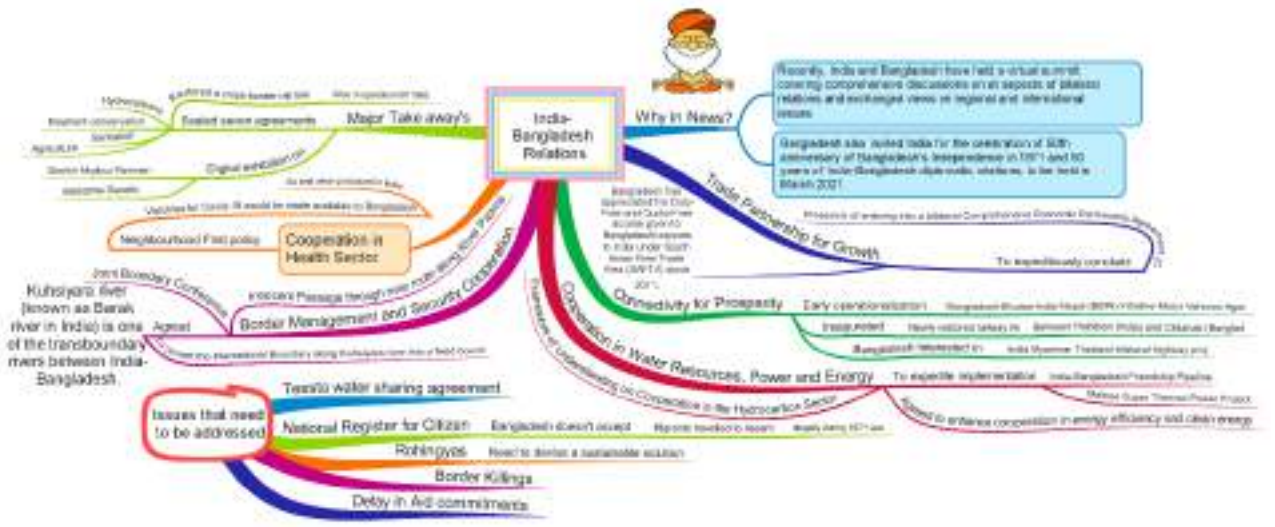

चीन और प्रशांत द्वीप समूह राष्ट्र (China and Pacific Islands Nations)

संदर्भ: प्रशांत द्वीप समूह में चीन का बढ़ता पदचिह्न।

- चीन के विदेश मंत्री, वर्तमान में दस प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) की आठ दिवसीय यात्रा पर हैं, और उन्होंने फिजी के साथ दूसरी चीन-प्रशांत द्वीप देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की सह-मेजबानी की है।
- बैठक के दौरान, एक व्यापक ढांचे के सौदे को आगे बढ़ाने के चीन के प्रयास पीआईसी के बीच आम सहमति हासिल करने में विफल रहे।
- हालांकि इसने प्रशांत द्वीपों में चीन के बढ़ते पदचिह्न के बारे में क्षेत्रीय चिंताओं को बढ़ा दिया है, इसे इस क्षेत्र में चीन की सीमाओं के प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया है।

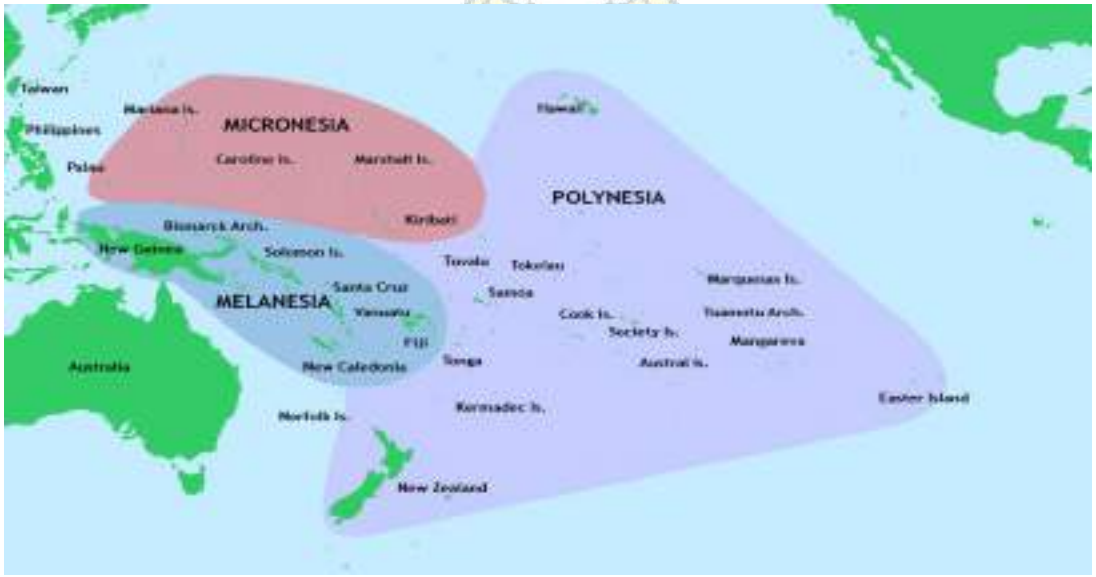

PICs का रणनीतिक महत्व क्या है?

- प्रशांत द्वीप देश 14 राज्यों का समूह है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से

संबंधित है।

- इनमें कुक आइलैंड्स, फिज़ी, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया (FSM), नाउरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं।
- द्वीपों को भौतिक और मानव भूगोल के आधार पर तीन अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है - माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया।
- हालांकि इनमे से कुछ सबसे छोटे एवं सबसे कम आबादी वाले राज्य हैं, जिनके पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) हैं।
- बड़े EEZ में बहुत अधिक आर्थिक संभावनाएं हैं क्योंकि उनका उपयोग मत्स्य पालन, ऊर्जा, खनिजों और वहां मौजूद अन्य समुद्री संसाधनों का दोहन करने के लिये किया जा सकता है।
- इसलिये ये छोटे द्वीप राज्यों के बजाय बड़े महासागरीय राज्यों के रूप में पहचाने जाते हैं।
- औपनिवेशिक युग की प्रमुख शक्तियों ने इन सामरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान (शाही जापान और यूएस) प्रशांत द्वीपों ने भी संघर्ष के प्रमुख कारकों में से एक के रूप में काम किया।
- साझा आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं द्वारा संबंधित 14 PICs संयुक्त राष्ट्र में मतदान के लिये ज़िम्मेदार हैं और अंतर्राष्ट्रीय राय जुटाने हेतु प्रमुख शक्तियों के संभावित वोट बैंक के रूप में कार्य करते हैं।

चीन पीआईसी से क्या प्राप्त करना चाहता है और कैसे?

- PICs चीन के समुद्री हित और नौसैनिक शक्ति के विस्तार की प्राकृतिक रेखा में अवस्थित हैं।
- PICs भू-रणनीतिक दृष्टि से उस स्थान पर अवस्थित हैं जिसे चीन अपने 'सुदूर समुद्र' के रूप में संदर्भित करता है, जिसका नियंत्रण चीन को एक प्रभावी ब्लू वाटर सक्षम नौसेना बना देगा - जो महाशक्ति बनने के लिये एक आवश्यक शर्त है।
- ऐसे समय में जब क्वाड चीन के मुकाबले भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख मजबूती के रूप में उभरा है, चीन के लिए पीआईसी को प्रभावित करने की आवश्यकता और भी अधिक दबाव का विषय बन गई है।
- ताइवान कारक चीन के प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है - इसलिए PIC को पश्चिम और ताइवान से दूर करने से चीन के लिए ताइवान के पुन: एकीकरण का लक्ष्य आसान हो जाएगा।
- चीन और ताइवान के बीच प्रशांत क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में राजनयिक मान्यता प्राप्त करने के मामले में एक शून्य - राशि का खेल (zero-sum game) चल रहा है।

चीन के ताजा कदम के क्या निहितार्थ हैं?

- चीन ने पीआईसी के प्रति अपनी आर्थिक कूटनीति के अलावा सुरक्षा सहयोग के बारे में बात करना शुरू कर दिया है।
- हाल ही में, चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने क्षेत्रीय चिंताओं को उठाया।
- पीआईसी द्वारा खारिज किए गए हालिया दस्तावेज राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के बारे में एक व्यापक प्रस्ताव देते हैं और पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोग के अधिक विशिष्ट विवरणों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
- प्रशांत द्वीप समूह के प्रति चीन की कूटनीति की तीव्रता ने उन शक्तियों को बना दिया है जिन्होंने परंपरागत रूप से यू.एस. और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रीय गतिशीलता को नियंत्रित किया है।

चीन-सोलोमन द्वीप समझौते के बाद से अमेरिका ने इस क्षेत्र के लिए अपनी राजनयिक प्राथमिकता पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नए विदेश सचिव को पीआईसी को उचित प्राथमिकता और सहायता के वादे के साथ, संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए द्वीपों में भेजा है।

रूस के तेल पर यूरोपीय संघ का प्रतिबंध (EU ban on Russia's Oil)

संदर्भ: रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से प्रतिबंधों के छठे पैकेज के हिस्से के रूप में, 30 मई को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने वर्ष के अंत तक 90% रूसी कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गया। आंशिक प्रतिबंध, ब्रुसेल्स में विस्तारित वार्ता के बाद काम किया, प्रतिबंध के लिए हंगरी की आपत्तियों को दरकिनार करने के लिए पाइपलाइन तेल को छूट दी गई।

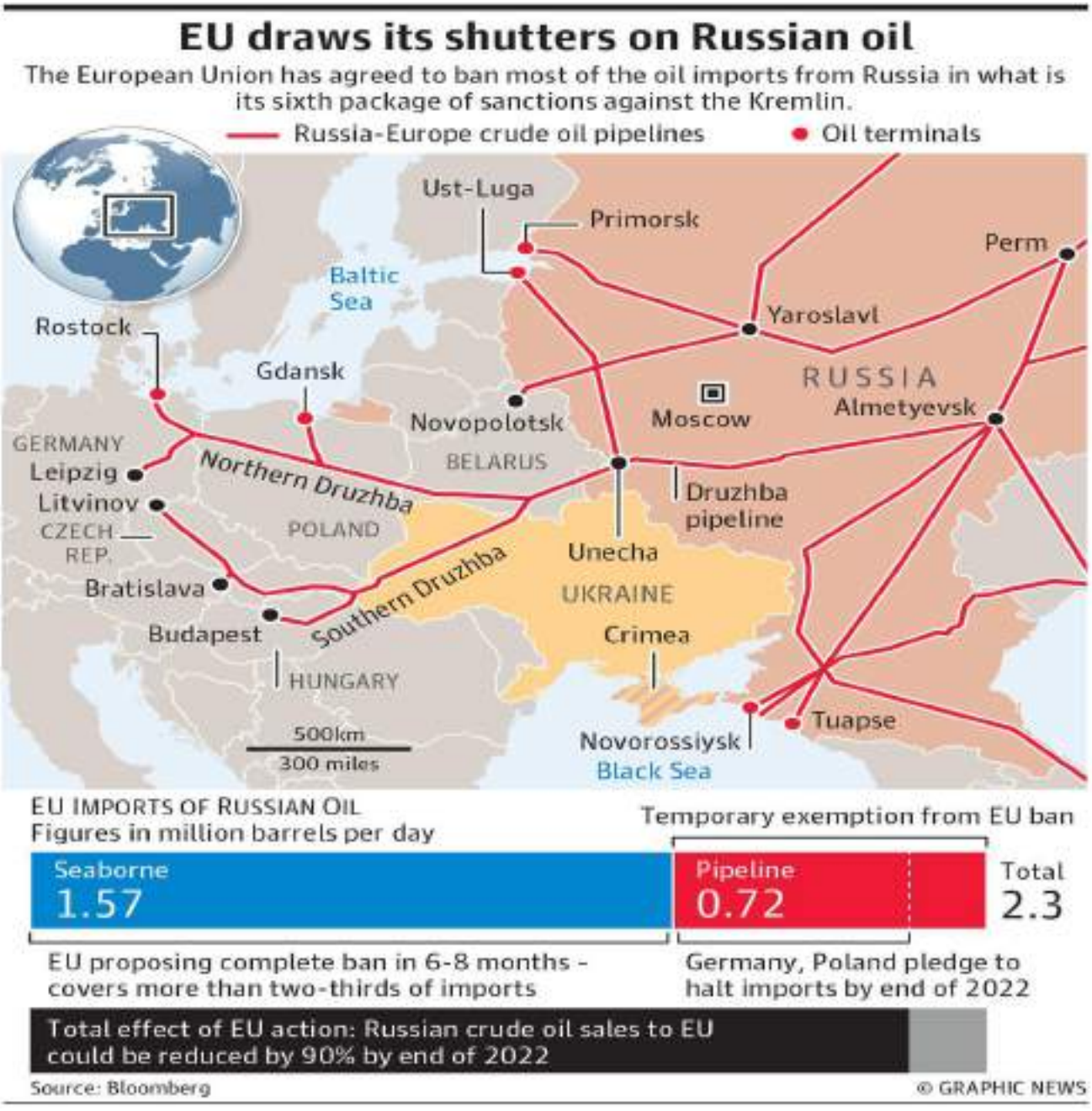

रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया?

- यूक्रेन वर्ष ***1991*** तक सोवियत संघ का सदस्य था, जब यह अलग हुआ, और रूस ने इसे अपनी समूह में बनाए रखने की कोशिश की।
- वर्ष ***2014*** में चुनी गई नई यूक्रेनी सरकार ने रूस के बजाय यूरोप का पक्ष लिया।

- रूस चिंतित था कि यूक्रेन अमेरिका और यूरोप के साथ एक सैन्य गठबंधन - नाटो- में शामिल हो जाएगा जो रूस के सुरक्षा हित के लिए खतरा होगा।
- वर्ष ***2014*** में, रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में क्रीमिया नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया ताकि काला सागर में अपने समुद्री हितों की रक्षा की जा सके।
- *24* फरवरी, ***2022*** को रूसी लोगों को अपने संबोधन में, पुतिन ने कहा कि इसका उद्देश्य 'उन लोगों की रक्षा करना' है जो पिछले आठ वर्षों से 'गुंडागर्दी और नरसंहार का सामना कर रहे थे और इसके लिए हम यूक्रेन के विसैन्यीकरण और नाजियों से मुक्तिकरण के लिए प्रयास करेंगे।'
- जल्द ही एक और उद्देश्य जोड़ा गया: यूक्रेन की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना।
- युद्ध से पहले, रूस की मांग है कि NATO 1997 से पहले वाली स्थिति में लौट जाए, यानी उसने यूरोप में जो सैन्य ठिकाने बनाए हैं, उन्हें हटा ले। रूस चाहता है कि NATO गारंटी दे कि वह रूस की सीमा के पास घातक हथियारों की तैनाती नहीं करेगा। अगर NATO ऐसा करता है तो उसे केंद्रीय यूरोप, पूर्व यूरोप और बाल्टिक क्षेत्र से अपनी सेनाओं को हटाना होगा।

रूस के आक्रमण पर पश्चिम की क्या प्रतिक्रिया रही है?

- युनाइटेड स्टेट्स और अधिकांश यूरोप यूक्रेनियन के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन को अपना भविष्य खुद तय करने में सक्षम होना चाहिए।
  - अमेरिका ने नाटो की "ओपन-डोर पॉलिसी" को बदलने से इनकार किया है, जिसका अर्थ है कि नाटो अधिक सदस्यों को शामिल करना जारी रखेगा।
  - अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने कहा है कि वे यूक्रेन को प्रशिक्षण और हथियार देना जारी रखेंगे।

इसके अलावा, पश्चिम द्वारा व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को अनुबंधित करना है।

- **वित्तीय प्रतिबंध:**
  - रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्ति को उसके *630bn* डॉलर *(£470bn)* के विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने से रोकने के लिए फ्रीज कर दिया गया है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस को अमेरिकी बैंकों में रखे *$600m* का उपयोग करके ऋण भुगतान करने से रोक दिया है, जिससे रूस के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋणों को चुकाना कठिन हो गया है।
  - प्रमुख बैंक अंतरराष्ट्रीय स्विफ्ट भुगतान हस्तांतरण नेटवर्क से बाहर हो गए हैं।
- **तेल और प्राकृतिक गैस:** अमेरिका ने रूसी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है; यूरोपीय संघ का लक्ष्य एक वर्ष के भीतर गैस के आयात में दो-तिहाई की कटौती करना है और उसने प्रतिबंधों के नए पैकेज की घोषणा की है जिसका उद्देश्य तेल आयात पर प्रतिबंध लगाना है; यूके का लक्ष्य *2022* के अंत तक रूसी तेल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।
  - प्राकृतिक गैस के लिए रूस के मुख्य निर्यात गंतव्य जर्मनी ने घोषणा की है कि वह नई नॉर्ड स्ट्रीम ***2*** गैस पाइपलाइन को निलंबित कर देगा।
- **उड़ानें:** रूसी एयरलाइनों को यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में हवाई क्षेत्र से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ब्रिटेन ने रूसियों द्वारा चार्टर्ड निजी जेट विमानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
- **सैन्य सामान और भाड़े के सैनिक:** दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध - एक नागरिक और सैन्य उद्देश्य दोनों के साथ, जैसे वाहन के पुर्जे - यूके, यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा लगाए गए हैं।
- **व्यक्तियों को लक्षित करना:** अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अन्य देशों ने ***1,000*** से अधिक रूसी व्यक्तियों और व्यवसायों को मंजूरी दी है, जिनमें धनी व्यापारिक नेता, रूसी सरकार के अधिकारी और परिवार के सदस्य शामिल हैं।

- यूके ने "गोल्डन वीज़ा" की बिक्री को भी रोक दिया है, जिसने धनी रूसियों को ब्रिटिश निवास के अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी थी।

- **लक्ज़री सामान :** यूके और यूरोपीय संघ ने रूस को लक्जरी सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है - जिसमें वाहन, फैशन और कला शामिल हैं। यूके ने वोदका ***(vodka)*** सहित रूस से कुछ आयात पर ***35%*** कर भी लगाया है।

यूरोपीय संघ ने अभी-अभी कौन से प्रतिबंध लगाए हैं*?*

- अब तक, यूरोपीय संघ के राज्य रूस से ***2.2*** मिलियन बैरल प्रति दिन (बीपीडी) कच्चे तेल और ***1.2*** मिलियन बीपीडी तेल उत्पादों का आयात करते रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमत को देखते हुए, यह रूस को प्रतिदिन ***$1m (£800,000)*** से अधिक कमा रहा है।
- यूरोपीय संघ के राष्ट्र रूस से समुद्र के रास्ते आने वाले किसी भी तेल का आयात बंद करने के लिए सहमत हो गए हैं, जो कुल के लगभग दो-तिहाई को नियंत्रित करता है।
- हालांकि, अस्थायी आधार पर, वे पाइपलाइन द्वारा रूसी तेल का आयात करना जारी रखेंगे। यह हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और बुल्गारिया जैसे देशों को दुनिया के सबसे बड़े तेल पाइपलाइन नेटवर्क ड्रूज़बा पाइपलाइन के माध्यम से आयात जारी रखने के लिए लाभान्वित करने के लिए है।
  - इसके अतिरिक्त, हंगरी ने एक गारंटी प्राप्त की है कि वह अपनी पाइपलाइन आपूर्ति में व्यवधान के मामले में समुद्री रूसी तेल का आयात कर सकता है क्योंकि यह यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से होकर गुजरता है।
  - हालांकि, जर्मनी और पोलैंड, जो पाइपलाइन से रूसी तेल का आयात भी करते हैं, का कहना है कि वे इस साल के अंत तक ऐसा करना बंद कर देंगे।
  - यह रूस से यूरोपीय संघ के तेल आयात को प्रभावी रूप से अपने मौजूदा स्तर के ***10*** या ***11%*** तक कम कर देगा।

क्या प्रतिबंधों में अन्य तत्व हैं*?*

- तेल प्रतिबंध के अलावा, प्रतिबंधों के पैकेज में रूस के खिलाफ अन्य कड़े कदम भी शामिल हैं। इसमे :
- रूस के सबसे बड़े बैंक ***Sberbank*** को ***SWIFT*** मैसेजिंग सिस्टम से काट देना, जिसके पास रूसी बैंकिंग संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा है***;***
- यूरोपीय संघ से तीन रूसी-स्वामित्व वाले प्रसारण नेटवर्क पर प्रतिबंध***;***
- यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर प्रतिबंध***;*** तथा
- रूसी जहाजों को तेल के परिवहन से संबंधित बीमा, वित्तपोषण, दलाली या किसी अन्य तकनीकी सेवाओं की पेशकश करने वाली यूरोपीय संघ-आधारित फर्मों पर प्रतिबंध - गैर-यूरोपीय संघ के गंतव्यों के लिए अपने तेल को हटाने की रूस की क्षमता को रोकने के उद्देश्य से उपाय।

प्रतिबंधों का रूस पर क्या असर होगा*?*

- विश्लेषकों का अनुमान है कि यूरोप के रूसी तेल के आयात में दो-तिहाई कटौती का मतलब तेल में एक दिन में ***1.2-1.5*** मिलियन बैरल और परिष्कृत उत्पादों में एक मिलियन बैरल की कमी होगी, जिससे रूस को ***10*** अरब डॉलर के राजस्व में वार्षिक नुकसान हो सकता है।
- रूस के सीमित भंडारण बुनियादी ढांचे को देखते हुए, मांग में कटौती रूस को अन्य बाजारों को खोजने के लिए मजबूर करेगी। चूंकि यह आसान नहीं होगा, इसलिए रूस को उत्पादन में ***20-30%*** की कटौती करनी पड़ सकती है।
- अब तक, एशियाई आयातकों, विशेष रूप से भारत ने कुछ अतिरिक्त इन्वेंट्री को रियायती कीमतों पर अब्सॉर्ब ***(absorbed)*** किया है।
- लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रतिबंध का यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियानों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

प्रतिबंधों का यूरोप पर क्या असर होगा*?*

- इससे यूरोप में मुद्रास्फीति और बढ़ने की संभावना है, जहां कई देश पहले से ही जीवन-यापन के संकट का सामना कर रहे हैं।

- यूरोपीय संघ के नेताओं ने विरोधाभासी दबावों को संतुलित करने की कोशिश की है।
- लेकिन यूरोपीय जीवन शैली ने सस्ते रूसी ऊर्जा को हल्के में लेने की प्रवृत्ति की है, और यदि मुद्रास्फीति और अधिक चरम पर है, तो यूरोपीय संघ कठोर प्रतिबंधों के लिए सार्वजनिक समर्थन खोने का जोखिम उठाया है।

रूसी गैस के आयात के बारे में क्या?

- रूसी तेल की तुलना में, रूसी गैस पर यूरोप की निर्भरता बहुत अधिक है, और यह प्रतिबंध रूसी गैस के आयात को छोड़ देता है - जो यूरोप के प्राकृतिक गैस आयात का *40%* हिस्सा अछूता है।
- दूसरे शब्दों में, यूरोप रूस को गैस के आयात के लिए भुगतान करना जारी रखेगा। लेकिन प्राकृतिक गैस की तुलना में कच्चा तेल अधिक महंगा है, इसलिए तेल प्रतिबंध से रूसी राजस्व को नुकसान होने की उम्मीद है।

भारत ने इन घटनाक्रमों पर कैसे प्रतिक्रिया दी है?

- भारत ने रूसी आक्रमण के बाद के महीनों में रियायती कीमतों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में वृद्धि की, और इस नीति के जारी रहने की उम्मीद है।
- यूरोपीय संघ के प्रतिबंध की घोषणा के कारण तेल की कीमतों में तत्काल वृद्धि हुई, और यूरोप अपनी तेल की जरूरतों के लिए - पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अन्य जगहों से वैकल्पिक स्रोतों की तलाश किया है, जिसमें कीमतें ऊंची रहने की उम्मीद है।
- इस संदर्भ में, रूस द्वारा कथित तौर पर *30-35* डॉलर प्रति बैरल की छूट की पेशकश के साथ, भारत ने प्रस्ताव पर सस्ते रूसी कच्चे तेल का अधिकतम लाभ उठाना सुविधाजनक पाया है।

पश्चिमी उपायों पर रूस की क्या प्रतिक्रिया है?

- राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि मॉस्को अपने ऊर्जा निर्यात को कहीं और "तेजी से बढ़ते बाजारों" में "पुनर्निर्देशित" करेगा।
- रूस ने वर्ष *2022* के अंत तक *200* से अधिक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें दूरसंचार, चिकित्सा, वाहन, कृषि, विद्युत उपकरण और लकड़ी शामिल हैं।
- इसके अलावा, यह सरकारी बांड रखने वाले विदेशी निवेशकों को ब्याज भुगतान को रोक रहा है, और रूसी फर्मों को विदेशी शेयरधारकों को भुगतान करने से प्रतिबंधित कर रहा है।
- और इसने उन विदेशी निवेशकों को, जिनके पास अरबों डॉलर मूल्य के रूसी स्टॉक और बांड हैं, उन्हें बेचने से रोक दिया है।

तालिबान के साथ भारत की भागीदारी (India's Engagement with Taliban)

संदर्भ: भारत ने हाल ही में काबुल में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजा है; यह पहली बार था कि नई दिल्ली ने संकेत दिया कि वह तालिबान के साथ औपचारिक जुड़ाव चाहता है।

पिछले कुछ वर्षों में तालिबान के साथ भारत के संबंध कैसे विकसित हुए हैं?

- वर्ष 1996 में, जब अशांत गृहयुद्ध (tumultuous civil war) के बाद तालिबान सत्ता में आया, तो भारत ने कश्मीर विद्रोह के फैलने के डर से, धन और हथियारों के साथ उत्तरी गठबंधन (तालिबान का विरोध) का समर्थन किया।
- तालिबान का पाकिस्तान के साथ गहरा संबंध था और भारत को इस गठजोड़ का खामियाजा दो बार भुगतना पड़ा।
    - वर्ष 1999 में IC814 के अपहरण (hijacking) के दौरान, जब पाकिस्तानी अपहरणकर्ता विमान को कंधार ले गए, तब तत्कालीन सत्तारूढ़ तालिबान ने अपहरणकर्ताओं की सहायक शाखा के रूप में काम किया।
    - दूसरा, वर्ष 2008 में, सीआईए ने काबुल में भारतीय दूतावास की बमबारी का पता तालिबान के भाग हक्कानी समूह और पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान से लगाया। बताया जा रहा है कि आईएसआई के आदेश पर बम धमाका किया गया था।
- चल रहे गृहयुद्ध (तालिबान बनाम अमेरिका समर्थित अफगान सरकार) के बीच, भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में धन और ऊर्जा का निवेश किया और अफगान सरकार का बैक सपोर्टिव बन गया।

वे कौन से कारण थे जिन्होंने तालिबान के साथ भारत के जुड़ाव को धीमा और आधा-अधूरा रखा?

- **अफगान सरकार को परेशान नहीं करना चाहता था:**
  - यदि नई दिल्ली तालिबान को सीधे शामिल करने का विकल्प चुनती है, तो यह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को, जो अब तक भारत का विश्वस्त साथी है, असहज कर सकता है।
  - यह संभावित रूप से उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्व के लिए चीन की ओर रुख करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- **तालिबान में किससे बात करने दुविधा है:**
  - नई दिल्ली को कठिनाई होती है कि तालिबान के भीतर किससे बात की जाए, यह देखते हुए कि यह शायद ही एक अखंड है। नई दिल्ली की अफगानिस्तान के जमीन पर लड़ाकों तक भी बहुत कम पहुंच थी।
- **शामिल होने की हड़बड़ी के खिलाफ चेतावनी देने वाले नैतिक सिद्धांत**
  - तालिबान को अपनी रूढ़िवादी और लोकतंत्र विरोधी नीतियों के लिए भारत सहित वैश्विक आलोचना का सामना करना पड़ा।
  - तालिबान अब एक बदला हुआ संगठन है या नहीं, इस बारे में सबूतों की कमी के कारण, नई दिल्ली तालिबान को इतनी जल्दी न्यायालय में पेश नहीं करना चाहती थी।
  - इसके अलावा, इस बारे में बहुत कम स्पष्टता थी कि तालिबान के असली इरादे क्या हैं और काबुल में सत्ता में आने के बाद वे क्या करेंगे।
- **पाकिस्तानी फैक्टर**
  - यदि भारत को तालिबान के साथ गहरे संबंध स्थापित करने हैं तो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में भारत के खिलाफ और अधिक आक्रामक कार्रवाई करने की संभावना हमेशा बनी रहती थी।

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने से भारत की क्या चिंताएं हैं?

- जब तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी की बात आती है तो भारत की तीन मुख्य चिंताएं होती हैं।
  - **निवेश:** पहला, भारत ने पिछले 20 वर्षों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। वह इन निवेशों को बचाना और अफगान लोगों की सद्भावना को बनाए रखना चाहता है।
  - **सुरक्षा:** दूसरा, जब वर्ष 1990 के दशक में तालिबान सत्ता में था, अफगानिस्तान भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया। भारत ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन-तालिबान शासन के दौरान कश्मीर में हिंसा में तेज वृद्धि देखी। नई दिल्ली नहीं चाहेगी कि इतिहास खुद को दोहराए और तालिबान से प्रतिबद्धता चाहता है कि वे भारत विरोधी समूहों के लिए समर्थन की पेशकश नहीं करेंगे।
  - सामरिक: तीसरा, तालिबान का हमेशा के लिए पाकिस्तानी सैटेलाइट बना रहना भारत के सामरिक हित में नहीं है।

तालिबान के सत्ता में आने पर दुनिया कैसी प्रतिक्रिया दे रही है?

- तालिबान के काबुल पर अधिकार करने के बाद, देश में 15 देशों की राजनयिक उपस्थिति है।
- पाकिस्तान, चीन और रूस कभी बंद नहीं हुए; यूरोपीय संघ सहित अन्य, मानवीय सहायता की सुविधा के लिए फिर से खुल गए हैं।
- तालिबान शासन को अभी तक किसी भी देश द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है।

भारत को तालिबान के साथ अधिक सक्रिय और खुले तौर पर क्यों जुड़ना चाहिए?

- **वास्तविकता को स्वीकार करना:** तालिबान अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ राजनीतिक शक्ति है, और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को मान्यता देने/बातचीत करने/व्यापार करने जा रहा है। तालिबान के साथ गैर-संबद्धता से भारत को छोड़ दिया जा सकता है।
- **पाकिस्तानी फैक्टर:** तालिबान के साथ भारतीय जुड़ाव जितना कम सक्रिय होगा, पाकिस्तान-तालिबान संबंध उतने ही मजबूत होंगे,

जो इस क्षेत्र में भारत के हित के खिलाफ है।

- **तालिबान की राजनीतिक आवश्यकता:** तालिबान आज विशेष रूप से पड़ोस में मान्यता और वैधता के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों की तलाश कर रहा है। इसके अलावा, अपने पड़ोसी पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए, तालिबान भारत को अपने रणनीतिक भागीदार के रूप में देख सकता है।
- **भारत की नागरिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए:** भारत द्वारा विकास सहायता में 3 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने के बाद अफगानिस्तान से हटने का न तो रणनीतिक और न ही आर्थिक मतलब है। इसलिए, भारत को अपनी नागरिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तालिबान के साथ जुड़ने की जरूरत है।
- **क्षेत्रीय नियति को आकार देना:** यदि भारत कम से कम अभी अफगानिस्तान में सक्रिय नहीं है, तो रूस, ईरान, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान के राजनीतिक और भू-राजनीतिक भाग्य के निर्माता के रूप में उभरेंगे, जो निश्चित रूप से वहां भारतीय हितों के लिए हानिकारक होगा।
- **भीड़भाड़ वाले उत्तर-पश्चिमी सीमा को खोलना (Opening up the congested north-western frontier):** पाकिस्तान के साथ बैकचैनल वार्ता और परिणामी युद्धविराम, मुख्यधारा के कश्मीरी नेतृत्व के साथ राजनीतिक बातचीत, तालिबान के साथ गुप्त वार्ता सभी संकेत देते हैं कि नई दिल्ली अपनी भीड़भाड़ वाली उत्तर-पश्चिमी सीमा को खोल रही है। तालिबान की सक्रिय भागीदारी इस प्रयास को और अधिक रणनीतिक ऊंचाई प्रदान करेगी।
- तालिबान की खुली भागीदारी तालिबान द्वारा किए गए निंदनीय अत्याचारों को न तो सहन कर रही है और न ही स्वीकार कर रही है।
- **संबंधों को अलग करने का समय:** भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन संबंधों को डी-हाइफ़न (de-hyphenated) किया है जो व्यावहारिक और वैश्वीकृत बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आवश्यकता है। यह विचार बढ़ रहा है कि तालिबान से पाकिस्तान को अलग करने का समय आ गया है।
- **तालिबान की आंतरिक गतिशीलता का लाभ उठाना:** सत्ता में बैठे तालिबान एक युद्धक बल के रूप में अधिक विभाजित हैं, और यह कि स्थिति विभिन्न अभिनेताओं के साथ एक स्तरित राजनीतिक और राजनयिक जुड़ाव के लिए जगह प्रदान करती है। साथ ही, तालिबान ने काबुल में सत्ता संभालने के बाद से कश्मीर पर कोई शत्रुतापूर्ण बयान नहीं दिया है। ये सभी भारत को तालिबान के साथ अपने संबंधों को खोलने के लिए अधिक स्थान प्रदान करते हैं।

भारत के लिए आगे की राह क्या होना चाहिए?

- नई दिल्ली अपने आर्थिक और सामरिक हितों को आगे नहीं बढ़ा सकती है यदि वह तालिबान के साथ संलिप्त नहीं है। साथ ही, भारत को तालिबान को राजनयिक मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
- भारत को अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक हितधारकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि तालिबान को अधिक समावेशी शासन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके, साथ ही साथ यथार्थवाद में निहित क्रमिक द्विपक्षीय जुड़ाव की नीति को बनाए रखा जा सके।

युद्ध अपराध (War Crimes)

संदर्भ: यूक्रेन की एक अदालत ने देश के एक नागरिक की हत्या करने के मामले में 21 वर्षीय एक रूसी सैनिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

युद्ध अपराध क्या हैं?

- युद्ध अपराध अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के नियमों का उल्लंघन हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रत्यक्ष आपराधिक जिम्मेदारी पैदा करते हैं।
- युद्ध अपराध तब होता है जब दुश्मन को अनावश्यक चोट या अनावश्यक पीड़ा दी जाती है।
- उन्हें इतना गंभीर माना जाता है कि ऐसे अपराधों के लिए कोई सीमा अवधि नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि जो लोग उन्हें करते हैं उन पर मुकदमा और दंडित किया जा सकता है चाहे अपराध किए जाने में कितना भी समय बीत गया हो।
- वर्ष 1949 के जिनेवा सम्मेलनों में चार युद्ध अपराधों का अर्थ स्पष्ट किया गया था।

- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून युद्ध या सशस्त्र संघर्ष के युद्धरत पक्षों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ये कानून चार जिनेवा सम्मेलनों के तहत प्रदान किए गए हैं, जो रक्षा करते हैं-
    - क्षेत्र में सशस्त्र बलों में घायल और बीमार
    - समुद्र में सशस्त्र बलों से घायल, बीमार और जलपोत क्षतिग्रस्त सदस्य
    - युद्ध के कैदी
    - युद्ध के समय में सिविल पर्सन

क्या पहले युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है?

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नूर्नबर्ग ट्रिब्यूनल में पहली बार युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया।
- पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया।
- वर्तमान में , अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) दोनों की भूमिका युद्ध के नियमों को बनाए रखने की है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) राज्यों के बीच विवादों पर नियम बनाता है, लेकिन व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चला सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) व्यक्तिगत युद्ध अपराधियों की जांच करता है और उन पर मुकदमा चलाता है जो अलग-अलग राज्यों की न्यायालयों के समक्ष नहीं हैं।

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) क्या है?

- वर्ष 2002 की 'द रोम स्टैट्यूट' नामक एक अंतरराष्ट्रीय संधि द्वारा शासित, आईसीसी दुनिया की पहली स्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत है।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नर-संहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच करता है।
- भारत, चीन एवं अमेरिका रोम संविधि के पक्षकार देश नहीं है।
- ICC का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है।
- ICC का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से अपराधों के लिये ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करना साथ ही, इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकने मे मदद करना है।
- आईसीसी संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ एक सहयोग समझौता है।
- जब कोई स्थिति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ICC को क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाली स्थिति का उल्लेख कर सकती है। इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग दारफुर (सूडान) और लीबिया की स्थितियों में किया गया है।

पाकिस्तान और FATF (FATF and Pakistan)

संदर्भ: हाल ही में, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) से राहत मिली क्योंकि FATF ने घोषणा की कि देश को ग्रे लिस्ट से हटाया जा सकता है।

FATF क्या है?

- FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी।
- FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) मुख्यालय में स्थित है।
- एफएटीएफ का निर्णय लेने वाला निकाय, जिसे इसके पूर्ण के रूप में जाना जाता है, साल में तीन बार बैठक होती है। इसकी बैठकों में वैश्विक नेटवर्क के 206 देशों ने भाग लिया है, जिसमें सदस्य और पर्यवेक्षक संगठन, जैसे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र के कुछ कार्यालय और क्षेत्रीय विकास बैंक शामिल हैं।

FATF क्या करता है?

- FATF देशों को उनकी वित्तीय प्रणाली में खामियों को दूर करने और उन्हें अवैध वित्तीय गतिविधियों के प्रति कम संवेदनशील बनाने

के लिए मानकों या सिफारिशों को निर्धारित करता है।

- यह अपने द्वारा निर्धारित मानकों पर उनके प्रदर्शन की जांच करने के लिए देशों के आपसी मूल्यांकन (एमई) नामक नियमित सहकर्मी-समीक्षा मूल्यांकन आयोजित करता है।
- इसकी समीक्षा एफएटीएफ और एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) द्वारा की जाती है, जो बाद में पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एमईआर) जारी करते हैं।
- देशों के लिए सिफारिशें अपराधों के जोखिम का आकलन करने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए विधायी, जांच और न्यायिक तंत्र स्थापित करने तक हैं।

FATF की 'ग्रे' और 'ब्लैक' लिस्ट क्या हैं?

- शब्द 'ग्रे' और 'ब्लैक' लिस्ट आधिकारिक एफएटीएफ शब्दावली में मौजूद नहीं है, वे उन देशों को नामित करते हैं जिन्हें एफएटीएफ के निर्देशों का पालन करने पर काम करने की आवश्यकता है और जो गैर-अनुपालन हैं।
- **ग्रे लिस्ट:** जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया सकता है।
    - मार्च 2022 तक, FATF की बढ़ी हुई निगरानी सूची में 23 देश हैं - जिन्हें आधिकारिक तौर पर "रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकार" के रूप में जाना जाता है।
- **ब्लैक लिस्ट :** असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories- NCCTs) के रूप में पहचाने गए देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
    - वर्तमान में, ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में हैं।

पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है?

- आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने में कमजोरी (Weakness in fighting terror financing): आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने में कमजोरियों के लिए पाकिस्तान ने वर्ष 2008 से अक्सर स्वयं को ग्रे लिस्ट में पाया है।
- **आतंकवादी समूहों पर पर्याप्त कार्रवाई का अभाव:** पाकिस्तान को मार्च 2022 में ग्रे लिस्ट में रखा गया था क्योंकि उसे अभी तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को निशाना बनाने वाले आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच और अभियोजन के मोर्चे पर चिंताओं को दूर करना था।
- अपने पिछले उपाख्यानों के आधार पर पाकिस्तानी कार्रवाई के स्थायी होने पर संदेह।

ग्रे-लिस्टिंग का किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- **लेन-देन के बढ़ते जोखिम का संकेत:** यदि कोई देश ग्रे सूची में है, तो यह वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली को उस देश के साथ लेनदेन में बढ़े हुए जोखिमों के बारे में संकेत देता है।
- **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से निपटने में चुनौतियां:** यह देखते हुए कि आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थान एफएटीएफ से पर्यवेक्षकों के रूप में संबद्ध हैं, एक ग्रे-सूचीबद्ध देश अंतरराष्ट्रीय ऋण उपकरणों तक पहुंचने में जटिलताओं का सामना करता है।
- **सकल घरेलू उत्पाद में नुकसान :** वर्ष 2008 से 2019 तक एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान की ग्रे-लिस्टिंग के परिणामस्वरूप 38 बिलियन अमरीकी डालर का सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हो सकता है।

विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (12th WTO Ministerial Conference)

संदर्भ: 12 से 17 जून 2022 तक 12वें विश्व व्यापार संगठन (WTO) का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO मुख्यालय में संपन्न हुआ।

- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, जिसमें व्यापार मंत्रियों और संगठन के 164 सदस्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
- सम्मेलन की सह-मेजबानी कजाकिस्तान ने की।
- विश्व व्यापार संगठन में सुधार, टीके के उत्पादन और मछली पकड़ने की सब्सिडी, आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

विश्व व्यापार संगठन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

- यह वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर स्थापित टैरिफ और व्यापार (GATT) पर सामान्य समझौते का उत्तराधिकारी है।
- इसका उद्देश्य व्यापार प्रवाह को सुचारू, स्वतंत्र और अनुमानित रूप से मदद करना है।
- इसके 164 सदस्य हैं, जो विश्व व्यापार का 98% हिस्सा हैं।
- विश्व व्यापार संगठन सचिवालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है।

विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी) के बारे में

- एमसी विश्व व्यापार संगठन के संगठनात्मक चार्ट में सबसे ऊपर है। यह हर दो साल में एक बार होता है और किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय ले सकता है।
- आईएमएफ या विश्व बैंक जैसे अन्य संगठनों के विपरीत, विश्व व्यापार संगठन निदेशक मंडल या किसी संगठनात्मक प्रमुख को शक्ति नहीं देता है।
- विश्व व्यापार संगठन में सभी निर्णय सामूहिक रूप से और विभिन्न परिषदों और समितियों में सदस्य देशों के बीच आम सहमति के माध्यम से किए जाते हैं।

12वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में क्या सहमति बनी थी और इसका क्या मतलब है?

1. विश्व व्यापार संगठन में सुधार

- सदस्यों देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि की गई और विचार-विमर्श से लेकर बातचीत तक अपने सभी कार्यों में सुधार के लिये एक खुली और समावेशी प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- विशेष रूप से सदस्यों देशों द्वारा वर्ष 2024 तक सभी सदस्यों के लिये एक अच्छी तरह से कार्य कर रहे विवाद निपटान प्रणाली को सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चत की। अपीलीय निकाय 2020 से निष्क्रिय है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सहमत होने से इनकार कर दिया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: संगठन ने कई कारणों से अपने जनादेश को पूरा करने के लिए संघर्ष किया है, जिसमें सदस्य अधिसूचना आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं, नए मुद्दों पर बहस में बाधा डालते हैं और इसके विवाद निपटान तंत्र के कामकाज पर आपत्ति जताते हैं।

2. महामारी प्रतिक्रिया

- यह निर्णय लिया गया कि पात्र देश 2027 तक COVID-19 वैक्सीन पेटेंट को ओवरराइड कर सकते हैं।
    - सदस्य देशों ने पेटेंट ऑनर की सहमति के बिना किसी सदस्य देश द्वारा COVID-19 टीकों के उत्पादन के लिए पेटेंट की विषय वस्तु के उपयोग को अनुमति प्रदान की।
    - इसके अलावा, यह सदस्य देशों को घरेलू बाजारों और सदस्य देशों को किसी भी संख्या में टीकों की आपूर्ति के लिए निर्यात प्रतिबंध सहित आवश्यकताओं में छूट प्रदान करता है।
- अगले छह महीनों के भीतर, सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे COVID-19 डायग्नोस्टिक्स और चिकित्सीय उत्पादन एवं आपूर्ति को कवर करने के लिए समझौते के दायरे को बढ़ाने पर भी निर्णय लेंगे।

- सदस्यों ने भविष्य की महामारियों से निपटने में व्यापार सुविधा और सीमा पार सेवाओं जैसे लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवाओं और आईटी के संचालन के महत्व को दोहराया।
- पर्यटन पर सीमा प्रतिबंधों के गंभीर प्रभाव को देखते हुए, देशों ने इसे कम करने के लिए बातचीत को प्रोत्साहित किया।

यह महत्वपूर्ण क्यों है: यह महसूस करना कि व्यावसायिक विचार मानव स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण हैं, वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि व्यापार में मदद मिलती है, और स्वास्थ्य परिणामों में मदद के लिए देखा जाता है।

3. ई-कॉमर्स

- इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण ('ई-कॉमर्स अधिस्थगन') पर सीमा शुल्क पर रोक को बढ़ा दिया गया, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य MC13 तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क न लगाने की मौजूदा प्रथा को बनाए रखने के लिए सहमत हुए।
- मोटे तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण (ETs) में संगीत, ई-बुक्स , फिल्म, सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम जैसी ऑनलाइन डिलीवरी शामिल हैं। वे अन्य सीमा-पार ई-कॉमर्स से भिन्न हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है लेकिन फिजिकली वितरित नहीं किया जाता है।
- 105 देशों जिनमें यू.एस., यू.के., ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान शामिल हैं, ने स्थगन के विस्तार की मांग की थी।
- दूसरी ओर, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने UNCTAD के आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि अधिस्थगन के कारण शुल्क मुक्त बाजार पहुंच का विस्तार करने से वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष $ 10 बिलियन का नुकसान हुआ - जिसमें से 95% विकासशील देशों द्वारा वहन किया गया।

यह महत्वपूर्ण क्यों है: यह समझौता डिजिटल व्यापार के लिए सापेक्ष स्वतंत्रता बनाए रखता है।

4. कृषि और खाद्य सुरक्षा

- वैश्विक खाद्य संकट के बीच, जून 2022 में गेहूं की कीमतें जनवरी 2021 की तुलना में 60% अधिक थीं, विश्व व्यापार संगठन पर व्यापार और खाद्य सुरक्षा पर सार्थक परिणाम देने का दबाव था।
- सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि कोई भी आपातकालीन खाद्य सुरक्षा उपाय कम से कम व्यापार विकृत, "अस्थायी, लक्षित और पारदर्शी" होगा और विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित किया जाएगा।
- वे मानवीय उद्देश्यों के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा खरीदे गए खाद्य निर्यात को प्रतिबंधित न करने पर भी सहमत हुए।
- इन परिणामों से परे, सदस्य लंबे समय से मतभेदों के कारण कृषि में भविष्य की बातचीत के लिए एक कार्य कार्यक्रम पर सहमत होने में असमर्थ थे।

यह महत्वपूर्ण क्यों है: ये कार्रवाइयां यूक्रेन में युद्ध और खराब फसल से उपजे खाद्य सुरक्षा जोखिमों से निपटने में मदद कर सकती हैं।

5. मात्स्यिकी सब्सिडी

- वर्ष 2018 में वैश्विक मात्स्यिकी सब्सिडी का अनुमान 35.4 बिलियन डॉलर था, जिसमें से 22.2 बिलियन डॉलर क्षमता बढ़ाने वाली सब्सिडी थीं। विश्व व्यापार संगठन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी को प्रतिबंधित करने के लिए एक समझौता करने का काम सौंपा गया था।
- 21 साल की लंबी बातचीत के बाद, डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2022 में अवैध, गैर-सूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने और अधिक मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी समाप्त करने के लिए समझौता किया गया था।
- विकासशील देश के सदस्य अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (अपने तटों से 200 समुद्री मील तक) के भीतर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए दो साल की छूट का आनंद लेंगे।

- किसी भी सदस्य को समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसके अलावा जहां मत्स्य पालन प्रबंधन संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है।
- समझौते में अधिसूचना आवश्यकताएं शामिल हैं और विकासशील देशों की सहायता के लिए एक स्वैच्छिक वित्त पोषण तंत्र स्थापित करता है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है: मौजूदा समझौते की सीमा, सब्सिडी को समाप्त करने के बजाय, उपाय व्यापार नियमों और प्रैक्टिस तैयार करने की दिशा में एक कदम का प्रतिनिधित्व करता है जो पृथ्वी की बेहतर रक्षा कर सकता है।

समझौते को ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है?

- डब्ल्यूटीओ द्वारा समझौते को ऐतिहासिक बताया गया है क्योंकि यह व्यापार सौदा है जो वर्ष 2015 में नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में पिछले व्यापार पैकेज को मंजूरी दिए जाने के सात साल बाद आया है।
- इसके अलावा, विस्तारित मंत्रिस्तरीय के अंतिम दिन यह सौदा लगभग विफल हो गया था और रात भर गहन विचार-विमर्श के माध्यम से बचा लिया गया था।
- विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक ने संकट की स्थिति में सतत विकास, विकास और लचीलेपन के लिए व्यापार के मूल्य में विश्वास करते हुए, बहुपक्षीय रूप से बात करने और एक साथ काम करने के लिए देशों की इच्छा का प्रदर्शन किया।

ट्रिप्स छूट (TRIPS waiver) कितनी महत्वपूर्ण है और आलोचक किस बारे में चिंतित हैं?

- पांच साल के लिए, छूट सभी देशों को पेटेंट COVID टीकों के निर्माण के लिए अधिकार धारक की सहमति के बिना प्राधिकरण जारी करने की अनुमति देगी, भले ही उनके पास अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था न हो।
- हालांकि, इसे चिकित्सीय और क्लीनिकल उपकरणों तक विस्तारित नहीं किया गया है, जिस पर भारत और दक्षिण अफ्रीका निवारक देखभाल से परे जाने के लिए जोर दे रहे थे।
- चिंता यह है कि छूट केवल पेटेंट पर लागू होती है न कि अन्य प्रकार के आईपी अधिकारों जैसे व्यापार रहस्य (trade secrets) और कॉपीराइट के लिए और इस प्रकार स्थानीय निर्माताओं को वैक्सीन बनाने हेतु आवश्यक जानकारी तक पहुंचने में मदद नहीं मिल सकती है।

सौदे से भारत को क्या प्राप्त हुआ?

- **सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर कोई स्थायी समाधान न होना :** भारत ने पहले एक शांति खंड पर बातचीत की थी, जो इसे सदस्य देशों की कार्रवाई से बचाता है यदि इसकी खाद्य खरीद (एमएसपी) सब्सिडी कुल उपज के 10% की मौजूदा सीमा का उल्लंघन करती है। हालांकि, इसमें भी विश्व व्यापार संगठन सार्वजनिक स्टॉक-होल्डिंग के स्थायी समाधान तक पहुंचने में असमर्थ रहा है।
- **मात्स्यिकी सब्सिडी में आंशिक सफलता (Partial Success in Fishery Subsidies):** भारत ने ईईजेड के भीतर काम कर रहे मछुआरों को सब्सिडी कटौती प्रतिबद्धताओं से बचाने का प्रबंधन किया। हालाँकि, यह छूट विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार के रूप में नहीं है, बल्कि सभी के लिए बढ़ा दी गई है। यह उस लाभ को बचा लेता है जिसकी शुरुआत में भारत ने अपने मछुआरों के लिए परिकल्पना की थी।
- **COVID-19 उपचार के लिए सीमित छूट:** TRIPS पर, टीकों पर सीमित छूट भारत के लिए केवल एक छोटा सा लाभ है, जिसके पास पहले से ही अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था है। इसके अलावा, चिकित्सीय और क्लीनिकल उपकरणों को बाहर रखा गया है। व्यापार रहस्यों और कॉपीराइट पर छूट को भी नहीं बढ़ाया गया।
- **G2G निर्यात छूट अनुरोध अवरुद्ध:** भारत निर्यात प्रतिबंधों से WFP खरीद को छूट देने के लिए सहमत हुआ लेकिन सार्वजनिक स्टॉक से मानवीय उद्देश्य के लिए G2G निर्यात की अनुमति देने की उसकी मांग को अवरुद्ध कर दिया गया।

पश्चिम को क्या मिला ?

- पश्चिमी देश ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क पर स्थगन को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने में कामयाब रहे, जिससे उनके उद्योग को बहुत लाभ

होगा।

- पेटेंट छूट पर समझौते ने उन्हें यह दावा करने का रेस्ट दिया है कि उन्होंने चिकित्सा विज्ञान और क्लीनिकल उपकरणों के साथ-साथ व्यापार रहस्यों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत अधिक आधार को छोड़े बिना लंबे समय से लंबित प्रस्ताव पर कार्रवाई की है।
- उन्होंने केवल यह आश्वासन देकर डब्ल्यूएफपी खरीद को निर्यात प्रतिबंधों से छूट देने पर एक समझौता किया है कि यह घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को अपनाने से नहीं रोकेगा।

अर्थशास्त्र

एमएसएमई और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (MSMEs and global value chains)

संदर्भ: MSMEs को समावेशी और टिकाऊ वैश्विक मूल्य श्रृंखला में लाना।

आँकड़े:

- MSMEs भारत में कृषि के बाहर सबसे बड़े नियोक्ता हैं, जो 11.1 करोड़ से अधिक, या सभी श्रमिकों का 45 प्रतिशत लोगों को रोजगार देते हैं।
- वे निजी स्वामित्व वाले उद्यम हैं जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश में 50 करोड़ रूपये से कम और 250 करोड़ रूपये से कम का कारोबार है - MSMEs को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है।

चुनौतियां

- महामारी के व्यवधान ने एमएसएमई को बुरी तरह प्रभावित किया।
- उनका आकार छोटा और संसाधनों तक पहुंच की कमी थी और उनमे से कई केवल तभी उबरने लगे थे जब नए सिरे से युद्ध, आपूर्ति के झटके और बढ़ते ईंधन, खाद्य और उर्वरक की कीमतों ने नए खतरे उत्पन्न कर दिए।
- और यह सब चल रहे जलवायु संकट की पृष्ठभूमि में है, जो सबसे बड़ा व्यवधान गुणक है।
- इस क्षेत्र में उच्च अनौपचारिकता है, कई उद्यम अपंजीकृत हैं, और नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों में जागरूकता और श्रम और पर्यावरण कानूनों का पालन करने की प्रतिबद्धता की कमी है।
- नतीजतन, अनौपचारिक उद्यम औपचारिक MSME समर्थन और वित्तपोषण तक नहीं पहुंच सकते हैं और न ही वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भाग ले सकते हैं, जिन्हें सभी लागू नियमों के पूर्ण अनुपालन की आवश्यकता होती है।

भारत के महत्वाकांक्षी "मेक इन इंडिया" अभियान का उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में लाना है। एमएसएमई इस पहल की आधारशिला हैं।

क्या करने की जरूरत है?

- **डिजिटलीकरण संबंधी चिंताएं:** कुछ अपवादों को छोड़कर, स्मार्ट विनिर्माण कार्यों में डिजिटलीकरण अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।
  - वर्तमान में उपयोग में आने वाली मशीनरी और उपकरणों के लिए डिजिटल संवर्द्धन सहित MSME के लिए अनुकूलित डिजिटल समाधानों की आवश्यकता है।
  - डिजिटल सक्षम और उद्यम, ई-श्रम, राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS), और आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मैपिंग (ASEEM) पोर्टलों को जोड़ने जैसी सरकारी पहल लक्षित डिजिटलीकरण योजनाओं का वादा दिखाती हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** "ग्रीनिंग" MSME संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है और सर्कुलर और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण को तेज करने के लिए क्लीनटेक नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
- परिणामस्वरूप, MSMEs ने नकदी की तंगी के दौरान 157 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिससे 13,105 टन तेल के बराबर और 81 करोड़ रुपये की वार्षिक परिचालन लागत बचाने और 83,000 टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकने में मदद मिली।
- हाल के झटकों के जवाब में आपूर्ति के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए उत्पादन स्थान तेजी से बदल रहे हैं और देशों और क्षेत्रों में विविधता ला रहे हैं।
  - यह भारत के लिए टैप करने का एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है।
  - आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरण अक्सर नवाचार और उत्पाद विकास में आपूर्तिकर्ताओं की अधिक भागीदारी के साथ होता है।

- भारत को इस अवसर का उपयोग सावधानीपूर्वक तैयार की गई निवेश नीतियों जैसे कर प्रोत्साहन, ऋण सहायता आदि के साथ करना चाहिए।

नीति निर्माताओं और बड़े पैमाने पर समाज पर दूरदर्शी मानसिकता केंद्र, दुनिया भर की तरह भारत में MSME द्वारा निभाई जाने वाली केंद्रीय सामाजिक-आर्थिक भूमिका को पूरी तरह से मान्यता और समर्थन देता है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में उभरते अवसरों को अनलॉक करने और जनसांख्यिकीय लाभांश को अधिकतम करने के लिए, MSME को अपने व्यवसायों को औपचारिक रूप देने, बेहतर उत्पादकता, अनुपालन और युवाओं के लिए अच्छे काम और नौकरियों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

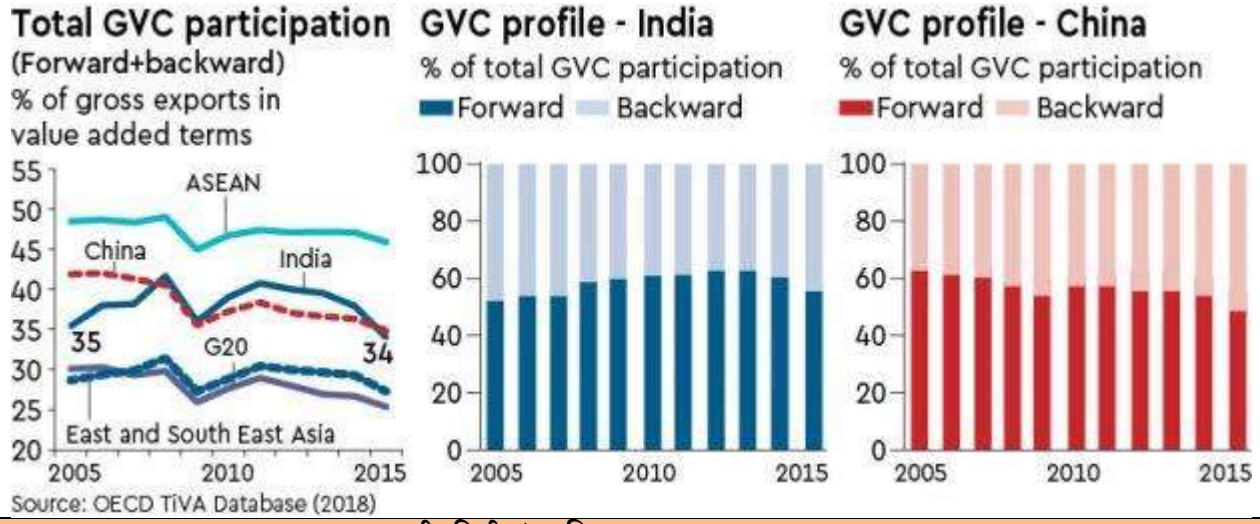

Source: OECD TiVA Database (2018)

बढ़ती फ्रीबी संस्कृति (Growing freebie culture)

संदर्भ : भारत में फ्रीबी कल्चर का चलन बढ़ रहा है। हर राजनीतिक दल मुफ्त का वादा कर रही है क्योंकि चुनाव वोट जीतने का वादा करता है। इसने राज्यों के वित्त को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है, जिससे वे आर्थिक संकट की चपेट में आ गए हैं। ये फ्रीबी वादे उधार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं क्योंकि अधिकांश राज्य अर्थव्यवस्थाएं इस तरह के खर्च को अब्सॉर्ब करने के लिए इतना अच्छा नहीं कर रही हैं।

चुनावी वादों को पूरा करने के लिए संसाधन:

- इन मुफ्त उपहारों को निधि देने वाले अधिकांश उधार बजट से बाहर हो जाते हैं।
- राज्यों के लिए विशिष्ट तौर-तरीके यह रहा है कि वे अपने सार्वजनिक उद्यमों की बही-खाते में उधार लेते हैं, कुछ मामलों में राज्य के भावी राजस्व को गारंटी के रूप में गिरवी रखकर।
- प्रभावी रूप से, कर्ज का बोझ राज्य के खजाने पर होता है।
- आबादी के सबसे कमजोर वर्गों को सुरक्षा नेटवर्क प्रदान करने के लिए ट्रांसफर पेमेंट पर खर्च की एक निश्चित राशि न केवल वांछनीय है बल्कि आवश्यक भी है।
- समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस तरह के ट्रांसफर पेमेंट विवेकाधीन व्यय का मुख्य मुद्दा बन जाते हैं, और तब खर्च को ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, और FRBM लक्ष्यों को दरकिनार करने के लिए ऋण को छुपाया जाता है।

फ्रीबी संस्कृति के परिणाम:

- जितना अधिक राज्य हस्तांतरण भुगतान पर खर्च करते हैं, उतना ही उनके पास भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे, बिजली और सड़कों, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए कम होता है, जो संभावित रूप से विकास में सुधार कर

सकता है और रोजगार पैदा कर सकता है।

- लाभार्थियों को आलसी, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न करना और समाज के सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करता है।
- राज्यों द्वारा हर साल सामूहिक रूप से उधार ली जाने वाली राशि केंद्र के उधार के आकार के बराबर होती है, जिसका अर्थ है कि उनके राजकोषीय रुख का हमारी व्यापक आर्थिक स्थिरता पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि केंद्र का।
- अधिक प्रभावी जांचों को स्थापित करने की आवश्यकता है जो गलत राज्यों को लाइन में आने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

आगे की राह

FRBM अधिनियम का संशोधन

- मौजूदा FRBM प्रावधानों के तहत भी, सरकारों को अपनी आकस्मिक देनदारियों का खुलासा करना अनिवार्य है, लेकिन यह खुलासा उन देनदारियों तक ही सीमित है जिनके लिए उन्होंने एक स्पष्ट गारंटी दी है।
- इस प्रावधान का विस्तार उन सभी देनदारियों को कवर करने के लिए किया जाना चाहिए जिनकी सर्विसिंग दायित्व बजट पर पड़ता है या संभावित रूप से बजट पर गिर सकता है, चाहे किसी भी गारंटी की परवाह किए बिना।

उधार लेने की शर्तें:

- संविधान के तहत, राज्यों को उधार लेते समय केंद्र की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।
- केंद्र को इस तरह की अनुमति देने पर पथभ्रष्ट राज्यों पर शर्तें लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए।

वित्तीय आपातकाल

- भारत के संविधान में प्रावधान है जो राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है यदि वह संतुष्ट है कि वित्तीय स्थिरता को खतरा है।
- इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सकल और निरंतर राजकोषीय गैर-जिम्मेदारी के मामले में वित्तीय आपातकाल की संभावना न केवल एक अमूर्त खतरा है बल्कि एक यथार्थवादी है।

रूस - यूक्रेन युद्ध और वैश्विक खाद्य संकट
(Russia - Ukraine war and the global food crisis)

संदर्भ: यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और उसकी अर्थव्यवस्था पर उसके बाद के प्रतिबंधों ने वैश्विक खाद्य कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे लाखों लोगों को, विशेष रूप से कम आय वाले देशों में, भुखमरी में धकेलने का खतरा बढ़ गया है।

- **वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए रूस और यूक्रेन कितने महत्वपूर्ण हैं?**
  - वैश्विक गेहूं निर्यात में यूक्रेन का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत है, जबकि रूसी हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुमानों के अनुसार, गेहूं दुनिया की कम से कम 35% आबादी के लिए मुख्य भोजन है।
  - लगभग 26 देशों को अपने आधे से अधिक गेहूं की आपूर्ति इन्हीं दोनों देशों से मिलती है।
  - लगभग 50 देश अपने गेहूं के आयात के 30% से अधिक के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर हैं।
  - अजरबैजान और जॉर्जिया अपने आयातित गेहूं का 80% से अधिक रूस और यूक्रेन से प्राप्त करते हैं। तुर्की, मिस्र, बांग्लादेश और लेबनान इन दोनों देशों से अपने आयात का 60% से अधिक पूरा करते हैं।
  - रूस के पास जौ की 14 प्रतिशत और यूक्रेन की 12 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है।
  - रूस के पास विश्व के सूरजमुखी तेल आपूर्ति का 26 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि यूक्रेन 37 प्रतिशत की भारी हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात है।

- यूक्रेन दुनिया का आठवां सबसे बड़ा उत्पादक और मक्का का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, जो वैश्विक निर्यात का 16% हिस्सा है।
- विश्व की उर्वरक आपूर्ति में रूस की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत है। रूस और बेलारूस ने मिलकर पिछले साल दुनिया के 40 फीसदी पोटाश का निर्यात किया।
- जबकि यूक्रेन का निर्यात कृषि क्षेत्रों से युद्ध के मैदानों की ओर मोड़ने और रूसी हमलों में खाद्य संयंत्रों और बंदरगाहों के नुकसान के कारण बाधित है, रूसी और बेलारूस के निर्यात पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित हुए हैं।

खाद्य संकट कितना गंभीर है?

- जलवायु के झटके, संघर्ष और COVID-19 महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया था, जिससे वस्तुओं और फसलों दोनों की कीमतें बढ़ गई थीं। यूक्रेन में युद्ध ने इस स्थिति को और बढ़ा दिया है।
- विश्व बैंक के अनुसार, 1 जून 2022 तक कृषि मूल्य सूचकांक जनवरी 2021 की तुलना में 40% अधिक था।
- मक्का और गेहूं की कीमतें जनवरी 2021 के स्तर से क्रमश: 42% और 60% बढ़ीं।
- इस साल वैश्विक खाद्य, ईंधन और उर्वरक की कीमतें तेजी से अधिक होने का अनुमान है और यह वर्ष 2024 तक ऊंचा रहेगा, बैंक का अनुमान है।
- दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं उच्च खाद्य कीमतों से प्रभावित हुई हैं।
- यू.के. में, मुद्रास्फीति की संख्या पहले ही 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। लगभग 90% उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने इस वर्ष खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति 5% से अधिक का अनुभव किया।
- कम आय वाले देश जो बुनियादी खाद्य खपत के लिए आयात पर निर्भर हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के अनुसार, इथियोपिया, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन "भयावह परिस्थितियों" वाले हॉटस्पॉट के रूप में 'उच्चतम अलर्ट' पर बने हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और सोमालिया को इस श्रेणी में जोड़ा गया है।

क्या और कोई रास्ता है?

- रूस ने सुझाव दिया है कि वह आज़ोव सागर पर बंदरगाहों से निर्यात फिर से शुरू करेगा जिसे वह नियंत्रित करता है और यदि यूक्रेन अपने नियंत्रण वाले बंदरगाहों को हटा देता है तो वह काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों के लिए एक गलियारा खोल देगा।

वैश्विक गेहूं संकट पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है?

- सरकार ने उन लोगों के लिए कुछ मामूली अपवादों के साथ, 13 मई से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनके पास अपरिवर्तनीय साख पत्र (एल/सी) हैं या जहां आयात करने वाले देशों की सरकारें खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भारत सरकार से अनुरोध करती हैं।
- **भारत द्वारा निर्यात प्रतिबंध के कारण:**
  - **कम घरेलू उत्पादन:** गेहूं उत्पादन का संशोधित अनुमान अनुमानित 111 mmt (मिलियन मीट्रिक टन) से काफी कम है, जिसका मुख्य कारण पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरें हैं। कम अधिशेष भारत को निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए मजबूर करता है।
  - **कम खरीद:** सरकारी गेहूं की खरीद जून के अंत तक लगभग 19 से 20 मिलियन टन होने की संभावना है, जो पिछले साल 43 मिलियन टन थी, जो सरकारी खरीद केंद्रों तक कम गेहूं पहुंचने का संकेत देती है। ऐसे में सरकार को निर्यात के अवसरों पर घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी।
  - **घरेलू स्तर पर गेहूं की बढ़ती कीमतें:** एक अन्य कारक यह हो सकता है कि अप्रैल '22 में गेहूं की मुद्रास्फीति 5.96 प्रतिशत की समग्र अनाज मुद्रास्फीति के मुकाबले 9.59 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) है। निर्यात कम करके घरेलू आपूर्ति बढ़ाने से कीमतों को शांत करने में मदद मिलेगी।
  - **खाद्य वितरण दायित्व:** सरकार ने PMGKAY के तहत सितंबर 2022 तक मुफ्त भोजन की घोषणा की। इसलिए, अपने वादे को पूरा करने और राष्ट्र की पोषण सुरक्षा को पूरा करने के लिए खाद्य खरीद (food procurement) आवश्यक है।
- **चीनी निर्यात पर प्रतिबंध (Curbs on Sugar Exports)**

- सरकार ने हाल ही में चीनी के निर्यात को "प्रतिबंधित" करने का निर्णय लिया है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण दुनिया में कमोडिटी बाजारों में पैदा हुई अशांति की पृष्ठभूमि में प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- सरकार ने चीनी के निर्यात को 'खुली श्रेणी' से स्थानांतरित कर दिया है, जिसके लिए किसी सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, 'प्रतिबंधित' श्रेणी में।
- इसका मतलब है कि चीनी के निर्यात की अनुमति केवल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की विशिष्ट अनुमति से ही दी जाती है।
- अभी चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के कारण।
- सरकार के लिए, एक संभावित चिंता अगले सीजन की शुरुआत में कम स्टॉक है। इससे करीब तीन महीने तक आपूर्ति बाधित हो सकती है।
- चीनी का मौसम अक्टूबर में शुरू होता है, लेकिन दिसंबर के बाद ही गति पकड़ता है। अगर इस दौरान बैकअप स्टॉक की कमी रहती है तो घरेलू बाजार में कीमतों में तेजी आ सकती है।

- जब मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति, अपेक्षित सीमा से परे है, चीनी की कीमतों में और वृद्धि भारत की आर्थिक सुधार प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगी।
- भारत सरकार का तर्क है कि गेहूं के निर्यात और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध संकट से प्रेरित स्थिति नहीं है, बल्कि पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए एक सुविचारित उपाय है।

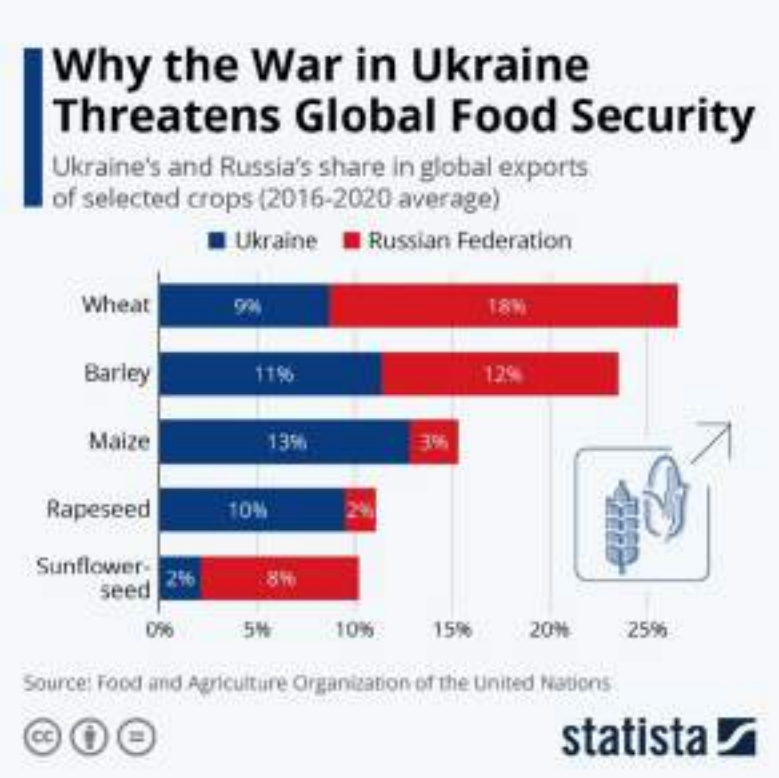

अग्निपथ भर्ती योजना (Agnipath Recruitment Scheme)

संदर्भ: केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए 'अग्निपथ भर्ती योजना' शुरू की।

अग्निपथ योजना क्या है?

- नया रक्षा भर्ती सुधार, जिसे सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है, तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा और इस योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा।
- नई योजना के तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी और अधिकांश केवल चार वर्षों में सेवा छोड़ देंगे।

- कुल वार्षिक भर्तियों में से केवल 25 प्रतिशत को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
- यह कदम देश में 13 लाख से अधिक मजबूत सशस्त्र बलों के लिए स्थायी बल के स्तर को काफी कम कर देगा।
- यह बदले में, रक्षा पेंशन बिल को काफी कम कर देगा, जो कई वर्षों से सरकारों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है

पात्रता मानदंड क्या हैं?

- नई प्रणाली केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है (जो सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल नहीं होते हैं)।
- अग्निपथ योजना के तहत, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे।
- भर्ती के मानक वही रहेंगे और भर्ती रैलियों के माध्यम से साल में दो बार की जाएगी।

चयन के बाद क्या होता है?

- **प्रशिक्षण और अच्छा वेतन:** एक बार चुने जाने के बाद, उम्मीदवारों को छह महीने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर साढ़े तीन साल के लिए तैनात किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, उन्हें अतिरिक्त लाभ के साथ 30,000 रुपये का प्रारंभिक वेतन मिलेगा, जो चार साल की सेवा के अंत तक 40,000 रुपये हो जाएगा।
- **सेवा निधि कार्यक्रम:** महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान उनके वेतन का 30 प्रतिशत एक सेवा निधि कार्यक्रम के तहत अलग रखा जाएगा और सरकार हर महीने एक समान राशि का योगदान करेगी और उस पर ब्याज भी लगेगा। चार साल की अवधि के अंत में प्रत्येक सैनिक को एकमुश्त राशि के रूप में 11.71 लाख रुपये मिलेंगे, जो कर मुक्त होगा।
- बीमा: उन्हें चार साल के लिये 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। मृत्यु के मामले में भुगतान न किये गए कार्यकाल के लिये वेतन सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी।
- **कैरियर प्रगति के लिए फ़िल्टरिंग (Filtering for Career Progression):** हालांकि, चार साल के बाद, बैच के केवल 25 प्रतिशत लोगों को उनकी संबंधित सेवाओं में 15 साल की अवधि के लिए वापस भर्ती किया जाएगा। जो लोग फिर से चुने जाते हैं, उनके लिए चार साल के टूर ऑफ ड्यूटी पर सेवानिवृत्ति लाभ के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

इस योजना से सशस्त्र बलों और रंगरूटों को कैसे लाभ होगा? (How will the scheme benefit the armed forces and the recruits?)

- **घटी हुई औसत आयु:** योजना के अनुसार, बलों में औसत आयु आज 32 वर्ष है, जो छह से सात वर्षों में घटकर 26 हो जाएगी।
- **युवा बल:** एक युवा सशस्त्र बल उन्हें नई तकनीकों के लिए आसानी से प्रशिक्षित करने की अनुमति देगा।
- **रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना:** सरकार ने यह भी कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और चार साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा।
    - उन्हें कौशल प्रमाण पत्र और ब्रिज कोर्सेस प्रदान किए जाएंगे। मुख्यत: उन्हें उद्यमी बनाने पर जोर दिया जाएगा।

क्यों योजना बढ़ती वेतन, पेंशन बिल में कटौती करने में मदद कर सकती है?

- साल 2020 से सरकार रक्षा पेंशन के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपये या तो आवंटित कर चुकी है या भुगतान कर चुकी है।
- वर्षों से, पेंशन बिल के कारण, रक्षा मंत्रालय का राजस्व घटक सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत परिव्यय से बड़ा रहा है।
- इस साल तीनों सेनाओं के कुल वेतन और भत्ते पर करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये का खर्चा है। सरकार ने इस साल सिर्फ वेतन और पेंशन के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया हैं, इसमें से पेंशन का हिस्सा 1.2 लाख करोड़ रुपये है। यह पूंजीगत परिव्यय के लिए आवंटित 2.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसका उपयोग रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा।
- अग्निपथ का दृश्य दो साल से बन रहा है और इन-हाउस विचार-विमर्श और दिग्गजों के नेतृत्व में एक उग्र सार्वजनिक बहस के बाद काफी परिशोधन देखा गया है।
- इस योजना का मूल उद्देश्य रक्षा बजट के बेहतर प्रबंधन के लिए बढ़ते पेंशन बिल को कम करना और सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफ़ाइल प्रदान करना है।
- राजस्व व्यय में कमी के साथ, सरकार पूंजीगत व्यय में निधियों के अधिक प्रवाह के साथ रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन का उपयोग कर सकती है।

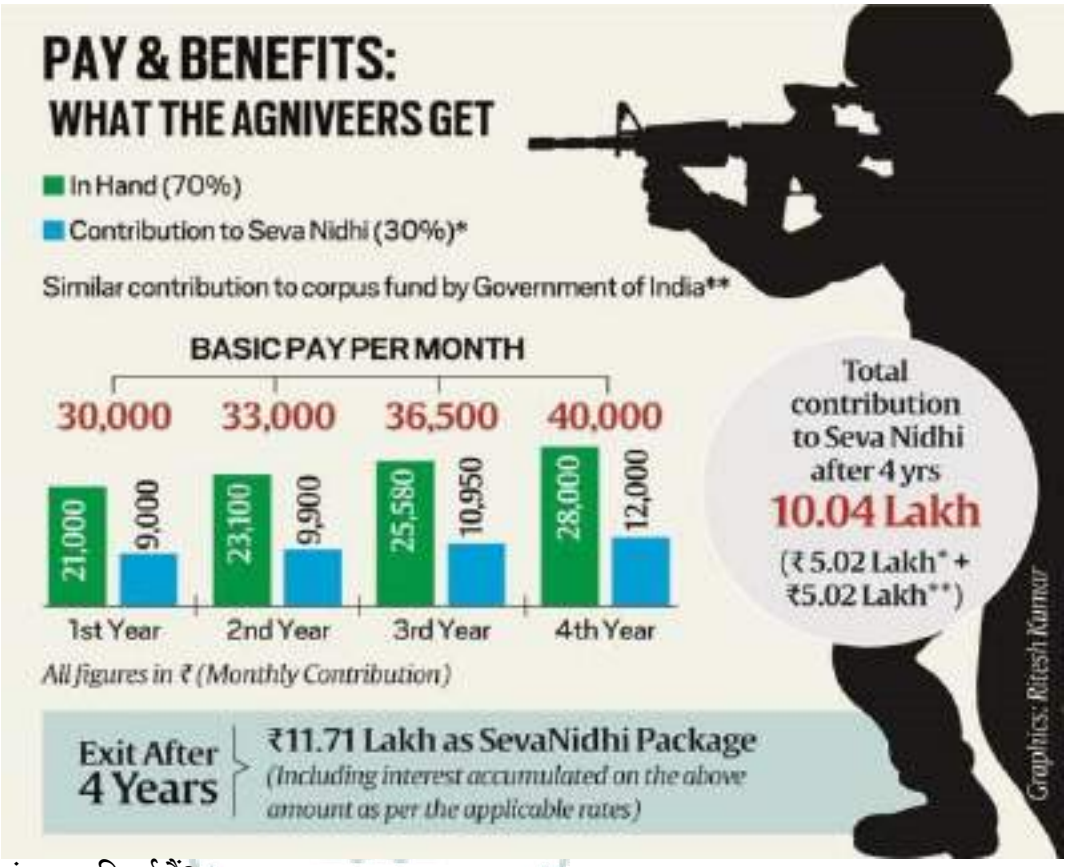

योजना को लेकर क्या चिंताएं व्यक्त की गई हैं?

- **विधेयक का आशय:** एक राजनीतिक विरोध है कि यह योजना नए रंगरूटों के लिए अन्यायपूर्ण होगी और देश के सामने आने वाले सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सेना की क्षमता को कुंद (blunt) कर देगी।
- **यथास्थिति में बदलाव जिसने अच्छी तरह से काम किया :** पूर्व सैनिक बहुत आलोचनात्मक रहे हैं और उन्होंने इस योजना को समय-परीक्षणित जाति/धर्म/क्षेत्र-आधारित रेजिमेंटल सिस्टम और यूनिट/सब-यूनिट सामंजस्य पर प्रभाव डालने के लिए माना है, जो युद्ध में प्राथमिक प्रेरक है।
- **समग्र सुधार का हिस्सा बनने की आवश्यकता:** दुर्भाग्य से, यह योजना सशस्त्र बलों के समग्र परिवर्तन से अलग एक स्टैंडअलोन सुधारात्मक निर्णय है, जिसे एक रणनीतिक समीक्षा के समय-परीक्षण अनुक्रम का पालन करना चाहिए, एक औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की अवधारणा, रक्षा नीति और एक समयबद्ध निष्पादन योजना का पालन करना चाहिए।
    - इस योजना को जनशक्ति के अनुकूलन/कमी और पुनर्गठन/पुनर्गठन के आधार पर अन्य जनशक्ति प्रबंधन से संबंधित सुधारों से भी जोड़ा जाना चाहिए।
- **सफलता के लिए पर्याप्त आकर्षक न होना**
    - निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि और पर्याप्त मृत्यु/विकलांगता पैकेज के साथ 30,000 रुपये का प्रारंभिक वेतन पैकेज उचित है, लेकिन महंगाई भत्ते से इनकार करना अनुचित प्रतीत होता है।
    - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के नियमों और शर्तों की तुलना में, जहां कोई 58 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकता है, अग्निपथ आकर्षित नहीं है।
- **सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ:** कार्यकाल को चार साल के रूप में रखना और ग्रेच्युटी (जो कि वर्तमान नीति के अनुसार 5 साल की सेवा के बाद अधिकृत है) से इनकार करना एक गंभीर मुद्दा बना रहेगा और साथ ही स्वास्थ्य योजना के साथ-साथ लाभ /

विशेषाधिकारों के लिए पूर्व सैनिकों की स्थिति से इनकार भी किया जाएगा। अग्निशामकों को सेवानिवृत्ति के बाद प्रोत्साहन एक ग्रे क्षेत्र बना हुआ है और इस मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है।

हब एयरपोर्ट (Hub airport)

संदर्भ: हब एयरपोर्ट की अवधारणा को भारतीय विमानन बाजार की पूरी क्षमता को जानने और देश को आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए एक परिवर्तनकारी उपाय के रूप में शुरू किया गया है।

- भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है।
- यात्री मांग में वृद्धि को देखते हुए, भारत के हवाईअड्डा संचालकों ने अगले चार वर्षों में क्षमता बढ़ाने के लिए 90,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना बनाई है।

हब एयरपोर्ट क्या है?

1) हब एयरपोर्ट वह है जो कई एयरलाइनों द्वारा सर्वड (served) किया जाता है, जो कई हवाई अड्डों को नॉन-स्टॉप उड़ानों के माध्यम से जोड़ता है।
2) एक प्रमुख एयरपोर्ट हब बनने के लिए तीन बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात,
   o अच्छी भौगोलिक स्थिति
   o पर्याप्त स्थानीय उपभोक्ता मांग;
   o उच्च मात्रा वाले यातायात का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा।
3) एक विशिष्ट हब हवाई अड्डा तरंगों की अवधारणा पर कार्य करता है।
4) कुछ वैश्विक उदाहरण हैं (हब एयरपोर्ट/होम एयरलाइन): लंदन/ब्रिटिश एयरवेज; फ्रैंकफर्ट/लुफ्थांसा

महत्व

- एक हब हवाई अड्डे और एयरलाइनों के लिए समान पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाता है और यह सभी के लिए फायदे का सौदा है।
- हवाईअड्डे को अन्य हवाई अड्डों के साथ सीधे संपर्क में वृद्धि और यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण राजस्व के अधिक अवसरों से लाभ होता है।
- बेहतर यात्री थ्रूपुट (throughput) का व्यापक हवाईअड्डा पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है, जैसे हवाई अड्डे पर एयरो और गैर-एयरो सेवा प्रदाता, जिसमें कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग इत्यादि शामिल हैं।
- एयरलाइंस, शहर के जोड़े की सर्व करती हैं जो अन्यथा नॉन-स्टॉप उड़ानों के लिए आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हैं।
- बार-बार उड़ान भरने वालों को उड़ानों, गंतव्यों और सर्व आवृत्तियों के साथ-साथ कम सहायक लागतों के साथ अधिक विकल्प और फ्लेक्सिबल मिलता है, जैसे रात भर ठहरने के समय और लागत से बचना।
- यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विमानन क्षेत्र में नौकरी का सृजन पर्यटन और आतिथ्य जैसे संबद्ध क्षेत्रों में छह नौकरियों के सृजन को प्रभावित करता है।
- यह सब शहर और इसके निवासियों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी प्रेरित करता है।

भारतीय दृष्टिकोण

- भारत में पहली दो आवश्यकताओं को बड़े पैमाने पर संबोधित किया जाता है और तीसरी आवश्यकता यानी बुनियादी ढांचे को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

पक्ष में कारक (Factors in favor)

- भारत में सबसे बड़ा प्रवासी, या अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, सभी छह महाद्वीपों में 18 मिलियन लोग हैं और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार होने के कारण यह हवाईअड्डा हब के लिए बन सकता है।
- भारत व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई गलियारों पर स्थित है जो यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व को एशिया से जोड़ता है, जो इसे ट्रांजिट हब

और वैकल्पिक/डायवर्सन/फ्यूल स्टॉप/तकनीकी स्टॉप के लिए आदर्श बनाता है; पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के के कारण।

बाधायें

- प्रमुख हवाई अड्डों पर लैंडिंग स्लॉट की कमी के कारण क्षमता की कमी है, खासकर व्यस्त समय के दौरान।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम (एएआई), 1994 एएआई/एयरपोर्ट ऑपरेटरों को गैर-वैमानिकी गतिविधियों के लिए उपलब्ध भूमि का व्यावसायिक रूप से दोहन करने से रोकता है।
- उच्च लागत-कम किराया परिचालन वातावरण और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा एयरलाइन की बैलेंस शीट और वित्तीय को नुकसान पहुंचाती है, जो हवाई अड्डों के विकास को प्रभावित करती है।

कार्गो और माल ढुलाई के साथ क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए भविष्य के मास्टर प्लान के एक हिस्से के रूप में इंटर-मोडल कनेक्टिविटी (रेल / सड़क / हवाई) और रसद समर्थन बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। सावधानीपूर्वक तैयार की गई नीति के साथ, भारत अपनी रसद लागत को कम कर सकता है, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और अर्थव्यवस्था में आतिथ्य क्षेत्र के योगदान को बढ़ा सकता है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था (India's digital economy)

चर्चा में क्यों : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में भारत में जिस तरह का डिजिटल बदलाव हो रहा है। वैसा पहले कभी नहीं देखा गया।

- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कुल 2.5 ट्रिलियन डॉलर की क्षमता है।
- भारत में 70,000 से अधिक स्टार्ट-अप में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।
- वर्ष 2025 तक भारतीय डिजिटल इकोनॉमी की वैल्यू एक ट्रिलियन डालर तक पहुंच जाएगी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ

- **ब्लैक इकॉनमी को हटाना:** नकद आधारित लेनदेन को प्रतिबंधित करके और केवल डिजिटल भुगतान का उपयोग करके, सरकार प्रभावी रूप से ब्लैक इकॉनमी को बाहर निकाल सकती है।
- **लोगों को सशक्तिकरण:** प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई।
- नई नौकरियों का सृजन।
- **राजस्व में वृद्धि:** प्रत्येक लेनदेन दर्ज किया जाता है, ग्राहकों को उनकी खरीद के लिए बिल मिलेगा, और व्यापारी सरकार को बिक्री कर का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।
- **ई-गवर्नेंस:** डिजिटल अर्थव्यवस्था ई-गवर्नेंस का मार्ग प्रशस्त करेगी, जहां सभी सरकारी सेवाओं की डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी।

<u>सरकार द्वारा किए गए उपाय</u>

- **डिजिलॉकर्स:** यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक "डिजिटल लॉकर" सेवा है जो भारतीय नागरिकों को क्लाउड पर कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को स्टोर करने में सक्षम बनाती है।
- **डिजिटल भुगतान:** एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत, जिसने देश के हर हिस्से में डिजिटल भुगतान के लाभों की शुरुआत की।
- **भीम ऐप**—यह डिजिटल भुगतान को सक्षम करने वाला ऐप है।
- नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान।
- **भारतनेट परियोजना:** ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम।

चुनौतियां

- **कनेक्टिविटी/अवसंरचना का अभाव:** वाई-फाई हॉटस्पॉट का धीमा रोल-आउट और धीमी गति।
- **प्रोत्साहन का अभाव:** अधिकांश लघु और मध्यम उद्योग आधुनिक तकनीक के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- **डिजिटल निरक्षरता:** लैंगिक, क्षेत्रों आदि के बीच अधिक डिजिटल विभाजन।
- **कुशल जनशक्ति की कमी:** उपयोगकर्ता शिक्षा की कमी और कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए सीमित सुविधाएं हैं।

आगे की राह

- भारत के तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत और बढ़ावा देने के लिए अपने पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए।
- जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास पहल।
- इस तरह के सीमापार डिजिटल प्रवाह को नियंत्रित करने वाले सख्त डेटा संरक्षण कानूनों की आवश्यकता है वह डिजिटल अर्थव्यवस्था भारी बौद्धिक संपदा पर आधारित है, पेटेंट और कॉपीराइट कार्य के लिए कड़ी सुरक्षा, चाहे भारत में या कहीं और उत्पादित हो, को भी लागू करने की आवश्यकता है।

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

सरोगेसी विनियमन अधिनियम, 2021 (Surrogacy Regulation Act, 2021)

संदर्भ: दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया है, भारत में सरोगेसी के लिए अधिकार-पत्र देने अथवा नहीं दिए जाने के लिए वैवाहिक स्थिति, उम्र या लैंगिक स्थिति को मानदंड के रूप में क्यों निर्धारित किया गया है?

सरोगेसी अधिनियम, 2021 क्या है?

- अधिनियम ने भारत में सरोगेसी को विनियमित करने की मांग की।
- अधिनियम 'सरोगेसी' को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है जहां एक महिला दूसरे जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देने का वादा करती है और जन्म के बाद बच्चे को उन्हें सौंपने के लिए सहमत होती है।

भारत में सरोगेसी अधिनियम की आवश्यकता क्यों है?

- भारत दुनिया के लोगों को आकर्षित करते हुए बांझपन के इलाज के लिए एक केंद्र के रूप में उभरा है - प्रचलित सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण, वंचित महिलाओं को 'अपनी कोख किराए पर लेने' का विकल्प मिला और इस तरह वे अपने खर्चों का ध्यान रखने के लिए पैसे कमाती हैं।
    - वर्ष 2012 तक, भारत सरोगेसी पर्यटन के साथ दुनिया की 'सरोगेसी राजधानी' बन गया था, जिसका मूल्य लगभग $500 मिलियन सालाना था।
- **अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए:** विशिष्ट कानून की कमी के कारण वाणिज्यिक सरोगेसी सेवाओं का अनियंत्रित विकास हुआ। इसलिए, लिंग चयन और सरोगेट के शोषण के मुद्दों से संबंधित अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए, विशिष्ट कानून की आवश्यकता थी।
- **महिलाओं के शोषण पर अंकुश लगाने के लिए:** कानूनी नियमों के अभाव और कार्यान्वयन की कमी के कारण, सरोगेट माताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा - सरोगेसी से संबंधित मृत्यु के कई मामले सामने आए, जिनकी जिम्मेदारी लेने के लिए न तो माता-पिता और न ही डॉक्टर तैयार थे।
- **कानूनी मुद्दे:** कभी-कभी, भारतीय दत्तक ग्रहण कानून या कुछ अन्य देशों के नागरिकता कानून भी समस्याएं पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी मां द्वारा नागरिकता देता है; यह बच्चे की राष्ट्रीयता के निर्धारण में समस्याएँ उत्पन्न करता है।
    - वर्ष 2008 में, एक जापानी दंपत्ति ने गुजरात में एक सरोगेट मां के साथ प्रक्रिया शुरू की, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले वे अलग हो गए और बच्चे को लेने वाला कोई नहीं था।
    - वर्ष 2012 में, एक ऑस्ट्रेलियाई दंपति ने एक सरोगेट मां को नियुक्त किया, और पैदा हुए जुड़वा बच्चों में से एक को चुना।
- **नैतिक मुद्दे:** सरोगेसी से बच्चे का वस्तुकरण होता है। गर्भ किराए पर लेने से मां और बच्चे के बीच का बंधन टूट जाता है, नेचुरल बंधन में बाधा आती है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

- अधिनियम वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है।
- **इच्छुक दंपत्ति के लिए पात्रता मानदंड:** कोई भी जोड़ा जिसने 'बांझपन साबित' किया हो, वह उम्मीदवार है। 'इच्छुक युगल' जैसा कि अधिनियम उन्हें कहता है, पात्र होंगे यदि उनके पास 'आवश्यक प्रमाण पत्र' और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी 'पात्रता का प्रमाण पत्र' है।
- **सरोगेट मदर के लिए पात्रता मानदंड:** दंपत्ति का केवल एक करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट मदर हो सकता है, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करने में सक्षम हो। वह शादी-शुदा और उसके एक बच्चा हो तथा उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लेकिन वह केवल एक बार सरोगेट मदर बन सकती है।

- **उपयुक्त प्राधिकार:** केंद्र और राज्य सरकारें एक या अधिक उपयुक्त प्राधिकारियों की नियुक्ति करेंगी। उपयुक्त प्राधिकारी के कार्यों में शामिल हैं;
  - सरोगेसी क्लीनिकों का पंजीकरण प्रदान करना, निलंबित करना या रद्द करना;
  - सरोगेसी क्लीनिकों के लिए मानकों को लागू करना;
- **राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड:** केंद्र और राज्य सरकारें क्रमशः राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड (एनएसबी) और राज्य सरोगेसी बोर्ड (एसएसबी) का गठन करेंगी।
- **सरोगेट बच्चे का पितृत्व और गर्भपात:** सरोगेट बच्चे के गर्भपात के लिए सरोगेट मां की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। यह प्राधिकरण मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के अनुरूप होना चाहिए।
  - सरोगेट मां के पास भ्रूण को उसके गर्भ में प्रत्यारोपित करने से पहले सरोगेसी से हटने का विकल्प होगा।

अधिनियम के पीछे क्या विवाद हैं?

- **बहिष्करण:** कानूनी रूप से सरोगेसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड में समाज का एक हिस्सा शामिल नहीं है जैसे अविवाहित महिलाएं, एलजीबीटीक्यू+ व्यक्ति, लिव-इन जोड़े और एकल माता-पिता जो सरोगेट बच्चा पैदा करना चाहते हैं।
- **पितृसत्तात्मक:** परोपकारी मॉडल से यह अपेक्षा की जाती है कि एक महिला सरोगेसी के शारीरिक और भावनात्मक टोलों से निःशुल्क और केवल करुणा के कारण गुजरेगी।
- **महिला की स्वायत्तता:** व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है।
- **परोपकारी सरोगेसी की सीमाएं:** सरोगेट मां के रूप में एक रिश्तेदार होने से भावनात्मक जटिलताएं हो सकती हैं। परोपकारी सरोगेसी भी सरोगेट मां को चुनने में इच्छुक जोड़े के विकल्प को सीमित करती है क्योंकि बहुत सीमित रिश्तेदार सरोगेसी के लिए पात्र और स्वयंसेवक होते हैं।
- **विकलांग बच्चे:** यह अधिनियम शारीरिक और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को निःसंतान मानता है। यह आगे सरोगेसी पर विचार करने को प्रोत्साहित करता है यदि दंपति के बच्चे को जीवन के लिए खतरा विकार है।

बाल कुपोषण (Child Malnutrition)

कुपोषण, अपने सभी रूपों में, कम पोषण (वेस्टिंग, स्टंटिंग, कम वजन), मोटापा, और परिणामी आहार से संबंधित गैर-संचारी रोग शामिल हैं।

कुपोषण शब्द स्थितियों के 3 व्यापक समूहों को संबोधित करता है:

- कम पोषण, जिसमें वेस्टिंग (ऊंचाई के लिए कम वजन), स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई) और कम वजन (उम्र के हिसाब से कम वजन) शामिल हैं
- सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित कुपोषण, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकता शामिल है; तथा
- अधिक वजन, मोटापा और आहार से संबंधित गैर-संचारी रोग (जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कुछ कैंसर)।

कुपोषण एक पुरानी समस्या है और भारत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पुरानी चुनौती है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) ने विभिन्न पोषण संकेतकों में मामूली सुधार दिखाया है, जो दर्शाता है कि प्रगति की गति धीमी है।
- जबकि स्टंटिंग दर में कुछ कमी आई (एनएफएचएस-4 में 38.4% से 35.5%) 13 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएचएस-4 के बाद से अविकसित बच्चों में वृद्धि देखी गई है।
- एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण इंगित करता है कि 57% से अधिक महिलाएं (15-49 वर्ष) और 67% से अधिक बच्चे (छः-59 महीने)

एनीमिया से पीड़ित हैं।

- विकासशील देशों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कारण प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में 4.05% तक की कमी होती है; भारत को सालाना सकल घरेलू उत्पाद का 1.18% तक का नुकसान होता है।

कुपोषण के कारण:

- मोनोकल्चर कृषि पद्धतियां: हालांकि भारत ने खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है, लेकिन इसने कुपोषण के मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है।
  - ये गहन मोनोकल्चर कृषि प्रथाएं भूमि, पानी और उनके माध्यम से प्राप्त भोजन की गुणवत्ता को कम करके खाद्य और पोषण सुरक्षा समस्या को कायम रख सकती हैं।
- खाद्य खपत के पैटर्न में बदलाव: पिछले कुछ दशकों में भारत में खाद्य खपत के पैटर्न में काफी बदलाव आया है, जिसके परिणामस्वरूप कई पौष्टिक स्थानीय खाद्य पदार्थ गायब हो गए हैं, उदाहरण के लिए, बाजरा।
- गरीबी: यह सबसे कमजोर आबादी के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करती है।
- स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की कमी: खराब स्वच्छता, और हानिकारक स्वच्छता प्रथाओं से संक्रामक और जल जनित रोगों की चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है।
- लैंगिक भेदभाव (Gender injustice) : लैंगिक भेदभाव और खराब पोषण के बीच एक संबंध है।
- अनुपयुक्त नीतियां और शिथिल कार्यान्वयन - नीतियां रीयल-टाइम डेटा के आधार पर तैयार नहीं की जाती हैं।

कुपोषण से निपटने के लिए किए गए उपाय:

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना

- यह छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है जैसे पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

- मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटकों में - प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A), और संचारी और गैर-संचारी रोगों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।

मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)

- इसमें प्रावधान है कि कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को, जो स्कूल में दाखिला लेता है और स्कूल जाता है, उसे स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर हर दिन मुफ्त में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

पोषण अभियान (Poshan Abhiyan)

- यह वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बहु-मंत्रालयी अभिसरण मिशन है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)

- इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बेहतर सक्षम वातावरण में योगदान करना है।

आगे की राह

वित्तीय प्रतिबद्धता

- महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में निवेश बढ़ाना ताकि उनका सतत विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
- सक्षम आंगनवाड़ी और समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना (पोशन) 2.0 कार्यक्रम में बजटीय आवंटन में केवल

मामूली वृद्धि देखी गई है।

परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण (Outcome-oriented approach)

- सांसदों द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्रों में सख्त निगरानी और हस्तक्षेप।
- पोषण की दृष्टि से कमजोर समूहों के साथ सीधे जुड़ाव और प्रमुख पोषण सेवाओं और हस्तक्षेपों के अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करने में योगदान करना।

विविधीकरण:

- बाजरा और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर अनाज को शामिल करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विविधता लानी चाहिए।

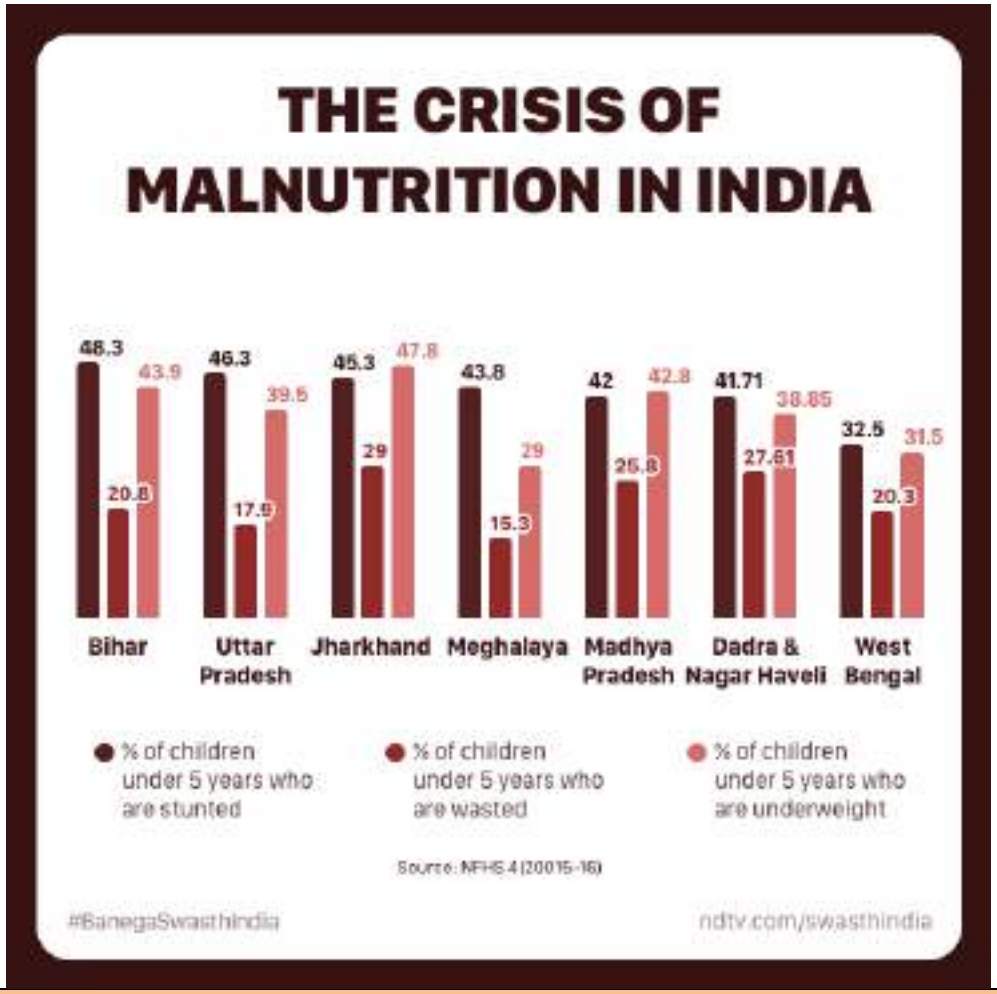

खाद्य सुरक्षा (Food Security)

संदर्भ: महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान आपूर्ति में व्यवधान ने कई देशों को महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है।

- उदाहरणों में गेहूं और सूरजमुखी के तेल पर रूस का निर्यात प्रतिबंध, खाद्य पदार्थों के निर्यात पर यूक्रेन का प्रतिबंध, पाम तेल के निर्यात पर इंडोनेशिया का प्रतिबंध, बीफ निर्यात पर अर्जेंटीना का प्रतिबंध, तुर्की, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान का विभिन्न अनाज उत्पादों पर प्रतिबंध, और भारत का गेहूं निर्यात प्रतिबंध शामिल हैं।
- इस तरह की आकस्मिक कार्रवाइयां वैश्विक व्यापार पर दबाव को बढ़ा देती हैं जिससे इन वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है,

जिससे शुद्ध खाद्य-आयात करने वाले देशों की खाद्य सुरक्षा को खतरा होता है।

- इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में इस तरह के व्यवधानों ने भारत को महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता के बारे में पुनर्विचार करने या कम से कम आवश्यक खाद्य उत्पादों के आयात पर उनकी अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए मजबूर कर दिया था।

भारतीय निर्यात-आयात बास्केट से संबंधित आँकड़े:

- वित्त वर्ष 2012 में भारत का कृषि-निर्यात 32.4 अरब डॉलर के कृषि-आयात के मुकाबले 50.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
- इसका मतलब है कि भारतीय कृषि बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी है।
- लेकिन इसकी सबसे बड़ी कृषि-आयात वस्तु, खाद्य तेल, भारत के कृषि-आयात बास्केट का 59 प्रतिशत है।
- वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 22) में भारत का खाद्य तेल आयात बिल $19 बिलियन को पार कर गया।
- पाम तेल में भारत के खाद्य तेल आयात का 50 प्रतिशत से अधिक है, इसके बाद सोयाबीन और सूरजमुखी का स्थान आता है।
- भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का 55 से 60 प्रतिशत आयात करता है।
- आयात पर अत्यधिक निर्भरता ने खाद्य तेल में आत्मानिर्भरता के लिए पिच (pitch) बढ़ा दी है।
- इस प्रकार भारत सरकार ने वर्ष 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NEOM-OP) शुरू किया।

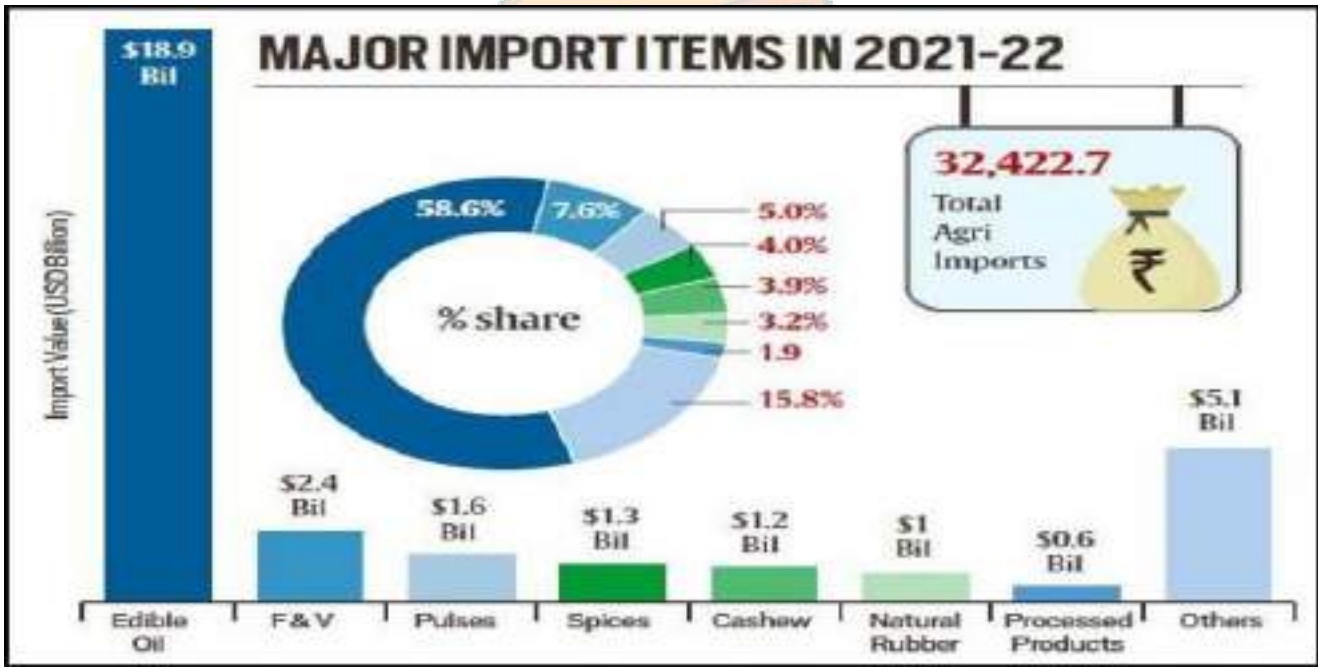

वर्ष 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NEOM-OP)

- इसका उद्देश्य वर्ष 2025-26 तक ताड़ के तेल के घरेलू उत्पादन को तीन गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना है।
- इसमें वर्ष 2025-26 तक ताड़ के तेल की खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना शामिल होगा।

विशेषताएँ:

- इस योजना का विशेष जोर भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों और क्षेत्रों में अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होगा।

- इस योजना के तहत, पाम तेल के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और मूल्य और व्यवहार्यता सूत्र के तहत पारिश्रमिक प्राप्त किया जाएगा।

योजना का महत्व:

- आयात पर निर्भरता में कमी - भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- पैदावार में वृद्धि - भारत सालाना खपत होने वाले लगभग 2.4 करोड़ टन खाद्य तेल के आधे से भी कम का उत्पादन करता है, इससे वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन से उपज में वृद्धि होगी।

चिंता

- खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होने के लिए लगभग 39 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होगी।
- मुख्य स्टेपल (अनाज) के तहत क्षेत्र को काटे बिना भूमि का इतना बड़ा हिस्सा उपलब्ध नहीं होगा - इससे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
- लंबी अवधि की फसल को परिपक्व होने में चार से छह साल लगते हैं जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है।
- कीमतो में अस्थिरता।

आगे की राह

- खाद्य तेलों में आयात निर्भरता को कम करने और अन्य आवश्यक फसलों को प्रभावित किए बिना खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए एक तर्कसंगत नीति।
- गेस्टेशन अवधि (gestation period) के दौरान किसानों को प्रोत्साहन और उनकी भूमि की अवसर लागत के साथ सहायता करना।
- उचित मूल्य निर्धारण फार्मूला जो कीमत में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखता है।
- ताड़ के तेल को वृक्षारोपण फसल के रूप में घोषित करना और कॉरपोरेट हितधारकों को लंबी अवधि के आधार पर जमीन का स्वामित्व/पट्टे पर देने की अनुमति देना।
- बिचौलियों के बिना प्रसंस्करण इकाइयों और विपणन तंत्र का विकास।

आर्थिक परिवर्तन में जाति की भूमिका (The role of caste in economic transformation)

संदर्भ: जाति, एक संरचनात्मक कारक जो भारत में आर्थिक परिवर्तन को बाधित करता है।

- जाति अपने कठोर सामाजिक नियंत्रण और नेटवर्क के माध्यम से कुछ के लिए आर्थिक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करती है और दूसरों पर बढ़ते नुकसान के द्वारा बाधाओं को खड़ी करती है।
- जाति भूमि और पूंजी के स्वामित्व पैटर्न को आकार देती है और साथ ही साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पूंजी तक पहुंच को भी नियंत्रित करती है।

आर्थिक परिवर्तन को बाधित करने वाले तरीके:

ऐसे तीन तरीके हैं जिनसे जाति भारत में आर्थिक परिवर्तन को बाधित करती है:

- कृषि क्षेत्र में उत्पादकता विफलता से संबंधित स्वामित्व और भूमि असमानता;
- उच्च शिक्षा में अभिजात्य पूर्वाग्रह और जन शिक्षा की ऐतिहासिक उपेक्षा, और
- आधुनिक क्षेत्र में जाति-आधारित प्रवेश बाधाएं और विशिष्ट नेटवर्क।

- ग्लोबल साउथ में समावेशी विकास प्राप्त करने में सफल होने वाले सभी राष्ट्रों ने मानव पूंजी के साथ भूमि सुधार किए, नीचे से पूंजीवाद को बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचे में निवेश किया और ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगीकरण शुरू किया।

- भारत तीनों मोर्चों (**three counts)** पर हार गया।

भूमि स्वामित्व, उत्पादकता:

- भारत में आज विश्व में सबसे अधिक भूमि असमानताएं हैं।
- भूमि का असमान वितरण ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तक्षेप द्वारा कायम रखा गया था जिसने एक पारंपरिक असमानता को वैध कर दिया था।
- निर्धारित श्रेणियों और प्रथाओं ने भूमि के स्वामित्व में जातिगत असमानता को गहरा कर दिया है।
- भारत की आजादी के बाद हुए बाद के भूमि सुधार में भी बड़े पैमाने पर दलितों और निचली जातियों को बाहर रखा गया।
- आगे हरित क्रांति ने ग्रामीण भारत में जमींदारों का दूसरों पर सामाजिक नियंत्रण मजबूत कर दिया।
- भूमि अभी भी ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में सामाजिक स्थिति और गौरव को परिभाषित करती है।

शिक्षा की उपेक्षा :

- यदि कृषि क्षेत्र के भीतर उत्पादकता में मजबूत वृद्धि सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो आधुनिक क्षेत्रों में जाने के लिए एक शिक्षित कार्यबल भी उतना ही आवश्यक है।
- भारत दोनों एकाउंट्स में विफल रहा।
- भारतीय शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक काल से ही अभिजात वर्ग के पूर्वाग्रह से पीड़ित रही है।
- यह मुख्य रूप से जन की बुनियादी शिक्षा की उपेक्षा करने वाले अभिजात वर्ग (an elite bias) के लिए उच्च शिक्षा पर केंद्रित था।
- शिक्षा तक पहुंच में असमानता भारत में वेतन अंतर सहित अन्य आर्थिक क्षेत्रों में असमानता में बदल गई।
- चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन ने निम्न-स्तरीय विनिर्माण नौकरियों पर कब्जा कर लिया, भारत ने बड़े पैमाने पर उच्च प्रौद्योगिकी नौकरियों में ध्यान केंद्रित किया।

उद्यमिता में बाधा :

- भारत में कुछ मामलों को छोड़कर नीचे से ऐसा पूंजीवाद नहीं देखा गया।
- भारत के अत्यधिक असमान भूमि सुधार और शिक्षा और स्वास्थ्य के सार्वजनिक प्रावधान की कमी सहित जाति के आकार के नीतिगत परिणाम, जिसने बदले में आर्थिक विविधीकरण में बाधाएं खड़ी कीं है।
- जिन जातियों का पहले से ही व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों पर नियंत्रण था, उन्होंने दूसरों के आने का विरोध किया।

भारत में वृद्धि और विकास में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि जाति एक अवशिष्ट चर (a residual variable) नहीं है, बल्कि एक सक्रिय एजेंट है जो आर्थिक परिवर्तन को रोकता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण की भंगुर स्थिति (Fragile State of Nuclear Disarmament)

संदर्भ: हाल ही में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने कुछ दिन पहले अपनी ईयर बुक (yearbook) जारी की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में पिछले वर्ष की कुछ चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया।

- वैश्विक परमाणु शस्त्रागार की अपेक्षित वृद्धि **SIPRI** विशेषज्ञों के बीच चिंता का मुख्य कारण थी।
- व्यापक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जहां परमाणु शस्त्रागार की पूर्ण संख्या कम हो गई है, वहीं अगले दशक में उनके बढ़ने की उम्मीद है।

सैन्य खर्च में क्या रुझान रहा है?

- **सैन्य खर्च में कमी:** वर्ष **2012-2021** के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सैन्य खर्च काफी हद तक स्थिर रहा है।

कुछ भी हो, दुनिया भर में औसत रुझान थोड़ा नीचे की ओर रहा है।

- **संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का दबदबा :** रूस परमाणु सूची की पूर्ण संख्या में सबसे आगे है (यू.एस. के **5428** के मुकाबले **5977**)। चीन के पास **350** हैं। फ्रांस के पास **290** हैं। यूके के पास **225** हैं। भारत के पास **160** हैं। पाकिस्तान के पास **165** हैं। इजरायल के पास **90** और उत्तर कोरिया के पास **20** हैं।
- **भारत शीर्ष आयातक:** वर्ष **2017-2021** की अवधि के दौरान भारत शीर्ष हथियार आयातक है। शीर्ष पांच हथियार आयातकों की सूची में शामिल होने वाले अन्य देशों में सऊदी अरब, मिस्र, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। **SIPRI** के अनुसार, इन पांच देशों के पास कुल वैश्विक हथियारों के आयात का **38%** हिस्सा है।

विभिन्न परमाणु निरस्त्रीकरण व्यवस्थाएं क्या हैं?

अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण व्यवस्था में परमाणु हथियारों को विनियमित करने वाले सिद्धांत, मानदंड, नियम और प्रथाएं शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से, शासन परमाणु हथियारों के अप्रसार (एनपीटी) पर **1968** की संधि पर बनाया गया है।

1. परमाणु हथियार संधि का अप्रसार (एनपीटी)

- एनपीटी **1970** में लागू हुआ और **1995** में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया।
- निम्नलिखित लक्ष्यों को अक्सर एनपीटी के 'तीन स्तंभ' के रूप में वर्णित किया जाता है
  - o परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए
  - o परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना
  - o परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ना
- गैर-परमाणु हथियार राज्यों की अप्रसार प्रतिबद्धताओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) सुरक्षा उपायों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।
- हालांकि, मान्यता प्राप्त पांच परमाणु-हथियार वाले राज्य (**NWS**) - अर्थात् यूएस, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, परमाणु हथियार रख सकते हैं।
- भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और उत्तर कोरिया - केवल चार होल्ड आउट के साथ इसकी लगभग सार्वभौमिक स्थिति है।

2. व्यापक परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी)

- व्यापक परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि पृथ्वी पर सभी परमाणु विस्फोट परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है।
- इसे **1996** में हस्ताक्षर के लिए ओपन किया गया था और तब से **182** देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस संधि के अनुबंध **2** में सूचीबद्ध सभी **44** राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद संधि लागू हो जाएगी। जिस समय संधि पर बातचीत हुई और उसे अपनाया गया, उस समय इन राज्यों के पास परमाणु सुविधाएं थीं।
  - o इनमें से **36** राज्यों ने संधि की पुष्टि की है। आठ राज्यों को अभी भी ऐसा करने की जरूरत है।
  - o उत्तर कोरिया, भारत और पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं।
  - o चीन, मिस्र, ईरान, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने **CTBT** पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है।
  - o **CTBT** इसलिए लागू नहीं हुआ है और उसके पास कानूनी अधिकार नहीं है।

3. मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर)

- एमटीसीआर मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों और संबंधित प्रौद्योगिकियों के अप्रसार में साझा हितों को साझा करने वाली सरकारों का एक अनौपचारिक, गैर-संधि संघ है।
- मिसाइल प्रसार को नियंत्रित करने पर औपचारिक चर्चा **1983** में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और यूएसए के बीच शुरू हुई। बाद में वे कनाडा और जापान से जुड़ गए, और **1985** में, दोहरे उपयोग वाली मिसाइल वस्तुओं सहित परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक अंतरिम समझौता हुआ।

- **1987** में **7** राज्यों ने औपचारिक रूप से मिसाइल प्रौद्योगिकी और नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) की घोषणा की।

4. परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW)

- परमाणु हथियार निषेध संधि (टीपीएनडब्ल्यू), जिसे परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि के रूप में भी जाना जाता है।
- यह पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य के साथ व्यापक रूप से प्रतिबंधित करता है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा **2017** में अपनाया गया था और जनवरी **2021** में लागू हुआ था, जिसमें **54** देशों ने इसकी पुष्टि की थी।
- उन राष्ट्रों के लिए जो इसके पक्षकार हैं, संधि विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, तैनाती, स्थानांतरण, उपयोग और परमाणु हथियारों के उपयोग के खतरे के साथ-साथ निषिद्ध गतिविधियों के लिए सहायता और प्रोत्साहन को प्रतिबंधित करती है।
- परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के संधि में शामिल होने के लिए, यह अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के सत्यापित और अपरिवर्तनीय उन्मूलन हेतु बातचीत के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा प्रदान करता है।
- भारत ने अपनी चिंता को दूर करने में विफल रहने के कारण संधि को अस्वीकार कर दिया था।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत का क्या प्रतिक्रिया है?

- भारत एक घोषित परमाणु शक्ति होने के नाते परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के विरुद्ध पहले इस्तेमाल नहीं करने (एनएफयू) की नीति और गैर-परमाणु-हथियार वाले राज्यों के विरुद्ध गैर-उपयोग की नीति के लिए प्रतिबद्ध है।
- निरस्त्रीकरण और अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों में भारत एक प्रमुख भागीदार है।
- भारत का मानना है कि परमाणु निरस्त्रीकरण एक सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और एक सहमत बहुपक्षीय ढांचे द्वारा लिखित चरण-दर-चरण प्रक्रिया के माध्यम से परमाणु हथियार रखने वाले सभी राज्यों के बीच सार्थक संवाद के बाद, विश्वास और विश्वास के निर्माण के लिए प्राप्त किया जा सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

5G प्रौद्योगिकी

संदर्भ: 5G तकनीक अंततः चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विभिन्न देशों में लागू हो रही है। भारत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 जुलाई, 2022 से शुरू होने वाली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है।

5G क्या है?

- 5G पांचवीं पीढ़ी की सेलुलर तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड (1 जीबीपीएस की स्पीड) बढ़ाने के अलावा विलंबता को भी कम करती है।
- यह ऊर्जा दक्षता भी बढ़ाता है और अधिक स्थिर नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है।
- 5G में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम (फ्रीक्वेंसी की रेंज) में एक व्यापक क्षेत्र होगा जो सुनिश्चित करेगा कि कोई नेटवर्क कंजेशन न हो।
- 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने और हमारे दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने में मदद करेगा।

5G की स्तंभ प्रौद्योगिकियां क्या हैं?

ऐसा कहा जाता है कि पाँच प्रौद्योगिकियाँ हैं जो 5G तकनीक की नींव रखती हैं:

- **मिलीमीटर-वेब :** मिलीमीटर-वेब 5G डेटा का बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है जो इसे 1Gbps से अधिक डेटा ट्रांसफर गति की अनुमति देता है। इस तकनीक का उपयोग वर्तमान में अमेरिका में वेरिज़ोन और AT &T जैसे दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा किया जा रहा है।
- **छोटे सेल:** मिमी वेब बाधाओं के माध्यम से ट्रेवल नहीं कर सकता है, मुख्य सेल टावर से सिग्नल को रिले करने के लिए एक क्षेत्र में बड़ी संख्या में मिनी सेल टावर तैनात किए जाते हैं। इन छोटे सेल को पारंपरिक टावरों की तुलना में करीब 5G सिग्नल प्राप्त करने के लिए पास में रखना पड़ता है।
- **विशाल एमआईएमओ (बहु इनपुट और बहु-आउटपुट):** इस तकनीक का उपयोग भारी यातायात के प्रबंधन के लिए बड़े सेल टावरों पर किया जाता है।
- MIMO एक ही समय में 100 एंटेना का समर्थन कर सकता है जो अधिक यातायात को संभालने के लिए टावर की समग्र क्षमता को बढ़ाता है।
- **बीम फॉर्मिंग (Beam forming):** तकनीक जो नियमित रूप से आवृत्तियों के कई स्रोतों की निगरानी कर सकती है और फिर एक सिग्नल अवरुद्ध होने पर एक मजबूत और तेज टावर पर स्विच कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि विशिष्ट डेटा केवल एक विशिष्ट दिशा में भेजा जाता है।
- **फुल डुप्लेक्स (Full duplex):** प्रौद्योगिकी जो एक नोड को एक ही आवृत्ति बैंड में एक साथ डेटा संचारित और प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह दो-तरफा सड़क की तरह है जो दोनों तरफ समान यातायात की अनुमति देता है।

5G के क्या फायदे हैं?

- **उच्च गति:** 5G ट्रैफिक क्षमता और नेटवर्क दक्षता में 100 गुना वृद्धि के साथ 20Gbps तक की गति देने में सक्षम है।
- **कम विलंबता:** केवल 1ms की विलंबता भी प्राप्त कर सकते हैं जो तत्काल कनेक्शन स्थापना में मदद करता है।
- **नवीनतम तकनीकों का आधार :** यह माना जाता है कि अपनी पूरी क्षमता से 5G गति प्रदान करने में सक्षम होगा जो वास्तविक समय में संवर्धित वास्तविकता को प्रस्तुत कर सकता है। इससे और अधिक हार्डवेयर का विकास होगा जो संवर्धित वास्तविकता पर काम करता है। यह तकनीक वर्चुअल रियलिटी, ऑटोनॉमस ड्राइविंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नींव भी बनने जा रही है।
- **लहर प्रभाव (Ripple Effect):** 5जी के लाभ न केवल आपके स्मार्टफोन के अनुभव को बेहतर बनाएंगे बल्कि चिकित्सा, बुनियादी

ढांचे और यहां तक कि विनिर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रगति के रास्ते भी खोलेंगे।

5G की चुनौतियां क्या हैं?

- **पूंजी गहन:** 5G प्रौद्योगिकियां महंगी हैं क्योंकि इसके लिए 3.5 GHz से अधिक आवृत्ति की आवश्यकता होती है जो कि 3G या 4G उपयोग की तुलना में एक बड़ी बैंडविड्थ है।
- **सीमित बैंडविड्थ:** Sub-6 GHz स्पेक्ट्रम में सीमित बैंडविड्थ है और इसलिए इसकी गति संभावित रूप से mm वेव की तुलना में धीमी हो सकती है।
- **हार्डवेयर परिनियोजन की आवश्यकता:** इसके अलावा, mm वेव केवल कम दूरी में प्रभावी है और बाधाओं के माध्यम से ट्रेवल नहीं कर सकता है। यह पेड़ों और यहां तक कि वर्षा द्वारा भी अवशोषित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि 5G को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आपको बहुत सारे हार्डवेयर परिनियोजन (hardware deployment) की आवश्यकता होगी।
- **अज्ञात सुरक्षा मुद्दे:** 5G तकनीक के साथ सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे भी हो सकते हैं जो केवल तभी सामने आएंगे जब तकनीक अधिक सुलभ होगी।
- **विकास पर संशय:** 5G बढ़ रहा है लेकिन लोगों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं। कई रिपोर्टों के अनुसार, अपनी वर्तमान दर पर भी, 5G वर्ष 2025 तक 4G और 3G से आगे नहीं निकल पाएगा।
- **घरेलू औद्योगिक स्ट्रेस:** Jio के आने से तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण हाल के दिनों में भारत का दूरसंचार क्षेत्र तनाव में है।

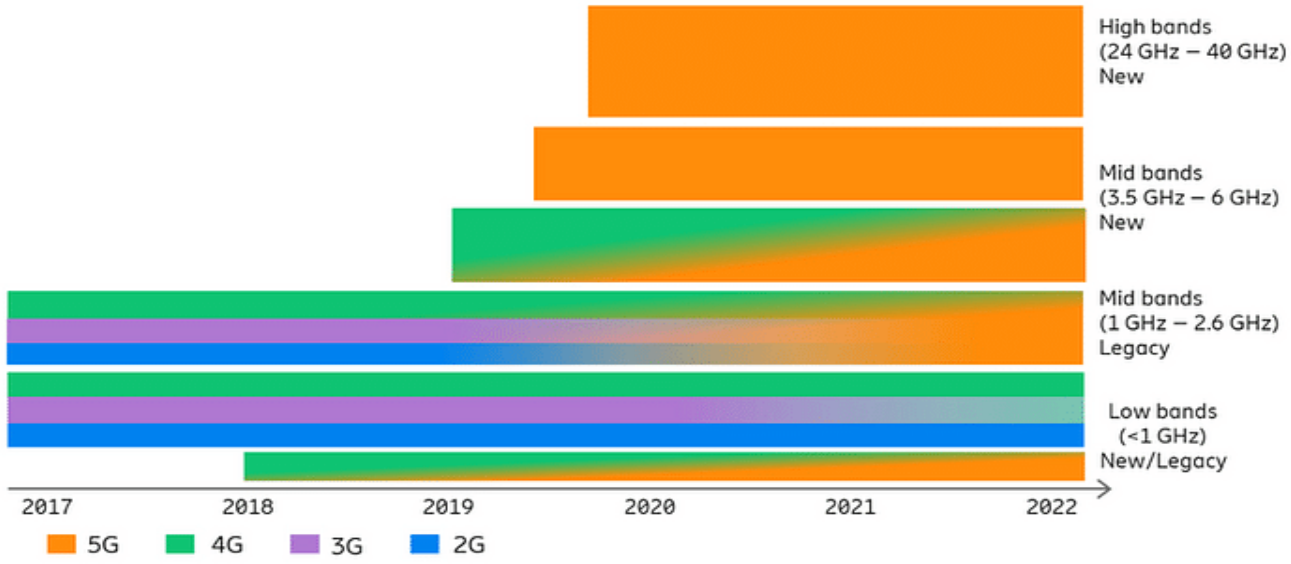

5G के संबंध में आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के निष्कर्ष क्या हैं?

सूचना प्रौद्योगिकी पर लोकसभा की एक स्थायी समिति ने फरवरी 2021 में 5G पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि भारत को 5G bus की कमी खलेगी।

रिपोर्ट के मुख्य अंश थे:

- **जमीनी स्तर पर बहुत कम प्रगति:** दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा अगस्त 2018 तक भारत को 5G तैयार करने के कदमों के बावजूद, जमीनी स्तर पर बहुत कम प्रगति हुई।
- **उच्च स्पेक्ट्रम मूल्य:** 5G की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य विश्व में सबसे अधिक में से एक था।
- परीक्षण मामलों का अपर्याप्त और खराब विकास: वैश्विक स्तर पर, 59 देशों में 118 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 5G नेटवर्क की तैनाती शुरू

कर दी है। भारत ने अभी तक 5G परीक्षण के लिए औपचारिक मंजूरी नहीं दी है।

- **5G का विलंबित रोलआउट:** भारत में 5G सेवाओं को लॉन्च करने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक कार्य नहीं किया गया है, जिससे रोल आउट में देरी हुई है।
- पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर की कम पहुंच, और कम बैक-हॉल क्षमता अन्य कारक हैं जो भारत में 5G की तैनाती में देरी कर रहे हैं।

क्या करने की जरूरत है?

- **बुनियादी सामग्री की पहचान:** भारत के लिए तत्काल प्राथमिकता अंतिम उपयोगकर्ताओं और कवर की जाने वाली भीड़ की पहचान करना, 5G रोल आउट के लिए शहरों की पहचान करना, 5G परिनियोजन के लिए एक निवेश मॉडल तैयार करना होगा।
- बाजार तंत्र के माध्यम से एक समान खेल मैदान बनाना जैसे कि सुविधा, अनुकरण, नीलामी, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, बाजार कार्य करना आदि।
- **स्पेक्ट्रम रोडमैप:** TRAI को एक पूर्वानुमेय नवीनीकरण प्रक्रिया के साथ एक स्पेक्ट्रम रोड मैप तैयार करना चाहिए जो तैनाती के लिए आवश्यक भारी निवेश की भरपाई करेगा और कवरेज सुनिश्चित करेगा।
- **स्पेक्ट्रम साझा करना:** वैश्विक परीक्षण से पता चलता है कि 5G परिनियोजन के लिए प्रमुख क्षेत्र 5G स्पेक्ट्रम बैंड का सामंजस्य, मूल्य निर्धारण और स्पेक्ट्रम का साझाकरण हैं।
- **सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन:** चूंकि 5G नेटवर्क की उपस्थिति महंगी है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उन उपायों पर विचार करने की जरूरत है जो फाइबर निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, पीपीपी के माध्यम से निवेश आकर्षित करते हैं और मामूली ब्याज के आधार पर निवेश निधि की सुविधा प्रदान करते हैं।
- इन नीतिगत सुधारों के साथ-साथ स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति इस क्षेत्र के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए शुभ संकेत है।
- **डिजिटल डिवाइड के प्रति जागरूक:** 5G का नकारात्मक प्रभाव 'डिजिटल डिवाइड' को और बढ़ा रहा है। इसलिए, सरकार की नीतियों को बैंडविड्थ के सिंक्रोनाइज़ेशन के माध्यम से किफायती कवरेज पर भी ध्यान देना चाहिए।

निष्कर्ष:

- चूंकि भारत ने लागत प्रभावी 4G प्रौद्योगिकी के कारण अपने दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहले ही डिजिटल क्रांति देखी है, 5G का उपयोग इस क्षेत्र को बढ़ाने और विनिर्माण तथा नवाचार केंद्र के रूप में उभरने के भारत के लक्ष्य को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 5G के आर्थिक लाभ भारत को विकास के इस महत्वपूर्ण मोड़ और विकसित अर्थव्यवस्था में हमारे बल पर चाहिए।

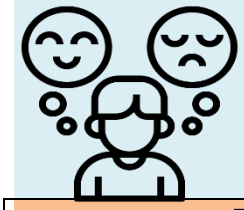

नीति शास्त्र (ETHICS)

एआई नैतिकता के लिए नया वैश्विक मानक (A new global standard for AI ethics)

संदर्भ: एआई की नैतिकता पर यूनेस्को का वैश्विक समझौता सरकारों और कंपनियों को समान रूप से मार्गदर्शन कर सकता है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव खुफिया प्रक्रियाओं का अनुकरण है। AI के विशिष्ट अनुप्रयोगों में विशेषज्ञ प्रणाली, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, वाक् पहचान और मशीन दृष्टि शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हमारे जीवन में पहले से कहीं अधिक मौजूद है।

एआई पर मुद्दे:

- एआई में फ़ीड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा अक्सर हमारे समाजों की विविधता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, जिससे ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं जिन्हें पक्षपातपूर्ण या भेदभावपूर्ण कहा जा सकता है।
- उदाहरण के लिए, भारत और चीन मिलकर दुनिया की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा बनाते हैं, Google ब्रेन ने अनुमान लगाया कि वे इमेजनेट में उपयोग की जाने वाली छवियों का केवल 3% बनाते हैं, जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डेटासेट हैं।
- चेहरे की पहचान तकनीकों में समस्याएं आ रही हैं, जिनका उपयोग हमारे फोन, बैंक खातों और अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए किया जाता है, और कानून-प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा महिलाओं और गहरे रंग के लोगों की पहचान करने में तेजी से नियोजित किया जाता है।
- इन तकनीकों के लिए, हल्की चमड़ी वाले पुरुषों के लिए त्रुटि दर 1% थी, लेकिन गहरे रंग के पुरुषों के लिए 19% और गहरे रंग की महिलाओं के लिए 35% तक थी।
- ये मुद्दे भारत के लिए विशेष महत्व के हैं, जो कि एआई-संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जिसका मूल्य 2021 में $7.8 बिलियन से अधिक था।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रौद्योगिकियों की पूरी क्षमता तक पहुंच है, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय नीति में नैतिक एआई शासन के लिए सही प्रोत्साहन स्थापित करने की आवश्यकता है।

कॉमन रूल बुक:

- कुछ समय पहले तक, इस महत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कोई साझा वैश्विक रणनीति नहीं थी।
- इस सत्र में 193 देशों ने यूनेस्को में एक ग्राउंडब्रेकिंग समझौते पर पहुंच गए कि एआई को सरकारों और तकनीकी कंपनियों द्वारा कैसे डिजाइन और उपयोग किया जाना चाहिए।
- इसका उद्देश्य लोगों, और व्यवसायों और एआई विकसित करने वाली सरकारों के बीच शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से स्थानांतरित करना है।
- जो देश यूनेस्को के सदस्य हैं, उन्होंने अनुसंधान, डिजाइन और विकास से लेकर परिनियोजन और उपयोग तक संपूर्ण एआई सिस्टम जीवन चक्र को विनियमित करने के लिए कार्रवाई करके इस सिफारिश को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है।

सिफारिशें:

- यह डेटा के उचित प्रबंधन, गोपनीयता और सूचना तक पहुंच के महत्व को रेखांकित करता है।
- यह सदस्य राज्यों से यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान करता है कि संवेदनशील डेटा के प्रसंस्करण और प्रभावी जवाबदेही के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय योजनाएं तैयार की जाएं और नुकसान की स्थिति में निवारण तंत्र प्रदान किया जाए।

- **सख्त रुख अपनाने की सिफारिश कि:**
  - AI सिस्टम का उपयोग सामाजिक स्कोरिंग या व्यापक निगरानी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए;
  - बच्चों और युवाओं पर इन प्रणालियों के पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए;
  - सदस्य देशों को न केवल डिजिटल, मीडिया और सूचना साक्षरता कौशल में निवेश करना चाहिए और डिजिटल युग में महत्वपूर्ण सोच और दक्षताओं को मजबूत करने के लिए सामाजिक-भावनात्मक और एआई नैतिकता कौशल को भी बढ़ावा देना चाहिए।

महत्व:

- नया समझौता व्यापक और महत्वाकांक्षी है।
- यह एक मान्यता है कि एआई-संबंधित प्रौद्योगिकियां कॉमन रूल बुक के बिना काम करना जारी नहीं रख सकती हैं।
- लागू करने योग्य जवाबदेही तंत्र में मानवतावादी सिद्धांतों को एम्बेड करने के लिए कानून, नियामक ढांचे और नीति को स्थापित करने और अद्यतन करने के लिए सरकारें खुद एक ढांचे के रूप में सिफारिश का उपयोग करेंगी।

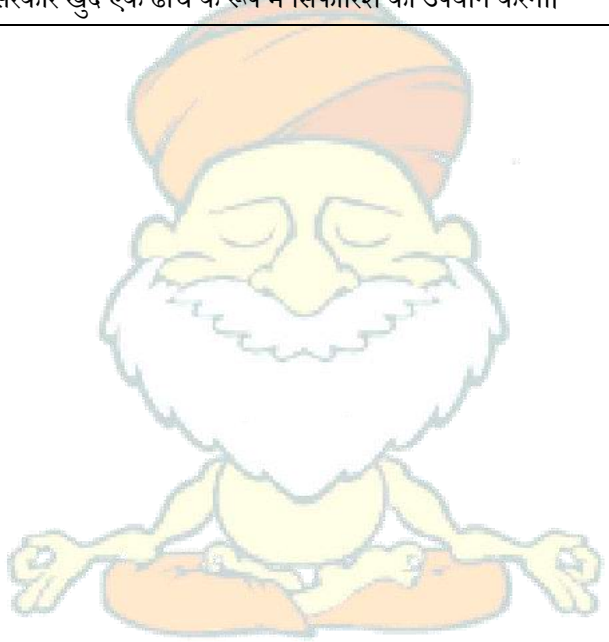

प्रैक्टिस MCQ'S

Q.1) निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर से लगती है?

1. मिस्र

2. लेबनान

3. संयुक्त अरब अमीरात

4. सूडान

सही कोड चुनें:

a) 1 और 2

b) 1 और 4

c) 2 और 3

d) 1, 2, 3 और 4

Q.2) हाल ही में खबरों में रहे अब्राहम समझौते का संबंध किससे है?

a) नागोर्नो-कराबाख संघर्ष पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच समझौता

b) इजरायल और खाड़ी देशों के बीच संबंधों में सुधार के लिए यूएसए प्रायोजित सौदा

c) इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता समझौता समझौता

d) कट्टरपंथ से लड़ने के लिए इस्लामिक सहयोग पहल का संगठन

Q.3) अस्त्र एमके-1(**Astra Mk-1**) मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है

2. मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है

3. अस्त्र एमके-1 की रेंज 200 किमी . है

गलत कथन चुनें:

a) 1, 2 और 3

b) 1 और 3

c) केवल 3

d) इनमें से कोई नहीं

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के हिमालयी तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है।

2. गंडक नदी और मसान नदी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है।

सही कथन चुनें:

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत में गन लाइसेंस आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

2. भारत में एक व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या तीन है।

3. एक बार जारी किए गए आग्नेयास्त्र लाइसेंस की वैधता जीवन भर के लिए है।

गलत कथन चुनें:

a) 1 और 2

b) 1, 2 और 3

c) केवल 3

d) 2 और 3

Q.6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है।

2. इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है।

3. वर्ष 1991 के बाद से यह आकार में लगभग 35 प्रतिशत सिकुड़ गया है।

उपरोक्त बिंदु निम्नलिखित में से किस रामसर साइट को संदर्भित करते हैं?

a) थोल झील वन्यजीव अभयारण्य

b) कबाल ताली

c) सरसाई नवर झील

d) दीपोर बील

Q.7) जेनेटिक इंजीनियरिंग (**Genetic Engineering**) मूल्यांकन समिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह जैव विविधता अधिनियम, **2002** के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है।

2. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

3. यह पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर (जीई) जीवों और उत्पादों की रिलीज़ (**release**) से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार है।

गलतस्टेट्स चुनें:

a) **1, 2** और **3**
b) केवल **2**
c) केवल **1**
d) **1** और **2**

Q.8) यूबलफेरिस, हार्डविकी और यूबलफेरिस पिक्टस (**Eublepharis, hardwickii and Eublepharis pictus),** हाल ही में समाचारों में किससे संबंधित है**?**

a) पश्चिमी घाट में खोजी गई नई पिचर पौधों की प्रजातियां
b) भारत में पाई जाने वाली गेको प्रजाति
c) अरुणाचल प्रदेश की नई खोजी गई सांप की प्रजाति
d) पूर्वी घाट में नई खोजी गई मकड़ी की प्रजाति

Q.9) समुद्री घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये फूल वाले पौधे हैं जो उथले समुद्री जल में डूबे रहते हैं

2. वे लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन कर सकते हैं

3. समुद्री घास उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में तेजी से वातावरण से कार्बन ग्रहण कर सकती है

सही कथन चुनें:

a) **1** और **2**
b) **2** और **3**
c) **1** और **3**
d) **1, 2** और **3**

Q.10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. RFID टैग से डेटा प्राप्त करने के लिए रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (**RFID**) तकनीक को लाइन ऑफ विजन की आवश्यकता नहीं होती है

2. बारकोड टैग पर छपे ब्लैक-वाइट पैटर्न को रीड के लिए बारकोड रीडर प्रकाश का उपयोग करते हैं

3. RFID के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक क्यूआर कोड है

सही कथन चुनें:

a) **1, 2** और **3**
b) **2** और **3**
c) **1** और **3**
d) **1** और **2**

Q.11) डिस्टिलर्स के सूखे अनाज (**DDGS**) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. DDSS स्टार्च युक्त अनाज जैसे मकई और गेहूं के बायोएथेनॉल किण्वन का एक उपोत्पाद है

2. चूंकि **DDGS** कच्चे प्रोटीन से भरपूर है, इसलिए इसका उपयोग जलीय कृषि, पशुधन और पोल्ट्री फीड के रूप में किया जाता है

सही कोड चुनें:

a) केवल **1**
b) केवल **2**
c) **1** और **2** दोनों
d) न तो **1** और न ही **2**

Q.12) हाल ही में समाचारों में कृषि भूमि मूल्य सूचकांक (**ALPI**) किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था**?**

a) नीति आयोग
b) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
d) भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद

Q.13) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत में फिशिंग कैट केवल पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में पाई जाती हैं

2. फिशिंग कैट प्रकृति में निशाचर हैं

3. यह ओडिशा का एक राज्य पशु है

4. इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है

फिशिंग कैट के बारे में उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं**?**

a) केवल **2**
b) **2** और **3**
c) **1, 3** और **4**
d) **1** और **4**

Q.14) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. दोनों तरीकों से अस्थि प्रतिस्थापन, यानी धातु के हिस्से और सिरेमिक प्रत्यारोपण का उपयोग करने से मूल हड्डी का पुन: विकास होता है

2. कैल्शियम फॉस्फेट सिरेमिक बोन मिनरल हाइड्रॉक्सीपैटाइट के विकल्प हैं

सही कथन चुनें:

a) केवल **1**
b) केवल **2**
c) **1** और **2** दोनों
d) न तो **1** और न ही **2**

Q.15) ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (**DCGI**) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. DCGI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग के प्रमुख हैं

2. यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है

3. DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक निर्धारित करता है

सही कथन चुनें:

a) केवल **1**
b) **1, 2** और **3**
c) **1** और **3**
d) केवल **3**

Q.16) सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, **2021** के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अधिनियम वाणिज्यिक सरोगेसी और परोपकारी सरोगेसी दोनों की अनुमति देता है

2. इच्छुक दंपत्ति का केवल एक करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट मदर हो सकता है

3. अधिनियम में अविवाहित महिलाओं और एकल माता-पिता को सरोगेट बच्चा रखने से बाहर रखा गया है

सही कथन चुनें:

a) **1** और **2**
b) **1** और **3**
c) **1, 2** और **3**
d) **2** और **3**

Q.17) निम्नलिखित में से किस देश की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है?

1. ओमान
2. यूएई
3. कुवैत
4. सऊदी अरब
5. इराक
6. यमन

सही कोड चुनें:

a) **1, 2, 4** और **5**
b) **1, 2, 3, 4, 5** और **6**
c) **2, 3, 4, 5** और **6**
d) **1, 2, 3, 4** और **5**

Q.18) अग्नि **IV** मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (**IRBM**) है

2. यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है

3. यह दो चरणों वाले ठोस प्रणोदक द्वारा संचालित होता है

4. यह लगभग **3500** किमी दूर एक टन परमाणु हथियार पहुंचा सकती है

गलत कथन चुनें:

a) **1** और **2**
b) **1, 2** और **3**
c) केवल **4**
d) कोई नहीं

Q.19) हाल ही में खबरों में रहा रीम नेवल बेस (**Ream Naval Base**) कहाँ स्थित है?

a) अज़ोवी का सागर
b) भूमध्य सागर
c) हॉर्न ऑफ अफ्रीका
d) थाईलैंड की खाड़ी

Q.20) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जबकि राज्य के राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं

2. केंद्र और राज्य दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है

सही कथन चुनें:

a) केवल **1**
b) केवल **2**
c) **1** और **2** दोनों
d) न तो **1** और न ही **2**

Q.21) निम्नलिखित में से कौन 'कार्बन बम' शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

a) यह आर्टिक क्षेत्र के मीथेन हाइड्रेट्स में संग्रहीत कार्बन की मात्रा है
b) यह औद्योगिक क्रांति के दौरान वातावरण में जारी कार्बन की मात्रा है
c) यह एक तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणामस्वरूप अपने जीवनकाल में कम से कम एक अरब टन **CO2** उत्सर्जन होगा
d) यह एक नई आविष्कृत तकनीक है जो कोयला बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोर करती है

Q.22) कृषि लागत और मूल्य आयोग (**CACP**) किसी वस्तु के लिए **MSP** की सिफारिश करते समय विभिन्न कारकों पर विचार करता है, **CACP** द्वारा निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया जाता है

1. इनपुट कीमतों में बदलाव
2. इफ़ेक्ट ऑफ़ कास्ट लिविंग
3. अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति
4. अंतर-फसल मूल्य समता
5. निर्गम कीमतों पर प्रभाव और सब्सिडी के लिए प्रभाव

सही कोड चुनें:

a) **1, 2** और **3**
b) **2, 4** और **5**
c) **1, 3, 4** और **5**
d) **1, 2, 3, 4** और **5**

Q.23) कार्वेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह नौसैनिक जहाजों का सबसे छोटा वर्ग है
2. यह एक युद्धपोत के युद्धपोत वर्ग के नीचे आता है
3. इसे मिसाइल नौकाओं और पनडुब्बी रोधी जहाजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है
4. वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास कोई कार्वेट जहाज नहीं है

सही कोड चुनें:

a) **2** और **4**
b) **1, 2** और **3**
c) **1, 3** और **4**
d) **1, 2, 3** और **4**

Q.24) हाल ही में खबरों में रहा **PD1** शब्द किससे संबंधित है?

a) एक प्रकार का प्रोटीन जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ कार्यों को नियंत्रित करता है
b) वन्यजीव ट्रैकिंग के लिए रेडियो कॉलर
c) गेहूं की नई आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म
d) कपास बैक्टीरियल ब्लाइट (**Bacterial blight**) से लड़ने के लिए कीटनाशक

Q.25) निम्नलिखित जल निकायों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें

1. काला सागर
2. मारमार सागर
3. ईजियन सागर
4. क्रेते का सागर

सही कोड चुनें:

a) **1-2-3-4**
b) **1-3-2-4**
c) **1-3-4-2**
d) **2-1-4-3**

Q.26) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वन संरक्षण अधिनियम, **1980** केवल आरक्षित वनों और संरक्षित वनों से संबंधित है
2. वन संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी निजी व्यक्ति को जंगल पट्टे पर देने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है
3. अधिनियम अनिवार्य करता है कि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि को अतिक्रमणों और कानूनी झगड़ों से मुक्त होना चाहिए

सही कथन चुनें:

a) केवल **1**
b) **1** और **3**
c) केवल **2**
d) **2** और **3**

Q.27) हाल ही में खबरों में रहा वेले डो जवारी (**Vale do Javari**), निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?

a) स्पेन
b) इक्वाडोर
c) ब्राजील
d) म्यांमार

Q.28) एंकोवैक्स वैक्सीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-**19** वैक्सीन है

2. इसे नीति आयोग के सहयोग से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया था

3. यह **SARS-CoV-2 .** के डेल्टा और ओमाइक्रोन दोनों रूपों से जानवरों की रक्षा कर सकता है

सही कथन चुनें:

a) केवल **1**

b) **1, 2** और **3**

c) **2** और **3**

d) **1** और **3**

Q.29) संत तुकाराम बोल्होबा अंबिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वारी तीर्थयात्रा शुरू करने का श्रेय संत तुकाराम को जाता है

2. उनके गुरु संत चैतन्य महाप्रभु थे

3. वे संत रामदास के समकालीन थे

4. उन्होंने कीर्तन नामक आध्यात्मिक धुनों के माध्यम से समुदाय आधारित पूजा पर जोर दिया

सही कथन चुनें:

a) **2** और **4**

b) **1** और **3**

c) **1, 2, 3** और **4**

d) **1, 2** और **4**

Q.30) इको-सेंसिटिव ज़ोन **(ESZ)** के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ESZ संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं

2. इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, **1972** के तहत अधिसूचित किया गया है

3. ESZ में निषिद्ध गतिविधियों के तहत होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना और प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग

गलत कथन चुनें:

a) केवल **1**

b) केवल **2**

c) **1** और **2**

d) **1, 2** और **3**

Q.31) राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक **(SFSI) 2021-22,** किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है**?**

a) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

b) नीति आयोग

c) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

d) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण **(FSSAI)**

Q.32) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. रामसे हंट सिंड्रोम वैरीसेला-ज़ोस्टर बैक्टीरिया के कारण होता है

2. रामसे हंट सिंड्रोम बच्चों में बहुत कॉमन है

3. इससे प्रभावित कान में फेसिअल पैरालिसिस और सुनने की क्षमता को नुकसान हो सकता है

गलत कथन चुनें:

a) **1** और **2**

b) **2** और **3**

c) **1, 2** और **3**

d) इनमें से कोई नहीं

Q.33) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ब्रह्मोस तीन चरणों वाली मिसाइल है

2. लॉन्च के बाद इसे और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है

3. यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है

सही कथन चुनें:

a) **1** और **3**

b) केवल **3**

c) **2** और **3**

d) केवल **1**

Q.34) सावा झील **(Lake Sawa)** जो हाल ही में सूख गई है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है**?**

a) ईरान

b) इराक

c) उज्बेकिस्तान

d) तुर्कमेनिस्तान

Q.35) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पोषण अभियान कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को शामिल किया गया है लेकिन स्तनपान कराने वाली माताओं को शामिल नहीं किया गया है

2. पोषण अभियान का कार्यान्वयन नीति आयोग में स्थापित तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) द्वारा किया जाता है।

गलत कथन चुनें:

a) केवल **1**

b) केवल **2**

c) **1** और **2** दोनों

d) न तो **1** और न ही **2**

Q.36) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई) खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है

2. विचार किए गए पांच प्रमुख मापदंडों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पैरामीटर का महत्व सबसे कम है।

3. तमिलनाडु **82** के समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर है

सही कथन चुनें:

a) केवल **1**

b) **1** और **3**

c) **1, 2** और **3**

d) **2** और **3**

Q.37) अग्निपथ योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. नई योजना के तहत सालाना करीब **45,000** से **50,000** सैनिकों की भर्ती की जाएगी

2. केवल **17.5** वर्ष और **21** वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र होंगे

3. एक सेवा निधि कार्यक्रम के तहत सैनिक वेतन का **30** प्रतिशत अलग रखा जाएगा

सही कथन चुनें:

a) **1, 2** और **3**

b) **2** और **3**

c) **1** और **2**

d) **1** और **3**

Q.38) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) प्रकाशित किया जाता है

2. पीएलएफएस **1991** के सुधारों के बाद से सालाना प्रकाशित किया गया है

3. श्रम बल भागीदारी दर में काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध व्यक्ति शामिल हैं

गलत कथन चुनें:

a) केवल **1**

b) केवल **2**

c) **1** और **2**

d) **1, 2** और **3**

Q.39) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत गौरव ट्रेनें निजी हितधारकों द्वारा संचालित की जाती हैं

2. भारत गौरव योजनाओं के माध्यम से रेलवे ऑपरेटरों को अपने रेक और बुनियादी ढांचे के उपयोग का अधिकार प्रदान करता है

3. इसका उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना और थीम आधारित सर्किट पर चलना है

सही कथन चुनें:

a) **1, 2** और **3**

b) केवल **3**

c) **1** और **2**

d) **2** और **3**

Q.40) हाल ही में खबरों में **IPC** की धारा **295A** किससे संबंधित है**?**

a) विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने पर दंड देना

b) सार्वजनिक शरारत के लिए योगदान देने वाले बयानों को दंडित करता है

c) दंगा करने के लिए सजा

d) किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करता है

Q.41) NSO द्वारा जुलाई **2020** से जून **2021** के लिए हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 2020-21 में बेरोजगारी दर **2017-18** में पहली पीएलएफएस के बाद सबसे कम है

2. ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर महिलाओं की तुलना में अधिक थी

3. शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में अधिक थी

सही कथन चुनें:

a) **1, 2** और **3**

b) **2** और **3**

c) केवल **1**

d) केवल **2**

Q.42) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पृथ्वी **II** सतह से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है

2. पृथ्वी **II** मिसाइल दो चरणों वाली तरल-ईंधन वाली मिसाइल है

3. यह अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए पैंतरेबाज़ी प्रक्षेपवक्र के साथ उन्नत जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली (**inertial guidance system)** का उपयोग करता है

गलत कथन चुनें:

a) **1, 2** और **3**
b) **2** और **3**
c) **1** और **2**
d) केवल **1**

Q.43) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. आसियान प्लस थ्री - सलाहकार समूह में भारत शामिल है

2. भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं

3. दिल्ली घोषणा आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत समुद्री क्षेत्र में सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है

सही कथन चुनें:

a) केवल **1**
b) केवल **2**
c) **2** और **3**
d) **1, 2** और **3**

Q.44) हाल ही में खबरों में रहा अटापका पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है**?**

a) ओडिशा
b) गुजरात
c) आंध्र प्रदेश
d) महाराष्ट्र

Q.45) पावागढ़ पहाड़ी, गुजरात में कालिका माता मंदिर के बारे में निम्नलिखित प्रतिमानों पर विचार करें

1. यह हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निर्मित 7वीं शताब्दी का मंदिर है

2. मंदिर परिसर चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क का हिस्सा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है

3. यह मंदिर महान पवित्र शक्ति पीठों में से एक का स्थल है

गलत कथन चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 3
c) 1, 2 और 3
d) केवल 3

Q.46) अंतर-राज्य परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थापित किया गया था

2. केंद्रीय गृह मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं

3. परिषद की सिफारिशें संघ और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं

गलत कथन चुनें:

a) 1 और 3
b) 1, 2 और 3
c) 2 और 3
d) केवल 2

Q.47) फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है

2. FATF पूर्ण FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है

3. वर्तमान में पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया FATF की ब्लैक -लिस्ट में हैं

सही कथन चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) केवल 1
d) 1, 2 और 3

Q.48) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य तीन राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है

2. गंगा की डॉल्फ़िन, राष्ट्रीय जलीय जानवर को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में देखा जा सकता है

3. घड़ियाल के प्रजाति पुनरुत्पादन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुख्य क्षेत्र है

सही कथन चुनें:

a) 2 और 3
b) 1, 2 और 3
c) केवल 3
d) केवल 1

Q.49) हाल ही में खबरों में रहा पोर्ट ऑफ ओडेसा (Port of Odesa) स्थित है?

a) इथियोपिया
b) रोमानिया
c) यूक्रेन

d) इज़राइल

Q.50) हाल ही में खबरों में रहा ब्लैक स्वान इवेंट शब्द का अर्थ है?

a) इसका उपयोग संभावित रूप से बहुत महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसकी संभावित घटना की भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है लेकिन जिसकी संभावना कम मानी जाती है

b) एक दुर्लभ, अप्रत्याशित घटना जो आश्चर्य के रूप में आती है और समाज या दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है

c) यह एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन अनदेखा खतरा है।

d) एक प्रश्न, समस्या या विवादास्पद मुद्दा जो उन सभी के लिए स्पष्ट है जो स्थिति के बारे में जानते हैं, लेकिन जानबूझकर अनदेखा किया जाता है।

Key Answers

1	**B**	**21**	**C**	**41**	**A**
2	**B**	**22**	**D**	**42**	**C**
3	**B**	**23**	**B**	**43**	**C**
4	**C**	**24**	**A**	**44**	**C**
5	**B**	**25**	**A**	**45**	**A**
6	**D**	**26**	**D**	**46**	**C**
7	**D**	**27**	**C**	**47**	**A**
8	**B**	**28**	**D**	**48**	**A**
9	**D**	**29**	**C**	**49**	**C**
10	**D**	**30**	**D**	**50**	**B**
11	**C**	**31**	**D**		
12	**D**	**32**	**A**		
13	**A**	**33**	**C**		
14	**B**	**34**	**B**		
15	**C**	**35**	**A**		
16	**D**	**36**	**D**		
17	**D**	**37**	**A**		
18	**D**	**38**	**C**		
19	**D**	**39**	**A**		
20	**D**	**40**	**D**		

IAS BABA

Baba's TLP+ FLM

(Full Length Mains Mocks) for UPSC Mains 2022

FEATURES

- 15 FLM (GS 1, GS2, GS3, GS4, Essay) - 2 sets of FLM
- 2 layers of Mentorship - by Subject Experts & Mohan Sir (Founder, IASbaba)
- 1:1 Mentorship & Expert Evaluation
- 1 set of FLM (Open Mocks)
- Series of Full Length Mocks in July, August & September - Flexibility to Choose your own slot!
- Test under UPSC Exam Conditions.

Price - 15 Tests
₹7,500/- (Incl. Tax)

REGISTER NOW

Bengaluru Delhi Lucknow & Online

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888